बुनियाद

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) के सशक्तिकरण हेतु निर्मित पुस्तिका / मॉड्यूल

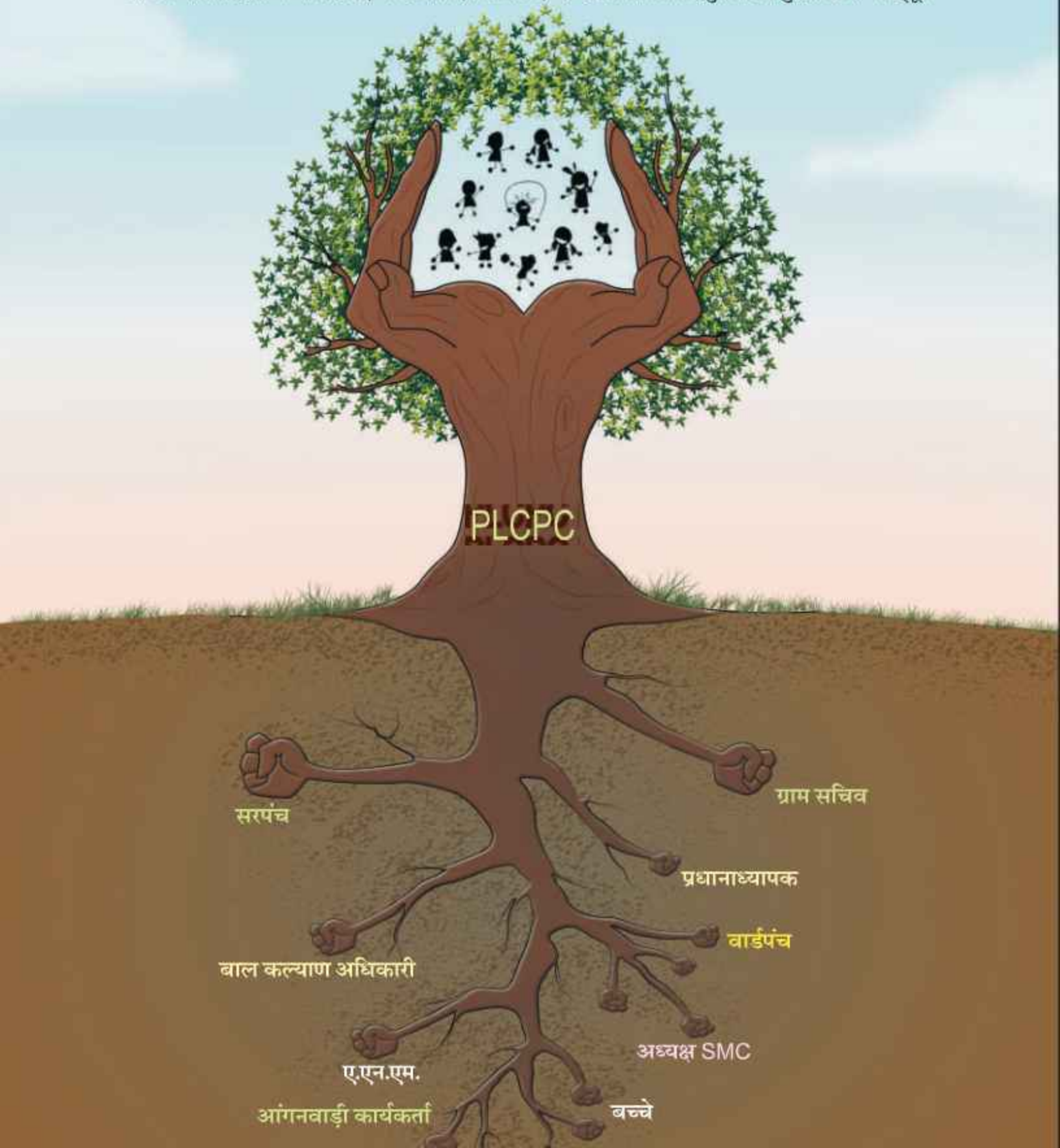

प्रेरक

सैम्यूल मवनर्गानड्ज
यूनिसेफ राजस्थान राज्य प्रमुख, जयपुर

संरक्षक

डॉ. शरद चन्द्र पुरोहित
संरक्षक सदस्य: गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर
पूर्व निदेशक: राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) उदयपुर

श्री एल.एन. पण्ड्या
संस्थापक : गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर

मार्गदर्शन एवं परिकल्पना

श्री गोविन्द बेनिवाल
सदस्य : राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर

श्रीमती सुलगना राय
शिक्षा एवं बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर

श्री संजय कुमार निराला
बाल संरक्षण अधिकारी, यूनिसेफ, जयपुर

श्रीमती गिरिजा देवी
सी.एण्ड ए. विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर

डॉ. राजकुमारी भार्गव
बाल संरक्षण विशेषज्ञ, गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर

समन्वयक

श्री शैलेन्द्र पण्ड्या
सयुक्त निदेशक : गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर
सदस्य : राजस्थान बाल अधिकार सन्दर्भ समूह, जयपुर
संयोजक : बाल सुरक्षा नेटवर्क, उदयपुर

प्रकाशक

गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर
हिरण मगरी, सेक्टर-6, वीणा नगर, उदयपुर (राज.)
info@gayatrisansthan.org, shailendra@gayatrisansthan.org

डिजाईन एवं ग्राफिक्स

श्री हेमन्त कुमार जैन, श्री विनोद विजय राव

Ms. KUSHAL SINGH
Chairperson

Government of India

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR
PROTECTION OF CHILD RIGHTS

संदेश

यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है की गायत्री सेवा संस्थान ग्राम पंचायत स्तर पर ''पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC)''के सशक्तिकरण हेतु निर्मित मॉड्यूल ''बुनियाद''जारी कर रहा है।

बच्चों का संरक्षण हर स्तर पर आवश्यक है। इस दिशा में जरूरी है कि पहला कदम घर से उठाया जाए, बच्चों के शोषण के खिलाफ जमीनी स्तर पर कदम उठाए एवं उनके अधिकारों प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करना कठिन परन्तु सब से अहम भी है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी अल्प वयस्कता एवं अपरिपक्वता के कारण आसानी से गलत व्यक्तियों के चंगुल में फस सकते हैं। आवश्यक है कि उनकों इस परिस्थिति से बचाया जाए एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ग्रामीण स्तर पर ही लोगों को शिक्षित किया जाए।

प्रस्तुत पुस्तिका की रूपरेखा व आलेखन प्रभावशाली है। भाषा सरल एवं सुबोध है, बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों कानूनों तथा योजनाओ का पुस्तिका में समावेश करना एक सराहनीय कार्य है।

मूझे पूर्ण विश्वास है कि यह मॉड्यूल न केवल पंचायत स्तर पर वरन सभी पक्षों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(कुशलसिंह)

Joachim Theis
Chief, Child Protection, UNICEF India

unicef
unite for children

United Nations Children's Fund
UNICEF House, 73 Lodi Estate,
New Delhi, 110003, India

MESSAGE

UNICEF works in thirteen States across India in collaboration with Government departments and non-government partner organisations to strengthen systems and structures to prevent and respond to the exploitation, abuse and violence against children. Community-based mechanisms and structures to protect children in their family, neighborhood, community and in the places where children learn, work and play are key components of any comprehensive child protection infrastructure.

UNICEF welcomes the publication of the Buniyaad training modules for the orientation of Panchayat-level Child Protection Committees (PLCPC). The training modules add to a growing body of materials to share knowledge about good child protection practices and to strengthen the capacities of frontline child protection actors.

The Buniyaad modules help fill a gap in resource materials for facilitating trainings of Panchayat-level child protection workers. These IEC materials will help guide PLCPCs to take action to ensure child-friendly, safe and protective environments at Panchayat and village levels.

I am confident that this resource guide will be disseminated and used widely and that Buniyaad will inspire other agencies to develop similar materials.

Joachim Theis

परिचय

बच्चे का बचपन सुरक्षित एवं संरक्षित हो, उसे विकसित होने का पूरा अवसर मिले वह स्वस्थ जीवन जी सके इस हेतु बच्चे की बुनियाद को मजबूत करना आवश्यक है। बुनियाद को मजबूती प्रदान करने में बच्चों के लिये अनेक कानून, अधिनियम, योजनाएं समय–समय पर बनी हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षिय योजना अन्तर्गत **"समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)"** की कल्पना की गई, जिसे वर्ष 2009 में लागू किया गया जिसमें बाल संरक्षण के लिए पूर्व से संचालित एवं नवीन योजनाओं को एक की छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की परस्पर भागीदारी से सर्वोत्तम बाल हित को सुनिश्चित कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 जैसे बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बने कानूनों/प्रावधानों के लिए सुविधा, साधन एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

समेंकित बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 के प्रभावी कियान्वयन हेतु केन्द्रीय परियोजना सहायता यूनिट के साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। राजस्थान प्रदेश ने भी इस हेतु पहल करते हुए दिनाक 4 दिसम्बर 2012 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से आदेश क्रमांक एफ() सामान्य/प्रशि/परा/2012/349 जारी कर निचले रतर तक ICPS अन्तर्गत गठित होने वाली समितियों के गठन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। ICPS अन्तर्गत सबसे निचली कड़ी एवं महत्वपूर्ण समिति ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) है। ICPS की मंशा एवं बालअधिकारों का संरक्षण तब तक सुनिश्चित हो पाना कठिन है जब तक PLCPC सकिय रूप से बाल संरक्षण हेतु कार्य करना एवं बाल अधिकारों के हनन या किसी बच्चों से जुडे मुद्दों पर उच्च समितियों को रिपोर्ट करना प्रारम्भ न करें।

प्रस्तुत पुस्तिका/ मॉड्यूल इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखकर विभिन्न ऐजेन्सियों, सरकारी विभाग के अनुभवों एवं क्षेत्र विशेष को गहनता से समझते हुए बनायी गयी है। जहां कोई सरकारी या गैर सरकारी संगठन बाल संरक्षण हेतु कार्यरत है यह उनके लिये PLCPC के गठन एवं प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल के रूप में कार्यकारी सिद्ध होगी एवं जहां कोई संगठन कार्यरत नहीं है ऐसी स्थिति में यह PLCPC के लिए मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।

प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित PLCPC के गठन से लेकर आगामी 5 बैठकों तक का सफर यदि तय किया जाता है तो इस दावे को करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उक्त PLCPC न केवल प्रभावी रूप से क्रियान्वित होगी बल्कि ग्राम पंचायत में बाल मित्र वातारण की स्थापना होगी एवं ब्लॉक/जिला और राज्य स्तर को भी कार्य करने में बल प्राप्त होगा।

केन्द्र सरकार की सर्वोत्तम बाल हित एवं बाल अधिकारों के संरक्षण की मंशा में यह पुस्तक काफी हद तक सहायक सिद्ध होगी।

डॉ. शरदचन्द्र पुरोहित
संरक्षक : गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर
पूर्व निदेशक: राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) उदयपुर

निर्माण प्रक्रिया एवं आभार

बुनियाद की रचना जहां बच्चों के लिए बने विभिन्न कानूनों एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के गहन अध्ययन, साथ ही गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर द्वारा विगत 25 वर्षों से राजस्थान के जनजाति बाहुल क्षेत्र में बाल संरक्षण हेतु किये जा रहे कार्यो एवं पंचायत के सहयोग से आये बेहतर परिणामों के अनुभव के आधार पर की गई है। गायत्री सेवा संस्थान द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) के गठन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व में तकरीबन 235 राजस्व गांवों में ग्रम बाल संरक्षण समिति (VCPC) का गठन कर उन्हें सशक्त किया गया जिसमें कई VCPC मॉडलरूप में विकसित हो पाये हैं, जिनका कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के ऐजेन्सियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन कर प्रशंसा की गई है।

इन्ही अनुभवों, बाल अधिकार विशेषज्ञों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर PLCPC के बेहतर संचालन एवं दिशा प्रदान करने हेतु ''बुनियाद'' की रचना की गई जिसे निम्न चरणों में पूरा किया गया। जिसमें लगभग 8 माह का समय लगा।

बुनियाद की रचना केवल अनुभवों एवं अधिनियमों को ही ध्यान में रखकर नहीं की गई अपितु PLCPC के सदस्यों की समझ, पूर्व परीक्षण एवं समय–समय पर दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखकर की गई है।

गायत्री सेवा संस्थान का सहयोग प्रदान करने एवं मार्गदर्शन देने के लिए यूनिसेफ (UNICEF), राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR), जिला बाल संरक्षण ईकाई (DCPU) उदयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर का आभार व्यक्त करते हैं साथ ही सराड़ा एवं गिर्वा पंचायत समितियों की विभिन्न ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियो का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होने हमें अपने अमूल्य सुझाव समय–समय पर दिए। इसी क्रम में इस पुस्तिका को वर्तमान स्वरूप में लाने में योगदान के लिये सलाहकार समूह श्री दुष्यन्त कुमार अग्रवाल, श्री प्रकाश चन्द्र तातेड़, श्री ओम प्रकाश दशोरा, श्री आशिक नागौरी एवं सुश्री वन्दना दुबे के भी आभारी हैं। जिन्होने पुस्तिका में नवीन जानकारियों का समावेश किया।

यह पुस्तिका उन समस्त ग्राम पंचायतों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को समर्पित है जो PLCPC को सशक्त बनाना चाहते हैं।

शैलेन्द्र पण्ड्या
समन्वयक – बुनियाद

उपयोग कैसे करें

यह पुस्तिका ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) के गठन से लेकर उक्त समिति के लिए 5 बुनियादी बैठकों / प्रशिक्षण की जानकारी देने के साथ एक दिशा भी PLCPC के सदस्यों को देने का कार्य करेगी कि किस प्रकार PLCPC को संचालित किया जाए।

यदि इस पुस्तिका का उपयोग PLCPC के अतिरिक्त कोई संगठन/ऐजेन्सी अथवा व्यक्ति कर रहा है तो यह पुस्तिका एक प्रशिक्षण मॉड्यूल सिद्ध होगी एवं यदि इस पुस्तिका का उपयोग PLCPC के अध्यक्ष/ सचिव अथवा कार्यकारिणी द्वारा किया जा रहा है तो वे इसका उपयोग मार्गदर्शिका के रूप में अपनी बैठकों के प्रभावी संचालन एवं बैठक ऐजन्डा, मुख्य विषय, समझ, आवश्यकता के अनुरूप करें।

पुस्तक का पहला अध्याय " **प्रारम्भिक जानकारी** " केवल मात्र पुस्तिका उपयोगकर्ता हेतु दिया गया है। वह PLCPC के सदस्यों को प्रशिक्षण / जानकारी देने से पूर्व कुछ सामान्य जानकारी को भलीभांती समझ कर आगामी प्रशिक्षण /बैठक की तैयारी करे। तत्पश्चात होने वाली 5 बैठक/प्रशिक्षणों को छः भागों में निम्नानुसार विभक्त कर समझाने का प्रयास किया गया है –

- **अध्याय एक नज़र में**: प्रस्तुत अध्याय की संक्षिप्त जानकारी
- **उद्देश्य** : बैठक /प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य
- **आयोजन संरचना** : बैठक के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें
- **सत्र की रूपरेखा** :प्रशिक्षण में होने वाले सत्र की जानकारी एवं समय
- **चर्चा कैसे करें**: क्रमबद्ध /सत्रों में पूरे दिवस में होने वाली गतिविधियां /चर्चा
- **क्या सीखा?क्या पाया?** : अन्त में प्रत्येक बैठक /प्रशिक्षण में दी गई जानकारियों एवं सूचनाओं पर प्रश्नोत्तर द्वारा चर्चा करें।

ध्यान रहे :

पुस्तक उपयोगकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है वह पुस्तक के उपयोग से पूर्व अर्थात प्रशिक्षण /बैठक में जानकारी देने से पूर्व पुस्तक को अच्छी तरह से अध्ययन करे और क्रम बद्ध प्रक्रियाओ को समझ ले। पुस्तक का निर्माण केवल समझ बढ़ाने एवं PLCPC की बुनियाद को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है, परन्तु उपयोगकर्ता नवीनतम कानून/नियमों की जानकारी अथवा बदलाव को भी ध्यान में रखे एवं अपने परिवेश के अनुरूप कार्य करे। वर्णित जानकारियों अथवा गतिविधियों में PLCPC की समझ एवं आवश्यकतानुसार बदलाव या क्रम परिवर्तित किया जा सकता है।

पुस्तिका में **प्रेरक** शब्द का उपयोग बार–बार किया गया है, जिसमें प्रेरक वह व्यक्ति है जो इसका अध्ययन कर प्रशिक्षण के माध्यम से संदर्भ व्यक्ति के रूप में PLCPC की बुनियाद को सशक्त करने हेतु प्रयास करेगा।

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	प्रारम्भिक जानकारी	1–2
2.	पहली बुनियाद : बाल संरक्षण – पहला कदम	3–18
3.	दूसरी बुनियादः ICPS और हमारी समिति के लक्ष्य निर्धारण	19–33
4.	तीसरी बुनियादः बच्चों के लिये देश का कानून	34–52
5.	चौथी बुनियादः आओ बनाये बाल मित्र पंचायत	53–64
6.	पांचवी बुनियादः बाल उत्सव	65–72
7.	संदर्भ जानकारी एवं सहायक प्रपत्र :	73–92
	7.1 राज्य सरकार द्वारा PLCPC गठन हेतु जारी आदेश एवं मार्गदर्शिका की प्रति	
	7.2 राज्य सरकार द्वारा BLCPC गठन हेतु जारी आदेश की प्रति	
	7.3 बच्चों से संबंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी	
	7.4 विभिन्न बाल गृहों की जानकारी	
	7.5 बाल निगरानी व्यवस्था हेतु सहायक प्रपत्र	
	7.6 प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों के पूरे नाम	

प्रारम्भिक जानकारी

यह अध्याय प्रेरक अर्थात उपयोगकर्ता के लिये है जो आगामी प्रशिक्षण / बैठक करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) की बुनियाद प्रेरक द्वारा सशक्त की जाने वाली है उसका गठन भी हुआ है अथवा नही। यह भी देखेगें कि PLCPC का गठन राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार हुआ है। प्रेरक सर्वप्रथम सरपंच महोदय से सम्पर्क कर उनकी नियमित मासिक बैठकों में PLCPC को जागरूक करने, यह समिति बच्चों के हित में भली प्रकार कार्य कर सके इस हेतु 'बुनियाद' का परिचय देंगे। इस हेतु सरपंच महोदय के साथ मिलकर बैठकों की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रेरक उनसे आग्रह करेंगे कि PLCPC के समस्त सदस्य निर्धारित दिनांक, अवधि एवं रूपरेखा के अनुसार बैठकों में उपस्थित रहें। आइए जाने कि बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कौनसी योजना है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) :

भारत वर्ष में बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2009 में समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) प्रारम्भ की गई। यह योजना बाल अधिकार संरक्षण एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्तों पर आधारित है। ICPS के अन्तर्गत बच्चों (0-18 वर्ष से कम का व्यक्ति) के अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की बात की गई है। इस हेतु समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सतत् निगरानी रखने और उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यक अनुशंषा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम – "ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) है," की परिकल्पना की गई है। इसी के आधार पर विभिन्न स्तरों पर PLCPC की सहायक अन्य संरचनाएं पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर पर भी गठित की गयी हैं।

राजस्थान राज्य में महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 4.12.2012 को जारी आदेश क्रमांक एफ()सामान्य /प्रशि/परा/2012/348, से PLCPC के गठन में निम्न सदस्यों को सम्मिलित किया जाना है –

क्र.स	सदस्य का नाम	समिति में पद
1	सरपंव , ग्रामपंचायत	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव , ग्राम पंचायत	सदस्य - सचिव
3	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय, प्रा0शिक्षा	सदस्य
5	बाल कल्याण अधिकारी संबंधित पुलिस थाना	सदस्य
6	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7	ए.एन.एम ग्राम पंचायत	सदस्य
8	आंगनवाडी कार्यकर्ता ग्राम पंचायत	सदस्य
9	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रा0शिक्षा)	सदस्य
10	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम 1 बालिका)	सदस्य
11	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य / नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम 1 महिला सदस्य)	सदस्य

प्रेरक उपर्युक्त आदेशानुसार ग्राम पंचायत में गठित समिति के सदस्यों का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार कर दिया है यह सुनिश्चित कर लें –

क्र.स	सदस्य का नाम	पिता/ पति का नाम	समिति में पद	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर

प्रारूप के पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात संबंधित समिति के अध्यक्ष (सरपंच ग्राम पंचायत) एवं सचिव (ग्राम सचिव) अपनी सील एवं हस्ताक्षर कर प्रारूप को प्रमाणित करने के पश्चात पंचायत समिति में जमा करवाएं। पंचायत समिति में विकास अधिकारी (BDO), ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BLCPC) के सचिव की भूमिका अदा करते हैं।

ध्यान रहे –

- ग्राम पंचायत अपनी समिति के गठन की जानकारी एवं सूचना अपनी पंचायत बैठक रजिस्टर (कोरम) में भी दर्ज करें।
- समिति में दो सम्मानित सदस्यों का चयन सरपंच द्वारा अथवा सर्वसम्मति से पंचायत निर्णय लेकर कर सकती है, परन्तु इनमें कम से कम एक महिला का चयन करना आवश्यक है।
- दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका अवश्य हो) का चयन सोच समझकर पंचायत में प्रारम्भिक स्तर की उच्च कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से होना चाहिये ।

समिति के गठन के पश्चात समस्त सदस्यों से सम्पर्क कर एक निश्चित तिथि तय कर आगामी प्रथम बैठक की सूचना देनी चाहिये। समिति के कार्य एवं जिम्मेदारियों की जानकारी पुस्तक के अन्य अध्यायों में क्रमबद्ध चरणों में दी गयी है।

करणीय कार्य

समिति के गठन के पश्चात ग्राम पंचायत भवन में चार्ट पर PLCPC के सदस्यों के नाम, पद एवं सम्पर्क सूत्र की जानकारी चस्पा की जाए एवं आगामी बैठक की दिनांक भी अंकित की जाए।

पहली बुनियाद (बाल संरक्षण – पहला कदम)

अध्याय एक नज़र में :

पहली बुनियाद ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC) के सदस्यों को बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु पहला प्रयास है। अतः आज के प्रशिक्षण /बेठक में हम समिति की आवश्यकता, समेकित बाल संरक्षण योजना का परिचय, विभिन्न गतिविधियों एवं केस स्टडी के माध्यम से सदस्यों का समिति के प्रति रूचि एवं जिज्ञासा को बढाने का कार्य करेंगे। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में सदस्यों को पृथक –पृथक सूचनाएं एवं उपलब्ध स्त्रोतों की जानकारी लाने हेतु जिम्मेदारी दी जायेगी।

उद्देश्य :

1. बच्चा किसे कहेंगे एवं बच्चों के अधिकारों की जानकारी।
2. बाल संरक्षण की आवश्यकता।
3. ICPS की सामान्य जानकारी एवं इसके घटकों का परिचय।
4. PLCPC का सामान्य परिचय।
5. बच्चों संबंधी आंकड़ों के संकलन हेतु PLCPC सदस्यवार जिम्मेदारी

आयोजन संरचना :

बैठक में सत्र	:	छः
प्रतिभागी	:	समस्त PLCPC के सदस्य
बैठक स्थल	:	सभी के सुविधानुसार पंचायत का कोई सार्वजनिक स्थल (रा.गा.से केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन) जहां पूरी बैठक के मध्य न्यूनतम व्यवधान हो।
सामग्री	:	दरी, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था/सुविधा, रजिस्टर, चार्ट, पेन, स्केच पेन, मार्कर, सहायक पठन सामग्री (उपलब्ध हो तो), कंकू, अन्य पूजन सामग्री
अवधि	:	न्यूनतम 3:00 घंटे अधिकतम 4:00 घंटे

सत्र की रूप रेखा :

क्र.स	विषय	प्रक्रिया	समय (मिनिट)
1	प्रार्थना एवं परिचय	गीत, भजन द्वारा वातावरण निर्माण एवं रोचक गतिविधि द्वारा परिचय	30
2	बच्चों एवं उनके अधिकारों की जानकारी	प्रश्नोत्तर, चर्चा	30
3	बाल संरक्षण की आवश्यकता	कहानी, प्रश्नोत्तर, सामूहिक विचार विमर्श	45
4	ICPS एवं PLCPC सामान्य परिचय	प्रश्नोत्तर, कहानी, गतिविधि	45
5	आंकडे संकलन हेतु PLCPC सदस्यवार जिम्मेदारी	गतिविधि, सामूहिक चर्चा	30
6	क्या सीखा? क्या पाया?	प्रश्नोत्तर, चर्चा	15

चर्चा कैसे करें :

(प्रेरक को चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि PLCPC के सभी सदस्य बच्चों के मुद्दों, अधिकारों एवं योजनाओं से सामान्यतः परिचित नहीं होते है। ग्रामीण आंचल में कुछ पंचायतें ऐसी भी हो सकती हैं जहां बच्चों को लेकर इस प्रकार की बैठक/प्रशिक्षण प्रथम बार आयोजित हो रहा होगा। जागरूकता के अभाव में आज भी कई पंचायतों के लिए बच्चों के विषय प्राथमिकता में नहीं होते हैं। यह भी सम्भावना है कि किसी समिति के सदस्य या पंचायत पहले से बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य कर रही हो, ऐसी स्थिति प्रेरक के लिए सहायक हो सकती है परन्तु फिर भी प्रेरक को यही राय दी जाएगी कि वह शून्य से शुरूआत पुस्तक में बताये अनुसार क्रमबद्ध चरणों में करें।)

आज की बैठक में कुल छः सत्रों में बातचीत की जाएगी।

प्रथम सत्र

प्रार्थना एवं परिचय

समय 30 मिनिट

- सर्वप्रथम प्रेरक द्वारा सभी का स्वागत कर भजन / प्रेरणादायक गीत/ देश भक्ति गीत इत्यादि मे से किसी एक का चयन कर ईश प्रार्थना की जाए। उसके बाद सरपंच महोदय से दीप प्रज्जवलित कराएं तथा कार्यक्रम की शुरूआत की जाए।

महत्व : प्रेरक सभी को भजन के पश्चात यह कह कर जागृत करें कि हमने हमारी पंचायत में बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से जो दीप प्रज्जवलित किया है वह अंधकार को दूर करेगा और हमें एक नया रास्ता दिखाने वाला है, हमने गीत गा कर हमारे सहयोग के लिए अपने प्रभु से निवेदन किया है। अब हमें हर प्रयास में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

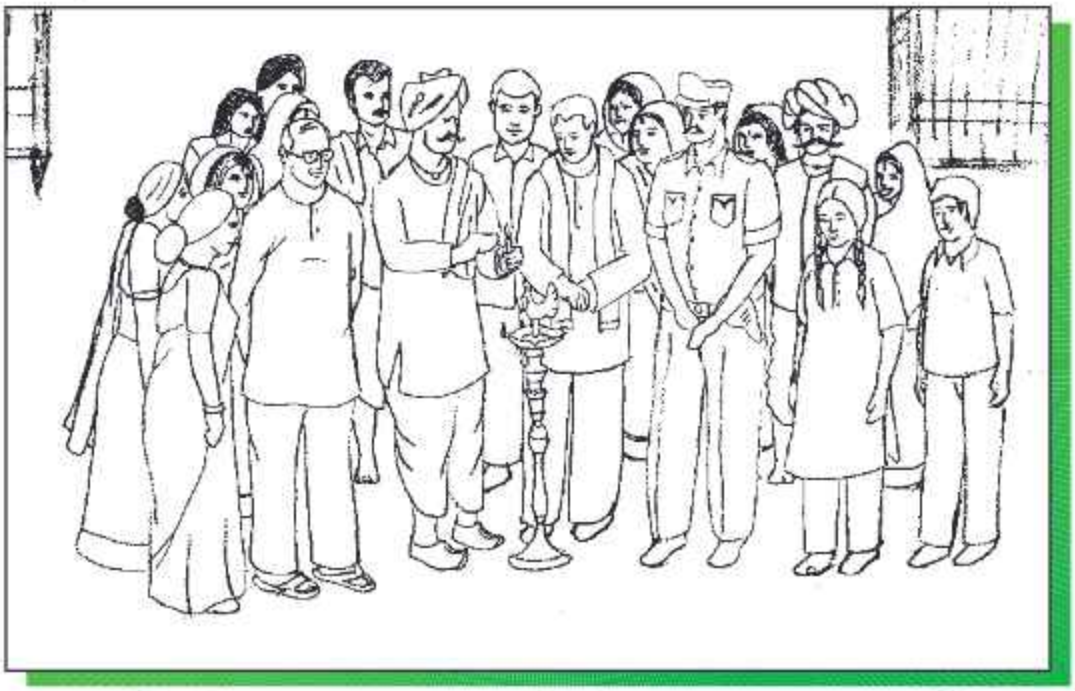

- बालक/बालिका द्वारा सभी का तिलक लगाकर अभिनन्दन एवं आपस में परिचय
  (परिचय के लिये प्रत्येक बार कोई भी रोचक गतिविधि प्रेरक द्वारा अपनायी जा सकती है)

महत्व : सभी को तिलक लगाना हमें यह बतला रहा है कि हम वो चयनित लोग हैं जो अपनी पंचायत के बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर उनके हित में कार्य करेंगे। प्रत्येक बैठक में समिति के सदस्य अपना नाम एवं पद, कार्य बार–बार बताए जिससे सभी आपस में अच्छी तरह पदभार की जानकारी से अवगत हो सकें।

- परिचय के पश्चात प्रेरक उपस्थित सभी सदस्यों से PLCPC के गठन का उद्देश्य तथा उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करें एवं सदस्यों के मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो वह जाने।

महत्व : यह गतिविधि प्रत्येक बैठक में होनी चाहिये ताकि पूर्व बैठक की समीक्षा की जा सके एवं प्रतिभागियों की शंका पर पहले ही आपस में बातचीत हो सके।

- प्रेरक अब सभी को पुनः आज की बैठक पर केन्द्रित करवाते हुए, बैठक के उद्देश्यों से सभी को परिचित करवाये।

महत्व : प्रेरक सभी को आज की बैठक में चर्चा किये जाने वाले मुख्य बिन्दुओं को संक्षेप में बताए। इस बैठक में वातावरण निर्माण के लिए अपनी बात सामान्य जानकारी से प्रारम्भ करे (यथा – उनके नाम,पद, कार्य आदि) इससे बैठक के अंत तक सदस्यों का जुडाव बना रहेगा।

(प्रेरक द्वारा परिचय के पश्चात सभी का ध्यान इस ओर केन्द्रित किया जाए कि आज हम यहां क्यों एकत्र हुए है।)

(?) समिति के सभी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाए–

प्र.1 आज हम यहां क्यों एकत्र हुए हैं?

सम्भावित उत्तर : बच्चों से संबंधित कोई समिति का गठन हुआ है उसकी यह पहली बैठक है।

प्र.2 इस बैठक की आवश्यकता क्यों है?

प्र.3 क्या ऐसी कोई समिति होनी चाहिये जहां बच्चे भी आपके साथ भाग ले ?

सम्भावित उत्तर : 1. हां, परन्तु समिति क्या करेगी?

2. नहीं, ऐसी समितियां तो विद्यालय में पहले से बनी हुई है।

(इन दो प्रश्नों पर सभी से जवाब पूछा जाना चाहिए, 10–15 मिनिट की चर्चा से सभी सदस्यों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तब प्रेरक द्वारा उन्हें बतलाया जाए।)

बताइए

भारत सरकार द्वारा बड़े चिन्तन एवं प्रयास के बाद एक महत्वपूर्ण योजनान्तर्गत हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। आने वाले दिनों में आप एक –एक करके इस पूरी योजना को एवं हमारी समिति के गठन के कारणों को समझ पायेगें।

(प्रेरक द्वारा PLCPC के सदस्यों के परिचय के आधार पर बताया जाए कि बच्चों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति एक साथ बैठक कर बच्चों के कल्याण, संरक्षण, सुरक्षा की बात करें। इसलिये इस समिति का गठन किया गया है। प्रेरक समिति के सदस्यों से खुली चर्चा करें ताकि उनमें बच्चों के बारे में सही समझ बन सके।)

आज हम इस कड़ी में हमारी पहली महत्वपूर्ण बैठक / प्रशिक्षण करने जा रहे है।

दूसरा सत्र

बच्चों और उनके अधिकारो की जानकारी

विचारणीय बिन्दु

★ बच्चे की परिभाषा

★ बच्चों के चार मुख्य अधिकार

अवधि – 30 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

❖ बच्चा किसे कहेंगे ?

❖ संविधान में बच्चों को मुख्य क्या अधिकार दिये गये है?

बताइए

हम शुरूआत करते है हमारी समिति के नाम से '–

''ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC)''

अर्थात हमारी ग्राम पंचायत स्तर की ऐसी समिति जो बाल–संरक्षण के लिये उत्तरदायी है।

प्र.1 बाल संरक्षण में ''बाल'' शब्द का क्या मतलब है?

सम्भावित उत्तर : बच्चे, बालक–बालिकाएं

प्र.2 आपके अनुसार बच्चा कौन कहलाता है?

(इस प्रश्न की चर्चा सभी से हो, यहां कई जवाब/उत्तर प्राप्त हो सकते हैं पर यह भी संभव है कि आपस में कई बिल्कुल मेल न खाते हों। जो भी उत्तर प्राप्त हो, प्रेरक उन्हें बोर्ड पर लिखता चला जाए।)

- क्या जब किसी लड़के की दाढ़ी– मूंछे आ जाती हैं तो वह बच्चा न रह कर वयस्क बन जाता है?
- यदि किसी लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष है और उसकी शादी हो गयी है तो क्या वह बच्ची कहलायेगी?

- जिस तरह इन प्रश्नों में कई तर्क एवं मतभेद हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उसी तरह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों को लेकर कई परिभाषाएं दी गयी हैं। जिनमें अक्सर मतभेद रहता है।

- आमतौर पर हम सदैव परिस्थिति के अनुसार किसी भी लड़के या लड़की के वयस्क होने की बात को स्वीकार कर लेते हैं जैसे – समाज में यह भ्रांति आज भी व्याप्त है कि जिस लड़की/लडके की शादी हो जाये अथवा जो लड़का अपनी पढाई छोड़ कर रोजगार में लग जाता है अथवा उम्र के साथ शारीरिक बदलाव इत्यादि बच्चों को वयस्क का दर्जा दिलवा देते हैं।

- हमारी समिति की आज प्रथम बैठक / प्रशिक्षण में हम सबसे पहले इसी मतभेद से उभर कर भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिये बनाये गये नवीनतम् कानून में दी गयी बच्चे की परिभाषा पर चर्चा करेंगे।

(हो सकता है समिति के कोई सदस्य इस अधिनियम के बारे में जानना चाहें, प्रेरक उन्हें बताये कि आगामी बैठकों में इस अधिनियम पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। □किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000□)

"हमारे देश का प्रत्येक वह नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो चाहे बालक हो या बालिका, बच्चा कहलाता है।"

बाल अधिकार :

भारतीय संविधान / कानून में देश के हर नागरिक को जहां अधिकार दिये गये हैं वही बच्चों की सुरक्षा एवं समुचित विकास के लिए उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं।

(यदि समिति जहां बैठक / प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है ग्रामीण जनजाति क्षेत्र है अथवा जागरूकता के अभाव में समिति के सदस्य अधिकार / कानून / संविधान जैसे शब्दों को नही समझ पा रहे हों तो , प्रेरक द्वारा उन्हें इसकी जानकारी देने से पूर्व कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं, जैसे – शायद आप सभी जानते हों कि जो वार्डपंच, सरपंच हैं उनके लिए अब कानून बन गया है कि यदि अब दो से ज्यादा बच्चे किसी व्यक्ति के हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे ही एक और कानून बना हमारा रोजगार गारन्टी – सभी को काम मिलने वाला कानून इसी प्रकार बच्चों के लिए भी कानून बनाए गए हैं।)

बताइए

- बच्चों को जन्म से पूर्व एवं 18 वर्ष की आयु प्राप्त न करने तक कई अधिकार प्राप्त है। उसकी पहचान, सुरक्षा,शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, समानता इत्यादि बिना धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के देश के प्रत्येक बच्चे को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।

- बच्चों के अधिकारों के लिए 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हुआ जिसमें शामिल सभी देशों ने बाल अधिकारों के संरक्षण पर अपनी सहमति दी। भारत भी ऐसा देश है जिसने इस समझोता पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए।

- यदि हम गहराई में जाए तो यहां कुल 54 अनुच्छेद दिये गये है जो बच्चों के अधिकारों को बतलाते हैं परन्तु यदि सम्मिलित रूप से इसका सार कहा जाए तो बच्चों के चार मुख्य अधिकार हैं।

जीने का अधिकार

उदाहरण : एक महिला जिसका नाम नानकी है, वह गर्भवती है, उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए आशा सहयोगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उससे सम्पर्क किया, उसे क्या करना चाहिए?कौनसे टीके लगवाने चाहिए? इसकी जानकारी दी। ए.एन.एम. की मदद से उन्होंने उसकी जांच करवाई, पोषाहार दिलवाया, समय–समय पर टीके लगवाये तथा परिवार के लोगों को समझाया जिससे उसका प्रसव अस्पताल में हुआ। उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया । अब धात्री माता होने से उसे नियमित पूरक पोषाहार मिल रहा है साथ ही बच्चे को भी समय–समय पर सरकार की तरफ से निःशुल्क टीके लगवाये जा रहे है व बच्चे को भी पोषक पोषाहार दिया जा रहा है।

अर्थात जबसे शिशु मां के गर्भ में आया उसके बाद से जन्म तथा बड़े होने तक उसे जीने का अधिकार मिल रहा है।

जीने का अधिकार : इस अधिकार के तहत जीने का, स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति का, अच्छे पोषाहार का, मानवोचित जीवन स्तर उपभोग करने का, एक नाम और एक राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार सम्मिलित है।

विकास का अधिकार :

अब वह बच्चा 3 वर्ष की आयु मे आंगनवाडी केन्द्र जाने लगा है और 6वर्ष होने पर उसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। इसी प्रकार वह आगे उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करेगा । इस दौरान भी वह स्वस्थ रहे, बीमारियों में उसकी उचित देखभाल होना आवश्यक है। स्कूल में उसे खेलकूद, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिले तभी उसका समुचित व समन्वित विकास होगा। इस लिये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आंगनवाडी केन्द्र, विद्यालय, ए.एन.एम आदि से बच्चे के बारे में बराबर जानकारी ले जिससे बच्चे का विकास ठीक तरह से हो सके।

विकास का अधिकार : समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार समझौते में शामिल देश बच्चों के जीवित रहने और उनके विकास को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा देखा गया है कि आपदाओं जैसे– अकाल, बाढ़, युद्ध, भूकम्प, महामारी आदि के दौरान प्रभावित बच्चे मृत्यु, विस्थापन और अपंगता के शिकार सबसे अधिक होते हैं। विकास के अधिकार का तात्पर्य बच्चे के समन्वित विकास से है जिसमें समुचित शिक्षा, समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, खेल–कूद एवं विभिन्न गतिविधियों का वर्णन है।

सुरक्षा का अधिकार :

यदि यह बच्चा बीच में पढ़ाई छोडकर घर बैठ जाए या श्रम कार्य के लिए बाहर चला जाए ओर वहां उसका शोषण हो, उसके साथ बुरा व्यवहार हो, उसके साथ मारपीट हो, उसे ऐसा लगे कि यहां उसका अपना कोई नहीं है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है?

हमें बच्चे की सुरक्षा करना, उसका ध्यान रखना, उसके माता–पिता को समझाना, फिर से पढ़ने के लिये प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है।

सुरक्षा का अधिकार : समझौते के अनुच्छेद19 के अनुसार समझौते में शामिल देशों ने अपने राष्ट्र के बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य बच्चे की दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा व उपेक्षा आदि से रक्षा करना है।

सहभागिता का अधिकार :

बच्चे में जिज्ञासा होती है। उसे हर काम में पहल करने की इच्छा रहती है एवं वह सदैव कुछ नया करना चाहता है। अतः ऐसी स्थिति में बच्चे को घर में अथवा स्कूल में कुछ दायित्व दिये जाये जैसे – स्कूल में कक्षा की जिम्मेदारी देना, प्रार्थना सभा में अथवा कक्षा में बोलने का पूरा अवसर देना, बच्चो की बात को महत्व देना , उसे काम सौपना एवं छोटी–छोटी बातों में सलाह लेने से उसमें आत्म विश्वास पैदा होगा और वह कार्य को अपनी आयु के अनुसार अच्छी तरह करने का प्रयास करेगा।

सहभागिता का अधिकार : समझौते के अनुच्छेद 12 के अनुसार बच्चों को हर मुद्दे पर स्वतन्त्र रूप से अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सहभागिता से तात्पर्य बच्चों के विचारों का आदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयुक्त सूचना प्राप्त करने हेतु पहुंच, अन्तः करण की आवाज सुनने तथा धर्म की स्वतन्त्रता के अधिकार से है।

(हो सकता है प्रेरक द्वारा सीधे अधिकारों की जानकारी समिति के सदस्य पूरी तरह से समझ न पाएं ऐसी स्थिति में प्रेरक द्वारा निम्न गतिविधि करवायी जा सकती है जिससे उक्त चार अधिकारों पर पुनः चर्चा द्वारा समझ बनायी जा सके।)

गतिविधि :

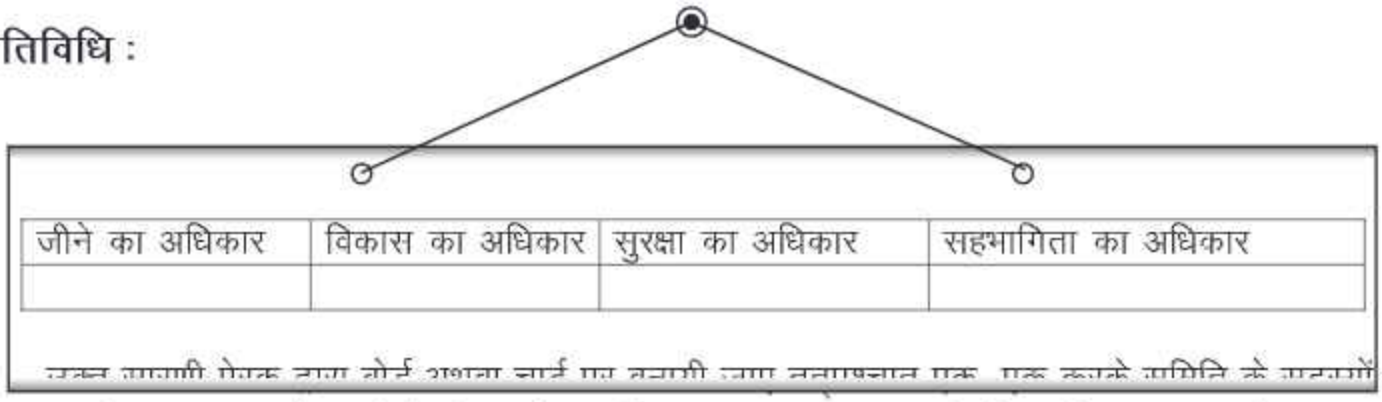

जीने का अधिकार	विकास का अधिकार	सुरक्षा का अधिकार	सहभागिता का अधिकार

- उक्त तालिका प्रेरक द्वारा कोई अथवा चार्ट पर बनायी जाए तत्पश्चात एक एक करके समिति के सदस्यों से अपनी ग्राम पंचायत में बच्चों के जीवन से संबंधित दस आवश्यक पहलुओ को बताने का आग्रह करें।
- प्राप्त विचारों को प्रेरक चारों अधिकारों में से उपयुक्त अधिकार में सम्मिलित करें।
- उदाहरण के तौर पर किसी सदस्य ने बच्चों के लिये सबसे आवश्यक स्वास्थ्य को बताया एवं दूसरे सदस्य ने शिक्षा को ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य जीने के अधिकार से संबंधित है एवं शिक्षा विकास के अधिकार से ।
- इस प्रकार गतिविधि में सभी सदस्यों के विचार आमंत्रित कर बाल अधिकारों के प्रति समझ को और ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है।

नोट – इन अधिकारों का एक चार्ट तैयार करवाये। यह चार्ट PLCPC केन्द्र पर लगवाये।

तीसरा सत्र

बाल संरक्षण की आवश्यकता

विचारणीय बिन्दु

★ बाल संरक्षण की परिभाषा

★ बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता

अवधि – 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ

❖ बाल संरक्षण से क्या तात्पर्य है?

❖ बच्चों के लिये संभावित खतरे क्या हो सकते है?

प्र.1 हमारी समिति का पूरा नाम बताए?

प्र.2 हम हमारी समिति के नाम मे एक शब्द आया है ''बाल संरक्षण'' इसका मतलब बताओं।

कथन – बाल शब्द से शायद आप परिचित है पर यह संरक्षण से क्या तात्पर्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे।

प्रेरक द्वारा निम्न प्रश्न रखे जा सकते है :

1. क्या आप सभी को लगता है कि बच्चों को सुरक्षा की आवश्यकता हैं?
2. यदि हाँ तो किससे सुरक्षा की जरूरत है?
3. किन–किन स्थानों पर बच्चों को खतरा हो सकता है?
4. किन–किन स्तरों पर बच्चे की सुरक्षा के उपाय किये जा सकते है?

इन सभी प्रश्नों को हम एक घटना के द्वारा समझते हैं।

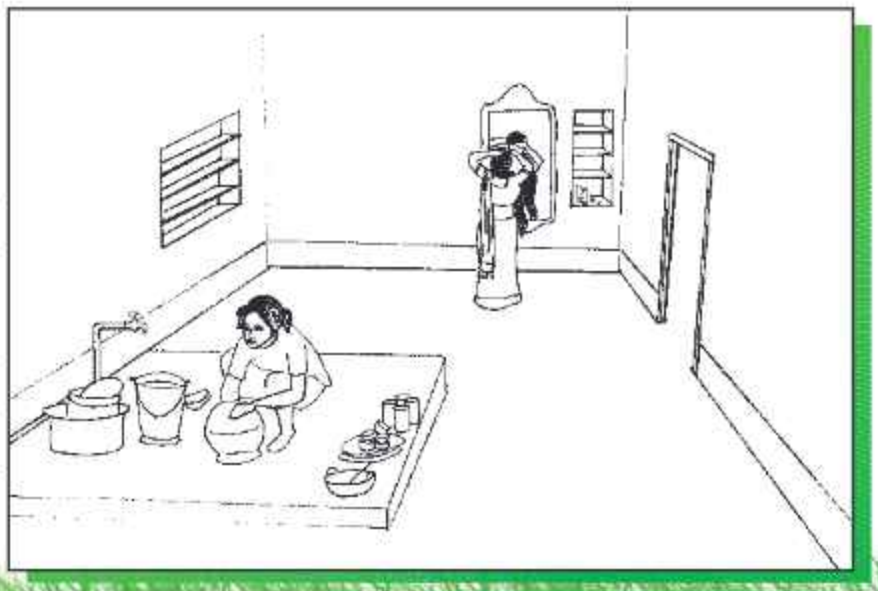

''मजबूर आशा''

आशा 14 वर्षिय बालिका है जो महुडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। करीब दो साल पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके पिता कोई काम न करते हुए दिन–रात शराब के नशे में रहता है। घर की आर्थिक स्थिति ठिक ना होने के कारण उसे दूसरों के

घरों में काम करने जाना पड़ता है। इतना ही नहीं कई बार उसके पिता द्वारा नशे में उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा जाता । एक दिन उसके पिता ने रूपयों के लालच में उसकी शादी एक विधुर से पक्की कर दी। बेचारी आशा कुण्ठा ग्रस्त थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन आखिरकार परेशान होकर आशा घर छोड़कर चली गई। परन्तु बदनसिबी ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह तस्करों के हाथ लग जाती है जहां उसे मात्र 5000 रू. में बम्बई के व्यापारी के पास बेच दिया गया और फिर से वही जिंदगी आशा के सामने आ गई जिसे वह छोड़कर घर से भागी थी।

- क्या आशा का जीवन इस तरह का होने से बचाया जा सकता था?
- आशा के साथ कौन–कौन से व्यवहार गलत हुए?
- कौन–कौन से लोग आशा की इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है?
- हमें ऐसा क्या करना चाहिऐं कि ऐसी स्थिति हमारे बच्चों अथवा अपनी पंचायत मे रहने वाले बच्चों के सामने न आए?
- क्या आपकों कोई ऐसी घटना याद आ रही है जो आपके आस–पास घटित हुई हो?यदि हाँ तो आपने क्या किया?

(प्रेरक सम्भागियों के पक्षों को सुनकर उस पर चर्चा का माहोल बनाने का प्रयास करें एवं सदस्यों में संवेदनशीलता जागृत करने का प्रयास करें ताकि वे बाल संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को समझें एवं महसूस करें।)

बताइए

बाल संरक्षण : "बाल संरक्षण को यदि साधारण शब्दों व्यक्त किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण अथवा बच्चों का उपेक्षा, हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण इत्यादि से संरक्षण करना ही बाल संरक्षण है।"

- यदि हम वास्तविकता में देखें तो आशा जैसे हजारों बच्चे हर साल घर छोड़ देते हैं और तस्करों एवं बुरे लोगों के हाथों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इसके पीछे बच्चे दोषी हैं या फिर परिवार?
- हमारा समाज भी उतना ही दोषी है। जब भी सुरक्षा की बात आती है तो हम हमेशा बाहर की ही सोचते हैं जबकि वास्तव में सुरक्षा घर से शुरू हाती है।
- बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये शुरूआत अपने आप से करनी होगी, आशा की तरह अन्य बच्चों के अधिकारों का जब हनन होता है तो यहां उनकी बदनसिबी न होकर समाज में रहने वाले लोगों की संकीर्ण सोच, अनभिज्ञता, जागरूकता का अभाव एवं स्वार्थ छिपा होता है।
- ऐसे सभी रीतिरिवाजों एवं मानसिकताओं पर फिर से विचार करना होगा एवं दूसरों को भी जगाना होगा जो बाल संरक्षण के विरोधी हैं। जैसे – लड़के लड़कियों में भेद करना, बाल विवाह, बालश्रम, रंग भेद, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेद इत्यादि।

- बाल अधिकारों के हनन को तब तक रोकना संभव नहीं है जब तक इसके लिये आवाज नहीं उठायी जाये। चाहे वह अनुशासन के नाम पर बच्चों को दिये जाने वाला शारीरिक दण्ड हो या किसी बच्चे को दिया जाने वाला मानसिक उत्पीड़न, हमें अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए इनके विरोध में आगे आना होगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत की बैठकें पूरी पंचायत के लिये होना सबसे बड़ा मंच होता है। यहां सभी समस्याओं के निदान एवं भावी योजनाओं के लिये चर्चा की जाती है। बच्चे आज भी इस मंच का हिस्सा नहीं बन पाये है। अतः बच्चों को इस मंच का हिस्सा बनाने की जरूरत है ताकि वे अपनी बात निर्भीकता से कह सकें।
- बाल संरक्षण की आवश्यकता शायद आज पंचायत स्तर पर इसलिये भी है कि हम इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझकर बच्चों के सर्वोत्तम हित मे कार्य कर सकें। हम बच्चों से जुड़े सभी मुद्दों को बच्चा बनकर समझने का प्रयास करें एवं उनके साथ होने वाले व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर ही निर्णय लें सकें।

वर्तमान में बाल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए कई पंचायतों द्वारा एक अनौखा प्रयास किया गया है। पंचायत बच्चों को समान अवसर प्रदान करते हुए अपनी बात रखने के लिये मंच प्रदान कर रही है। बच्चे अपनी समस्याओं को रख सकते है एवं अपने सुझाव भी सदस्यों को दे सकते हैं। इस प्रकार की पंचायतों को **बाल मित्र पंचायत** की संज्ञा भी दी जाती है। आने वाले प्रशिक्षणों / बैठकों में हम अपनी पंचायत को इस श्रेणी में किस तरह ला सकते हैं इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

चौथा सत्र

ICPS एवं PLCPC का सामान्य परिचय

विचारणीय बिन्दु :

★ बच्चों के लिये कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों की जानकारी।

★ समेकित बाल संरक्षण योजना की जानकारी।

★ समेकित बाल संरक्षण योजना के विभिन्न घटक।

★ पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की जानकारी।

अवधि – 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

❖ समेकित बाल संरक्षण योजना की आवश्यकता।

❖ समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत विभिन्न समितियां कौनसी है?

❖ हमारी समिति के गठन का महत्व।

हमें ही क्यो चुना गया?

बताइए अभी तक की चर्चा से यह तो हमें मालूम हो गया कि बाल अधिकार क्या हैं?बाल संरक्षण क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? परन्तु अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो?

ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि सभी बच्चों को उनके अधिकार मिलें?

बाल अधिकारों के हनन को रोका जाए।

इससे पूर्व फिर से मै (प्रेरक) आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

क्या आप जानते है कि बच्चों से संबंधित कौन–कौन से विभाग कार्यरत है?

(प्राप्त उत्तरों को प्रेरक सभी के सामने प्रदर्शित चार्ट पर लिखता जाए।)

संभावित उत्तर :

1. शिक्षा विभाग (विद्यालय)
2. महिला एवं बाल विकास विभाग (आंगनवाडी, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अन्य)
3. स्वास्थ्य विभाग (ए.एन.एम, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि)

(यदि सदस्यों द्वारा कोई अन्य विभाग बताए जाएं तो प्रेरक उन्हें भी चार्ट पर लिखे। अब इन प्रश्नों के उत्तरों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्न केस स्टडी पर सभी का ध्यान आकर्षित करें।)

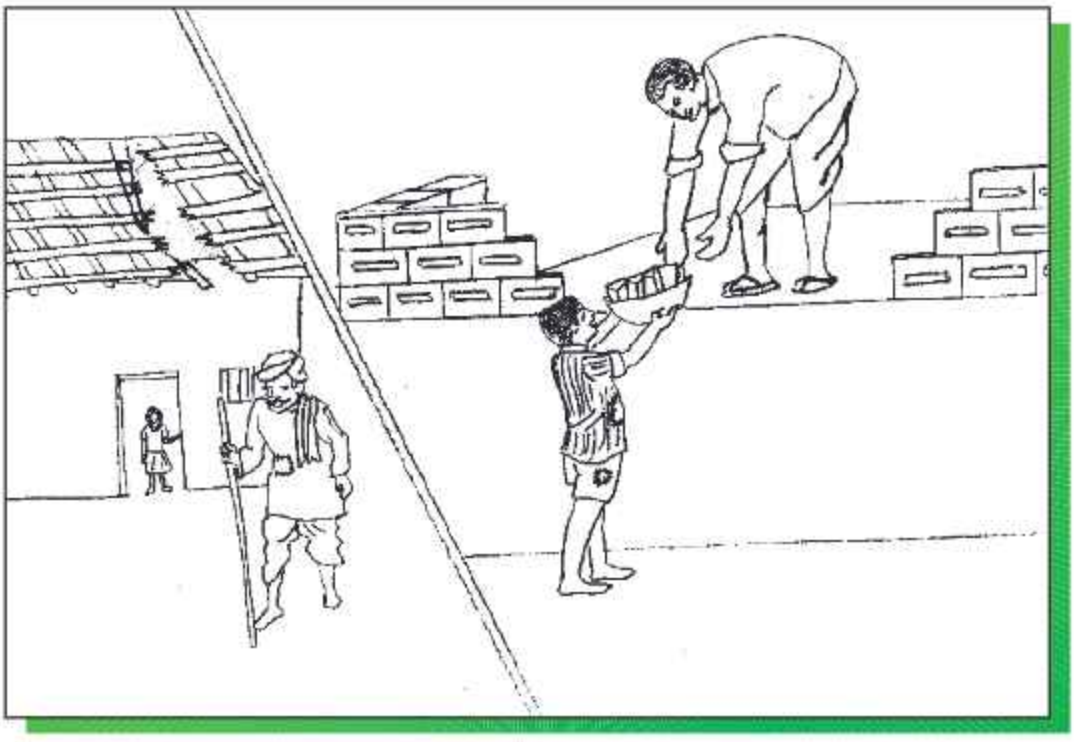

☞ **रामू** पहाडी गांव में रहने वाला 14 वर्ष का बालक है, जिसके पिता की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हो गयी थी और माता ने अपना घर छोड़ किसी अन्य व्यक्ति से इस वर्ष विवाह कर लिया। रामू अपनी छोटी बहन सुशीला के साथ अपने 70 वर्षीय दादा के पास रहता है। आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने से रामू अपनी पढ़ाई छोडकर शहर में श्रम कर्यो हेतु चला जाता है। एक दिन ईटों से भरी तगारी उठाते समय ईटें पैर पर गिर जाती है जिससे गहरी चोट आती है। अस्पताल में इलाज के दौरान किसी गैर सरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधि का ध्यान रामू की अवस्था पर जाता है और वह तुरन्त पता लगाता है कि रामू के साथ क्या चल रहा है? स्थिति को समझकर NGO प्रतिनिधि निकटतम पुलिस स्टेशन को फोन करता है।

पुलिस द्वारा श्रम विभाग एवं बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उचित कार्यवाही की जाती है।

अब रामू गांव में स्थित राजकीय विद्यालय में 8 वीं कक्षा में पढ़ रहा है व उसकी बहन सुशीला आंगवाड़ी में जा रही है, इन दोनों को पालनहार एवं दादाजी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है।

(केस स्टडी सुनाने के बाद प्रेरक सभी से निम्नांकित प्रश्न पूछकर चर्चा करें।)

प्र.1 रामू और सुशीला के लिए कौन–कौन से विभाग /संगठनों ने सहयोग किया?

संभावित उत्तर :
- : स्वास्थ्य विभाग (अस्पताल)
- : शिक्षा विभाग (विद्यालय)
- : पुलिस विभाग (पुलिस स्टेशन)
- : महिला एवं बाल विकास विभाग (आंगनवाड़ी)
- : साामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पेंशन योजना)
- : गैर सरकारी संगठन (NGO)
- : बाल कल्याण समिति (CWC)
- : ग्राम पंचायत (फार्म भरवाने एवं अन्य सहयोग)
- : श्रम विभाग
- : अन्य कोई

यहां एक स्थिति से आप को अवगत करवाया गया। अब शायद आपके ध्यान में भी कोई घटना या प्रसंग आ रहा होगा तब आपको भी कई विभागों में अलग–अलग बच्चों के लिए जाना पडा होगा अथवा काम करना पडा हो। कृपया ऐसी घटना सुनाएं।

प्र.2 क्या आपको नहीं लगता कि सभी को साथ जोड़कर बच्चों के लिये योजना अथवा कार्य करने की आवश्यकता है?

संभावित उत्तर : हॉ, परन्तु इस पर तो सरकार को सोचना होगा।

- मुझे यह बतलाते हुए खुशी है कि सरकार ने इस पर विचार करते हुए एक योजना फरवरी – 2009 में लागू की जिसका नाम – "समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)" रखा।

बताइए

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार /राज्य ऐसे तंत्र का निर्माण करे जो बाल संरक्षण के दायित्व को पूरा करने में योगदान करें। जिससे बच्चों को प्रभावी एवं भली प्रकार से संरक्षण प्राप्त हो सके।

- यह योजना "बच्चों के संरक्षण के अधिकार" एवं सर्वोत्तम बाल हित पर आधारित है।

बाल संरक्षण से अभिप्राय बच्चों को हिंसा, शोषण, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार से बचाना है। जबकि "सर्वोत्तम बाल हित" से अभिप्राय है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे के हित एवं इच्छा को सर्वोपरि रखकर उसके हितार्थ कार्य किया जाये अथवा निर्णय लिये जावें।

इस योजनान्तर्गत :

1. 0–18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सम्मिलित है।
2. इस आयु वर्ग की विभिन्न श्रेणियों जिनमें विशेष देखरेख एवं आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं।
3. ये श्रेणियां बच्चों के लिए बनाए गए विशेश कानून में निर्देशित की गई हैं।
4. बच्चों से संबंधित समस्त विभागों एवं योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिये कार्य करने का प्रयास किया गया है।
5. विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग समितियों का गठन किया गया है, जिनमें वर्णित समस्त विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है।

- मुख्यरूप से इन समितियों में निम्नांकित विभाग / संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं –
  1. महिला एवं बाल विकास विभाग
  2. पुलिस विभाग
  3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  4. शिक्षा विभाग
  5. न्याय एवं विधि विभाग
  6. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
  7. शहरी मूलभूत सुविधा (शहरी क्षेत्र में)
  8. ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण क्षेत्र में)
  9. जिला स्तरीय / वार्ड / उपखण्ड स्तरीय / पंचायत स्तरीय अधिकारी
  10. स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि
  11. पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि
  12. युवा सेवाएं

नोट– उपरोक्त विभागों / समूहों के प्रतिनधियों की किसी भी घटक में सदस्यता पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रमुख घटक निम्न है–

1. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (S□C□P□S)
2. जिला बाल संरक्षण इकाई (D□C□P□U)

3. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (B□L□C□P□C)

4. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति(P□L□C□P□C)

(नोट– उपरोक्त घटकों के बारे में विस्तार से अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।)

बताइए

इन चारों घटकों के बारे में हम आगामी बैठक में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे एवं यह भी जानेगे कि राज्य से पंचायत स्तर तक इन सभी समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी एवं इनका आपस में किस प्रकार जुड़ाव है?

हमारी समिति अर्थात PLCPC इन सब समितियों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि यही वों समिति है जिनके द्वारा बाल संरक्षण के मुद्दों की पहचान कर कार्य किया जाएगा जो आगे तक सम्पादित होगा।

हमारी समिति (PLCPC) के गठन के प्रमुख उद्देश्य –

- ☞ बाल अधिकार व बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझ बनाना।
- ☞ ग्राम स्तर पर बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करना।
- ☞ बाल–कल्याणकारी योजनाओं व बच्चों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिये कार्यरत विभिन्न विभागों के प्रति जागरूक होना या जानकारी रखना।
- ☞ मुशकिल में उलझे या समस्याग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें सहायता पहुंचाना व सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचाना।
- ☞ प्रत्येक बच्चे को पूर्ण गरिमा व सम्मान के साथ बिना किसी भेदभाव के उसके अधिकारों की प्राप्ति कराना।
- ☞ बाल मित्र पंचायत हेतु उचित वातावरण निर्माण करना।
- ☞ बाल संरक्षण व बाल कल्याण सेवाओं की पहुंच व निगरानी में सहयोग करना ।

- शायद सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यह सब कैसे सुनिश्चित हो पायेगा। इस हेतु सबसे बड़ी जरूरत हमें होगी अपनी पंचायत में बच्चों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने की। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की इस बैठक के अंत में आप सभी को दी जायेगी।
- शायद अब आपको यह भी अन्दाजा लग गया होगा की जिन सभी विभागों की बात हमने इस चरण के प्रारम्भ में कहानी द्वारा समझी थी वही विभाग के प्रतिनिधि एवं प्रमुख व्यक्ति हमारी समिति में सम्मिलित है।

(इस सत्र के अन्त तक सभी को थोडी बहुत जानकारी अपनी समिति की एवं ICPS की हो गयी होगी, समिति के कार्यो को लेकर शायद सभी में अभी काफी उत्सुकता एवं जिज्ञासा हो सकती है, प्रेरक यहां यह स्पष्ट करें कि आगामी सत्र (पांचवे सत्र) में जो हमें कार्य दिया जायेगा उसके आधार पर हम अगली बैठक में पुनः विस्तार से अपनी समिति के कार्यों, दायित्वों को समझेंगे।)

पांचवा सत्र

बच्चों संबंधी आंकड़ों के संकलन हेतु सदस्यवार जिम्मेदारी

समय 30 मिनिट

(इस सत्र में कोई जानकारी अथवा सूचना नहीं दी जा रही है बल्कि प्रेरक द्वारा आज की बैठक प्रारम्भ होने से अब तक जो चर्चा की गई है उसके आधार पर अपनी पंचायत की PLCPC की आगामी योजना एवं बैठक में सहायक सूचनाओं को एकत्र करने हेतु सदस्यवार जिम्मेदारी दी जाएगी तत्पश्चात आज की बैठक का समापन होगा।)

बताइए

- आज हमने कई विषयों पर चर्चा की। कई बातें आपको नई जानने को मिली। हो सकता है कुछ विषयों पर अभी भी आपके मन में जिज्ञासा या संदेह हो। आज केवल हमने ऊपरी ज्ञान या साधारण शब्दों में कहें तो सतह को ही छुआ है। आगामी बैठकों में प्रत्येक विषय पर गहराई से क्रमबद्ध चर्चा होगी परन्तु उसके लिए एक आवश्यक कार्य हमें करना होगा।
- हमें अगली बैठक तक बच्चों संबंधी सूचनाओं एवं जो भी जानकारी उपलब्ध हो उसे एकत्र करना होगा।
- मुख्यरूप से इसमें जो सरकार द्वारा उपलब्ध है, पहले हम उन्हें देखें, तत्पश्चात वार्ड वार बच्चों की स्थिति का पता लगावें।

आंगनवाडी कार्यकर्ता : पूरी पंचायत में 0–6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या, आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चों की संख्या, नियमित आ रहे बच्चों की संख्या एवं अन्य कोई जानकारी को इस उम्र के बच्चों की उपलब्ध हो सहायक रहेगी (B□G□T प्रारूप में)

प्रधानाध्यापक : CTS के अनुसार हमारी पंचायत में कुल विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों की सूची, वर्तमान में कितने बच्चे नोडल प्रभारी के अुनसार विद्यालय से नहीं जुड़ पाये हैं, 7 दिन से ज्यादा वर्तमान में विद्यालय में अनियमित बच्चों की सूची, विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक–छात्र अनुपात, विद्यालयवार अन्य कोई जानकारी 6–14 वर्ष के बच्चों की।

ए.एन.एम : बच्चों के टीकाकरण की स्थिति, कितनी किशोरी बालिकाएं पंचायत में है, क्या सुविधाएं उन्हें नियमित दी जानी चाहिये, पंचायत में गर्भवती महिलाओं की संख्या (उनमें कोई बालिका 18वर्ष से कम उम्र की हो तो अलग से जानकारी उपब्लध करवायें), पंचायत में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति, अन्य कोई सूचना।

बाल कल्याण अधिकारी (CWO↑ : 18 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चों से संबंधित मामले थाने में दर्ज है, बालश्रम की स्थिति, गत वर्ष में कितने मामले बच्चों से संबंधित है उनका विवरण ।

वार्ड पंच (समस्त) : वार्डवार बच्चों की स्थिति का पता लगावें, कितने बच्चे अनाथ हैं?कितने विधवा माता के बच्चे हैं?, विकलांग बच्चों की सूचना पेंशन का कोई लाभ मिल रहा है या नहीं?(अपने वार्डवार सूचना एकत्र करें)

DCPU द्वारा नामित : बाल संरक्षण संबंधित कोई योजना अथवा नई कोई सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी जो बच्चों से संबंधित हो वो उपलब्ध करवाऐ, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता संबंधी जानकारी।

ग्राम सचिव : पंचायत में कितनी आबादी है, परिवारों की संख्या, बच्चों की संख्या (0–18वर्ष), SSS संबंधित कितने फार्म भरे गये हैं, कितनों का इनमें PPO जारी हो गया है, कितनों को नियमित लाभ मिल रहा है?

सरंपच : ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए क्या कार्य करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, संसाधनों की उपलब्धता।

SMC अध्यक्ष : समिति की बैठकें कब–कब होती है, कितने विद्यालयों में SDP बन गयी और उनका क्या फॉलोअप हो रहा है? वर्तमान में विद्यालय की आवश्यकता, बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या हैं।

बाल प्रतिनिधि : आपके विद्यालय में कौन–कौन से बच्चे रोज स्कूल नहीं आते है, आपके विद्यालय में क्या आवश्यकता है, पंचायत से क्या चाहते है?, बाल मंच फोरम बना हुआ है अथवा नहीं ?, सबसे दूर से कौन से बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं?, अन्य आवश्यक मुद्दे। आपके विद्यालय में किस तरह का वातावरण है?

समुदाय प्रतिनिधि : पंचायत में बच्चों के लिए क्या जरूरी है?बच्चों की प्रमुख समस्या क्या है?बाल श्रम की स्थिति, बाल विवाह की स्थिति, अन्य।

छठा सत्र

क्या सीखा ? क्या पाया ? समापन

अवधि – 15 मिनिट

इस सत्र में प्रेरक उपस्थित सदस्यों से अब तक पांच सत्रों में की गयी बातचीत एवं गतिविधी के आधार पर प्रश्न पूछेंगे।

1. बालक किसे कहते हैं?
2. ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण हेतु कौन सी समिति कार्यरत है?
3. बालकों को कौन–कौन से बाल अधिकार प्राप्त है?
4. राज्य स्तर पर बाल संरक्षण हेतु कौन सी इकाई काम करती है?
5. बाल संरक्षण क्यों आवश्यक है?

(इस प्रकार आज की बैठक/प्रशिक्षण में सभी को जिम्मेदारी देते हुए, सरल एवं स्पष्ट कार्य दिये जा सकते हैं, साथ ही अगली बैठक की तिथि निश्चित कर सभी को समय बता दिया जावे। अगली बैठक में इस सूचना के साथ उपस्थित हो यह भी बतावें। यदि कोई कार्य या विषय इच्छा से लेना चाहे तो ऐसे सदस्य को प्राथमिकता देवें।)

– समिति के सदस्य को अब खड़े होकर संकल्प करवाया जावे। तत्पश्चात गीत /भजन से बैठक / प्रशिक्षण का समापन किया जावे।

दूसरी बुनियाद (समेकित बाल संरक्षण योजना और हमारी समिति के लक्ष्य निर्धारण)

अध्याय एक नज़र में :

पहली बैठक मे दी गयी व्यक्तिवार जिम्मेदारी के अनुसार आज की बैठक/प्रशिक्षण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बच्चों की स्थिति का आंकलन करने के साथ ही समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) को ओर ज्यादा विस्तार से समिति सदस्यों को प्रेरक द्वारा परिचित करवाया जायेगा, जिसमें सदस्य ICPS के घटकों एवं अपने दायित्वों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के प्रशिक्षण के अंत में पंचायत प्रोफाईल निर्माण कार्य की शुरूआत भी की जायेगी।

उद्देश्य :

1. ग्राम पंचायत में बच्चों की वर्तमान स्थिति (डाटा के अनुसार) का आकलन ।
2. ICPS एवं इसके घटकों की जानकारी।
3. PLCPC के कार्य एवं सदस्यों के दायित्वों की जानकारी
4. पंचायत प्रोफाईल का निर्माण करना।

आयोजन संरचना :

बैठक में सत्र	:	छः
प्रतिभागी	:	PLCPC के समस्त सदस्य
स्थान	:	सभी के सुविधानुसार पंचायत का कोई सार्वजनिक स्थल (रा.गाँ.से.केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन) जहां पूरी बैठक के मध्य व्यवधान ना रहे।
सामग्री	:	बैठने की व्यवस्था, कंकु, तस्वीर PLCPC रजिस्टर, पैन, सहायक पठन सामग्री (उपलब्ध हो तो) चार्ट स्केच पैन।
अवधि	:	न्यूनतम 3:30 घंटे अधिकतम 4:30 घंटे

सत्र की रूप रेखा :

क्र.स	विषय	प्रक्रिया	समय (मिनिट)
1	प्रार्थना एवं परिचय	गीत, भजन द्वारा वातावरण निर्माण एवं रोचक गतिविधि द्वारा परिचय	30
2	बच्चों की वर्तमान स्थिति का आकलन	कहानी, प्रश्नोत्तर, चर्चा	60
3	ICPS एवं इसके घटक	चार्ट प्रदर्शन, विचार विमर्श	30
4	PLCPC के कार्य एवं सदस्यों के दायित्व	प्रश्नोत्तर, चित्र प्रदर्शन, गतिविधि	60
5	पंचायत प्रोफाईल का निर्माण	चार्ट प्रदर्शन, सामुहिक चर्चा, गतिविधि	60
6	क्या सीखा? क्या पाया?	प्रश्नोत्तर , चर्चा	15

चर्चा कैसे करें :

आज की बैठक / प्रशिक्षण में हम अपने निर्धारित उद्देश्य एजेन्डे के अनुसार छः सत्रों में बातचीत करेंगे –

पहला सत्र

प्रार्थना एवं परिचय

समय 30 मिनिट

- सर्वप्रथम प्रेरक द्वारा सभी का स्वागत कर भजन / प्रेरणादायक गीत / देश भक्ति गीत इत्यादि में से किसी एक का आयोजन कर, सरपंच महोदय से दीप प्रज्जवलन कराएं तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरूआत की जाए।
- सभी का तिलक लगाकर अभिनन्दन एवं आपस में परिचय।

  (आपस में परिचय हर बैठक के प्रारम्भ में करवायी जाने वाली आवश्यक गतिविधि है, प्रत्येक बार परिचय से सभी प्रतिभागी आपस में एक दूसरे के पद नामों से भलीभांती परिचित हो जायेंगे एवं इनमें झिझक दूर होकर बोलने की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा।)
- परिचय के पश्चात प्रेरक आये हुए सभी पदाधिकारियों से उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करें एवं गत बैठक के बारे मे कोई प्रश्न या संदेह हो तो वह जाने।

  (प्रेरक विभिन्न गतिविधि के द्वारा भी पूर्व बैठक की समीक्षा करवा सकते है। जैसे समिति के सदस्यों से गत बैठक की जानकारी अन्य सदस्यों को देने का आग्रह किया जाए। प्रत्येक सदस्य अलग – अलग सत्रों की जानकारी दे सकते है तद्पश्चात प्रेरक द्वारा आज के उद्देश्यों की संक्षिप्त जानकारी दी जानी चाहिये)

दूसरा सत्र

ग्राम पंचायत में बच्चों की वर्तमान स्थिति का आकलन

विचारणीय बिन्दु

★ सदस्यवार लायी गयी बच्चों की सूचनाओं पर चर्चा

★ ग्राम पंचायत के बच्चों की स्थिति का आकलन

अवधि – 60 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

❖ गांव के सभी बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह हैं एवं इनके संरक्षण के लिए हमें कुछ सोचना होगा।

❖ वर्तमान में गांव के 0–18 वर्ष अन्तर्गत समस्त बच्चों की क्या स्थिति है?

❖ अगले सत्र में जाने की एक दिशा, सोच मिलेगी।

इस सत्र की शुरूआत एक काल्पनिक कहानी से होगी तत्पश्चात प्रेरक समिति को ग्राम पंचायत के प्राप्त डाटा एवं स्थिति से अवगत करवायेगा।

बताइए

काल्पनिक कहानी :

(प्रेरक थोडी भूमिका बनाते हुए गांव में बच्चों की स्थिति को समझाने के लिए उन्हें एक गांव की बच्ची राधा की कहानी समझाने का प्रयास करें।)

मासूम राधा

राधा गांव गुडा की रहने वाली विधवा माता की 15 वर्ष की पुत्री है, उसकी बड़ी बहन कमला 17 वर्ष की मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर (विशेष योग्यजन) है। पिता की एक हादसे में मृत्यु हो जाने के पश्चात कुछ समय राधा की माँ पार्वती ने मजदूरी की परन्तु अब बीमारी एवं ज्यादा उम्र के चलते वह घर पर ही रहती है। छोटी जोत एवं रोजगार का कोई भी साधन नहीं होने के कारण मासूम राधा को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर श्रम कार्यों में लगना पड़ा। पहले वह गांव में मजदूरी करती थी परन्तु पिछले छः महिनों से वह शहर में जाकर एक घर में काम करती है, जहां उसे 1000 /– का मासिक वेतन मिलता है। इन्हीं रूपयों से वह अपने घर को चला रही है। पिछले दो महिनों से न ही राधा ने घर पर रूपये भेजे हैं और न ही उसकी कोई सूचना उसकी बीमार माँ को मिली है। यह सोचकर उसकी माँ अब चिन्तित है कि बेटी किस हाल में होगी?

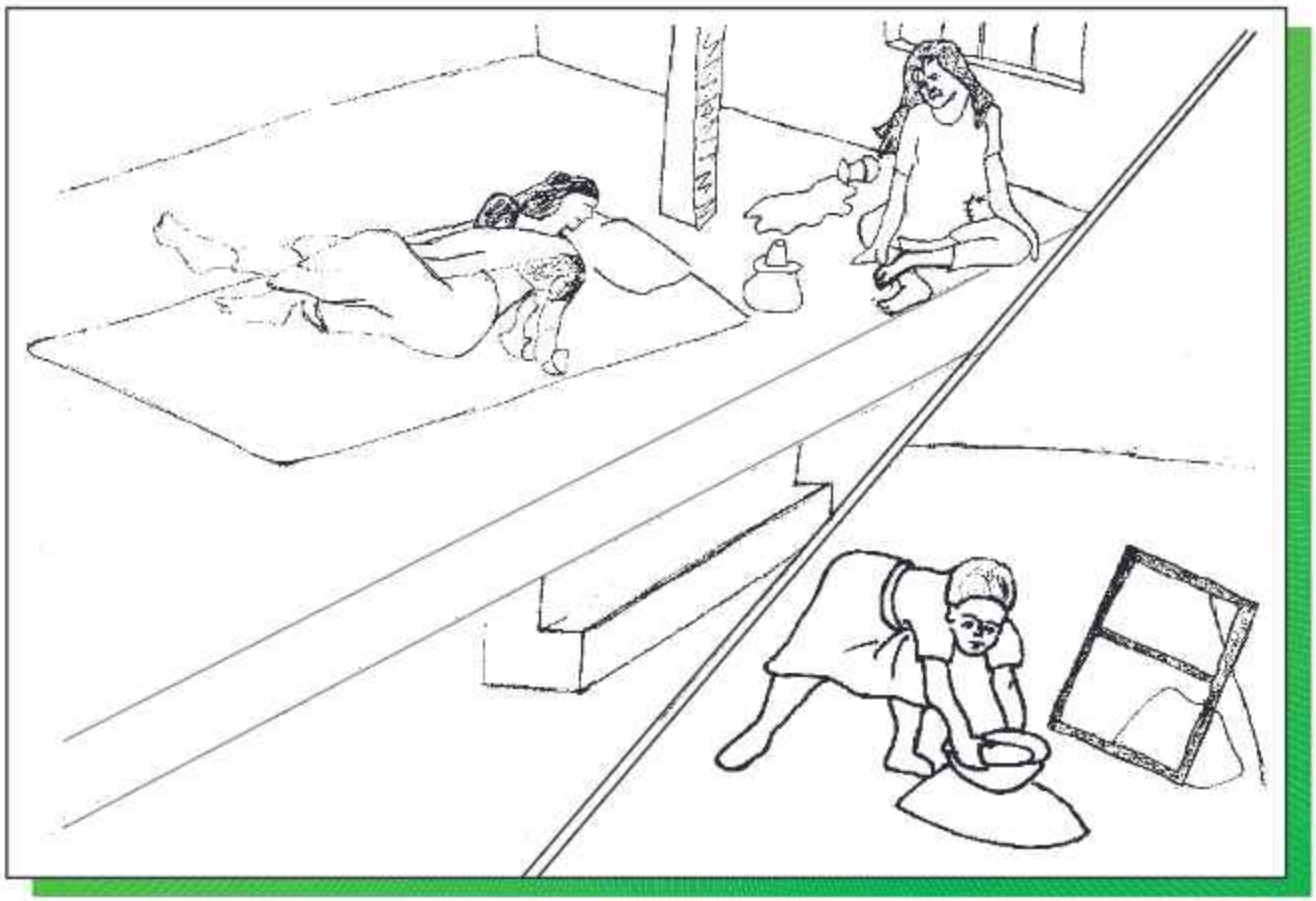

इस कहानी के बाद प्रेरक कुछ प्रश्न समिति के सदस्यों से पूछे :

प्र.1 क्या ऐसी घटना आपके क्षेत्र या किसी गांव की हो सकती है?

(प्रेरक कम से कम 15 मिनिट चर्चा करें और सभी कि भागीदारी (पुरूष एवं महिला) के साथ जो भी जवाब आये इन्हें चार्ट पर लिखे । हाँ अथवा नहीं दोनों ही स्थिति में जवाब की गहराई में जाए।)

प्र.2 राधा किस हाल में होगी? सोचकर बताइये।

प्र.3 क्या किसी सरकारी योजना का राधा को लाभ मिल सकता था?

प्र.4 राधा के साथ क्या–क्या गलत हो रहा है या हुआ था ?

प्र.5 क्या अगर गांव का कोई समझदार व्यक्ति या पंचायत का व्यक्ति इस पर पहले गौर करता तो क्या स्थिति होती?

प्रेरक अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सदस्यो का ध्यान इस ओर ले जाएँ कि राधा की तरह और कौन–कौन से बच्चे इस तरह कहीं फँसे हुए या मुसीबत में हो सकते हैं –

1. अनाथ बच्चे, विधवा माता के बच्चे।
2. विद्यालय से अनामांकित या पढ़ाई छोड़ कर गांव से बाहर रह रहे बच्चे।
3. अशिक्षित या जागरूकता की कमी वाले वे परिवार जो अनजाने में बच्चों को कही भेज देते हैं।
4. बाल श्रमिक ।
5. बिल्कुल गरीब या आजीविका में सहयोग की अपेक्षा वाले परिवार के बच्चे।
6. या कोई अन्य जवाब

बताइए **प्रेरक अब अपनी इस पंचायत के डाटा से पदाधिकारियों को अवगत कराये।**

- ..... बच्चे शिक्षा से वंचित हैं (CTS के अनुसार)।
- ..... बच्चे रोज विद्यालय नहीं आते (प्रधानाध्यापक से प्राप्त जानकारी के अनुसार)।
- ..... बच्चे गांव में या कहीं भी श्रम कार्य कर रहे हैं।
- ..... बच्चे आंगनवाडी में हैं परन्तु होने चाहिये थे .....
- ..... बच्चों का बाल विवाह होता है या गत दो वर्षों में हुआ है।

(उक्त सभी जानकारी / डाटा प्रेरक द्वारा पूर्व में ही सदस्यों से प्राप्त कर लिए जायें, यह वही सूचनाएं हैं जिन्हें गत बैठक में व्यक्तिवार जिम्मेदारी देते हुए लाने को कहा गया था।)

प्रेरक द्वारा प्रश्न पूछा जाए।

प्र.1 क्या बच्चों को सुरक्षा की जरूरत होती है?

प्र.2 क्या ग्राम पंचायत में बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है?

प्र.3 क्या सरकार द्वारा इस पर कुछ सोचा जा रहा है?

(प्राप्त उत्तरों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रेरक सभी सदस्यों को यह बात समझाए कि इन्हीं सब प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के लिये सरकार द्वारा हमारी इस समिति का गठन किया गया है।)

- सरकार द्वारा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत प्रत्येक स्तर पर समितियां बनायी गयी हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे और आज हमारे मिलने के सबसे बड़े उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे।

इस सत्र के अंत तक सभी में बच्चों के लिए संवेदनशीलता एवं अपनी समिति की महत्ता की समझ बन गयी होगी।

तीसरा सत्र

समेकित बाल संरक्षण योजना एवं इसके घटक

विचारणीय बिन्दु :

★ समेकित बाल संरक्षण योजना की जानकारी।

★ समेकित बाल संरक्षण योजना के घटकों की जानकारी।

अवधि – 30 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ –

❖ समेकित बाल संरक्षण योजना का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ है?

❖ योजनान्तर्गत प्रत्येक स्तर पर किन–किन समितियों का गठन किया गया है?

बताइए

ICPS (समेकित बाल संरक्षण योजना) :

भारत सरकार ने बच्चों की देखभाल, सुरक्षा एवं बच्चों की विभिन्न सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए, पूर्व से संचालित एवं नवीन योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से 11 वीं पंचवर्षीय योजना में "समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)" को तैयार किया था, जिसे वर्ष 2009 में लागू किया गया।

इसके अन्तर्गत हर स्तर पर एक समिति को बनाया गया है जो सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति एवं निगरानी के लिए गठित की गई है।

राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (RSCPS)

↓

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)

↓

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BLCPC)

↓

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC)

(प्रेरक इन समस्त समितियों के नाम चार्ट पर प्रदर्शित करें एवं एक–एक करके सभी की संक्षिप्त परन्तु महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों को बताये, अंत में PLCPC पर जाकर प्रेरक थोड़ी जानकारी देते हुए अगले सत्र की भूमिका बनाये।)

1. राजस्थान राज्य बाल सोसायटी (RSCPS)

समेंकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य घटक के रूप में राज्य स्तर पर RSCPS का गठन किया गया है। इसका मुख्य कार्य किशोर न्याय अधिनियम का राज्य में प्रभावी क्रियान्वन एवं ICPS अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं, एजेन्सियों को सहयोग एवं निगरानी रखना है। सोसायटी के अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव सदस्य होंगे।

2. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)

प्रत्येक जिले में ये इकाई ICPS योजना के तहत RSCPS के अंग के रूप में कार्य करेगी। इस इकाई पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण (अध्यक्ष) जिला कलक्टर/मजिस्ट्रेट का होगा तथा जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

3. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BLCPC)

पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 4 दिसम्बर 2012 में जारी आदेशानुसार प्रत्येक जिले के समस्त ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाना है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायत समिति के प्रधान एवं सचिव पंचायत समिति के विकास अधिकारी होंगे। समिति का मुख्य कार्य ICPS अन्तर्गत संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहूंच एवं विभिन्न कार्यक्रमों की सतत निगरानी में पंचायत एवं ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

4. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC)

बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव होंगे साथ ही स्थानीय प्रधानाध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्थानीय बच्चों की भागीदारी भी समिति में सुनिश्चित की गयी है।

(प्रेरक इस बात पर जोर दे कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति हमारी PLCPC है क्योंकि जब तक निचले स्तर पर बाल संरक्षण की समझ नहीं बनेगी , बाल अधिकारों के मुद्दों पर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक आगे की समितियां भी सक्रिय होकर कार्य नहीं कर पायेगीं।

इसलिये PLCPC की विस्तृत जानकारी , सरकार की समिति से अपेक्षाएं और समिति के कार्य को समझना अत्यन्त आवश्यक है और यही कार्य हम आगे के सत्र में करने जा रहे हैं।)

चौथा सत्र

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति ↑ PLCPC↑ के कार्य एवं सदस्यों के दायित्व

विचारणीय बिन्दु

★ PLCPC के कार्यों की जानकारी।

★ PLCPC के सदस्यों के दायित्वों की जानकारी।

अवधि – 60 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

❖ PLCPC का गठन किस अवधारणा एवं उद्देश्य से हुआ है?

❖ सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार समिति से क्या अपेक्षाएं है?

बताइए

समिति के सदस्यों के दायित्व क्या है?

(इस सत्र में प्रेरक सावधानी एवं सरलता से सदस्यों को समझते हुए प्रत्येक जानकारी देवे, इसी सत्र से आगामी बैठकों / प्रशिक्षणों को बल मिलेगा एवं सदस्यों का रूझान अपनी समिति के प्रति बनेगा।)

- हम सभी ने हमारी समिति अर्थात पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के प्रमुख उद्देश्यों पर पहली बैठक में चर्चा की थी।

(प्रेरक द्वारा कुछ साधारण प्रश्न पुछे जाये। जिससे पूर्व बैठक के प्रमुख बिन्दु दोहराये जा सके।)

प्र.1 हमारी समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

प्र.2 हमारी समिति पंचायत में किस प्रकार के वातावरण निर्माण पर जोर देती है?

प्र.3 हमारी समिति को मुख्य रूप से किसकी निगरानी रखनी होगी?

संभावित उत्तर :

उक्त प्रश्नों के अलग–अलग उत्तर प्राप्त हो सकते हैं प्रेरक इन पर संक्षिप्त चर्चा कर सत्र को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में समिति की अवधारणा एवं कार्यो पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करें।

- **अवधारणा :**

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति क्यों ?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम – 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु।

पंचायत में सुरक्षित वातावरण के निर्माण हेतु।

बाल संरक्षण सेवाओं तक बच्चों की आसान पहुंच बनाने हेतु।

सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु।

सतत निगरानी तंत्र को विकास करने हेतु।

समुदाय एवं पंचायतीराज के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु।

- **कार्यकाल** : समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक, समाज के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित पंचायत समिति के सरपंच महोदय द्वारा किया जाएगा इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

- **समिति के कार्य :**

(राजस्थान सरकार द्वारा PLCPC के गठन एवं मागदर्शन हेतु जारी आदेशानुसार समिति के लगभग 30 प्रमुख कार्यो का वर्णन किया गया है प्रेरक द्वारा उक्त कार्यों की जानकारी को चार भागों में विभक्त कर गतिविधि के माध्यम से सरल भाष में समिति के सदस्यों को बताया जाए।)

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्यो को निम्न चार भागों विभक्त किया जा सकता है–

1. अभिलेख संधारण
2. समन्वय
3. बैठकों का आयोजन
4. समस्या – समाधान

गतिविधि :

(प्रेरक द्वारा चार्ट अथवा बोर्ड पर उक्त चार भागों की अलग–अलग सारणी बनाकर सदस्यों से इन पर चर्चा की जाये)

(?) प्रेरक द्वारा प्रश्न भी पूछे जा सकते है। जैसे–

प्र.1 हमें कौन–कौन से अभिलेख रखने चाहिए ?

प्र.2 हमारी समिति के बेहतर संचालन के लिये हमें किनसे समन्वय करना होगा ?

प्र.3 समिति के सामने क्या समस्याएं आ सकती है?

प्र.4 हमें कौन–कौन सी बैठक आयोजित करनी होगी अथवा भाग लेना होगा?

(प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करते हुए बिन्दुवार जानकारी संबंधित सारणी में दर्ज की जावे। यदि कोई कार्य शेष रह गया हो तो अंत में प्रेरक द्वारा प्रदर्शित सारणी से कार्यो को दर्ज किया जा सकता है।)

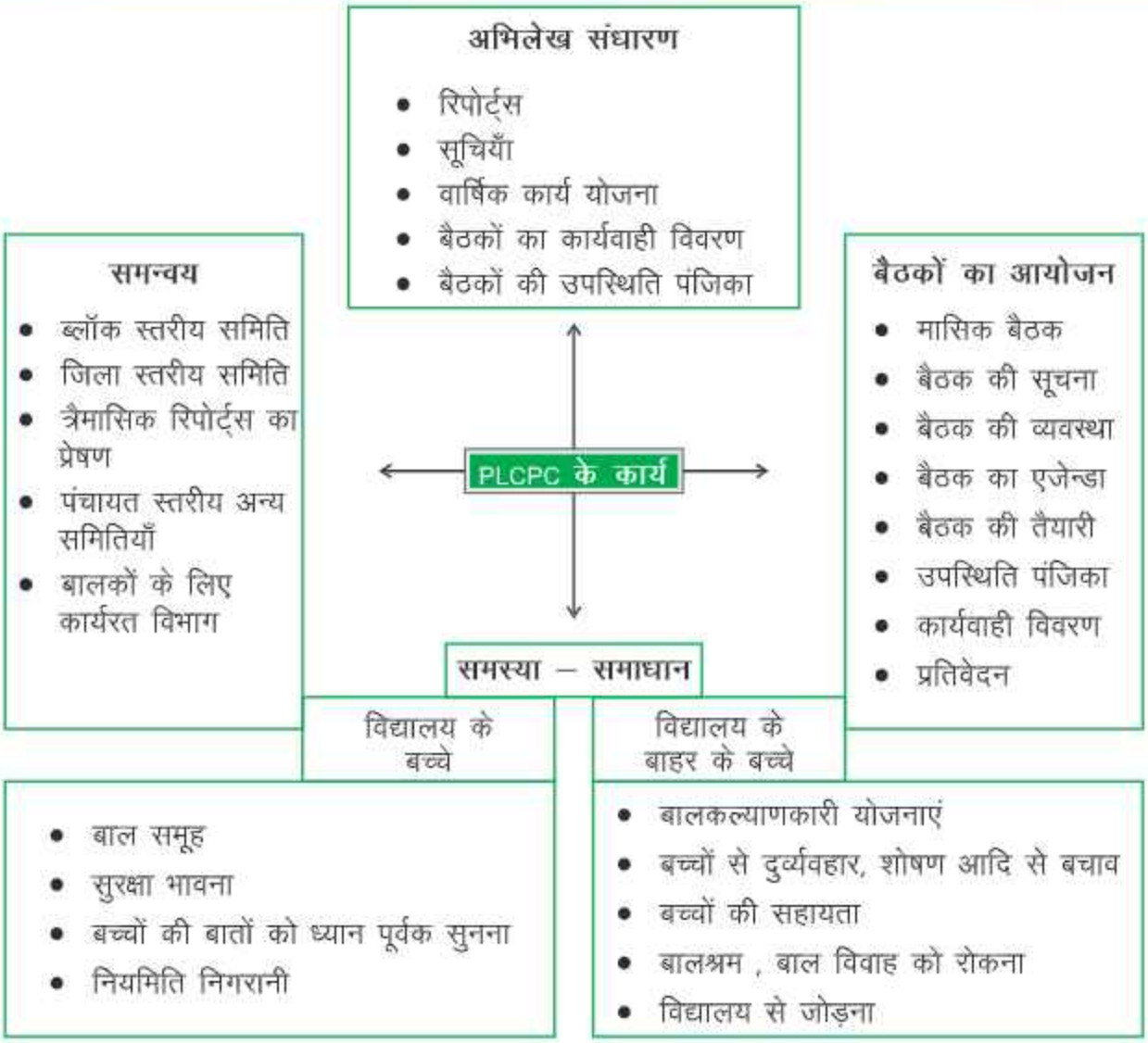

1. अभिलेख संधारण (अभिलेखों का रखरखाव) :

- ❖ गांव में बच्चों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना। (जैसे स्कूल में नामांकन, ड्रॉप आउट, अनियमित बच्चे, विद्यालय की पहुंच, शिक्षा हेतु देय सुविधाओं का विवरण, लाभान्वित बच्चों का विवरण, क्षेत्र में बालश्रम से जुड़े बच्चों का विवरण आदि पर)।
- ❖ वंचित वर्ग (अनाथ, एकल, विकलांग, शिक्षा से वंचित, बाल मजदूर, संभावित बाल विवाह या हो चुके बाल विवाह) की सूची तैयार करना।
- ❖ प्रत्येक बच्चे की देखरेख व सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखकर वार्षिक कार्य योजना तैयार करना व बच्चों को लाभान्वित करना।
- ❖ बच्चों हेतु संचालित विभिन्न सेवाओं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनवाडी व विभिन्न योजनाओं आदि की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना।

❖ **समिति की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट :** समिति द्वारा प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों का विवरण, लिए गये निर्णय तथा प्रगति से संबंधित जिनमें ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि को अनिवार्यता से प्रेषित किया जाना चाहिये।

समिति की रिपोर्ट में निम्न लिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाना चाहिये।

- त्रैमास के दौरान आयेाजित की गई बैठकों की संख्या व बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण।
- सम्पादित की गई गतिविधियों / कार्यक्रम आदि की विस्तृत रिपोर्ट।
- सुझाव / चुनौतियां / समस्याओं आदि का विवरण।
- पूर्व में भेजी गई जांच रिपोर्ट / शिकायतों आदि को संबंधित अधिकारी / विभाग जिनको प्रेषित किया है उसकी स्थिति आदि को विवरण।
- रिपोर्ट में बच्चों से संबंधित सूचनाएं आंकडों के साथ दर्ज की जाए जिससे सुविधापूर्वक प्रगति का अनुमान लगाया जा सके।

2. समन्वय करना :

❖ बच्चों के लिये कार्यरत विभागों (पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी आदि) से समन्वय स्थापित करना।

❖ किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्यवाही करना या संबंधित विभाग को सूचित करना।

❖ बच्चों से संबंधित आंकड़ों को समय–समय पर ब्लॉक व जिला स्तर पर संबंधित अधिकारों से अवगत कराना।

❖ बाल संरक्षण समिति द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रेषित करना।

❖ पंचायत स्तर पर कार्य कर रही जैसे स्थायी समिति, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ,शिक्षा समिति शाला प्रबन्धन समिति आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।

3. बैठकों का आयोजन :

❖ समिति प्रत्येक माह में एक बार व आवश्यकता होने पर एक से अधिक बार बैठकें आयोजित करेगी।

❖ अगली बैठक के आयोजन हेतु सभी सदस्यों की सहमति से दिनांक, स्थान व समय प्रथम आयोजित बैठक में तय किया जायेगा, या बैठक सूचना से तीन दिवस पूर्व समस्त सदस्यों को अवगत कराया जाए।

❖ प्रत्येक बैठक में कम से कम 50ः सदस्यों की उपस्थिति में किए गए निर्णय ही वैध (मान्य) होगें।

- ❖ बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में संधारित किया जायेगा व प्रति अनिवार्यता से जिला बाल संरक्षण इकाई, ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित की जाएगी।
- ❖ अध्यक्ष या सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता इनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- ❖ वर्ष में दो बार विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करवाना, जिनमें बच्चों के मुद्दों पर चर्चा हो ।

4. समस्याओं का समाधान :

- ❖ विद्यालय में संचालित बाल समूह व गांव के अन्य बच्चों के साथ वार्ता कर समस्या जानना।
- ❖ विद्यालय में संचालित बाल समूह की बैठक में भाग लेना व बच्चों में सुरक्षा व बाल संरक्षण समिति के प्रति विश्वास बढ़ाना।
- ❖ बाल विवाह, बालश्रम जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिये अभिभावकों व समुदाय को समझाना।
- ❖ बच्चों की बात को ध्यान से सुनना व सकारात्मक प्रतिक्रिया देना।
- ❖ बच्चों से बाल श्रम न करवाकर शिक्षा से जुड़ाव के प्रयास करना।

(अब प्रेरक द्वारा सदस्यों को नीचे प्रदर्शित चित्र दिखाएं जाए)

विद्यालय का चित्र

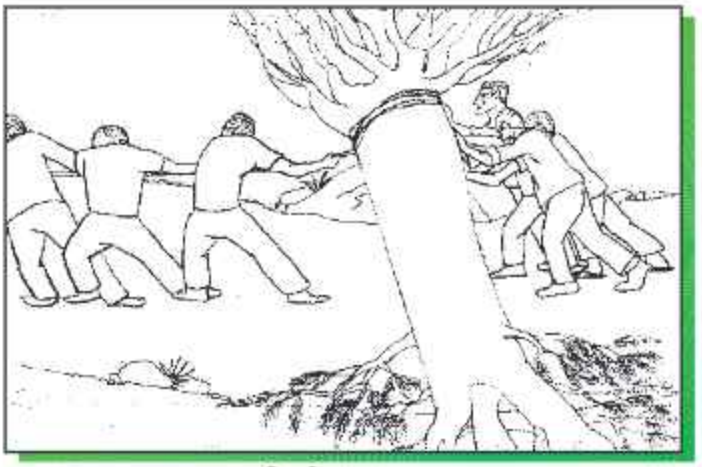

सम्मिलित प्रयास

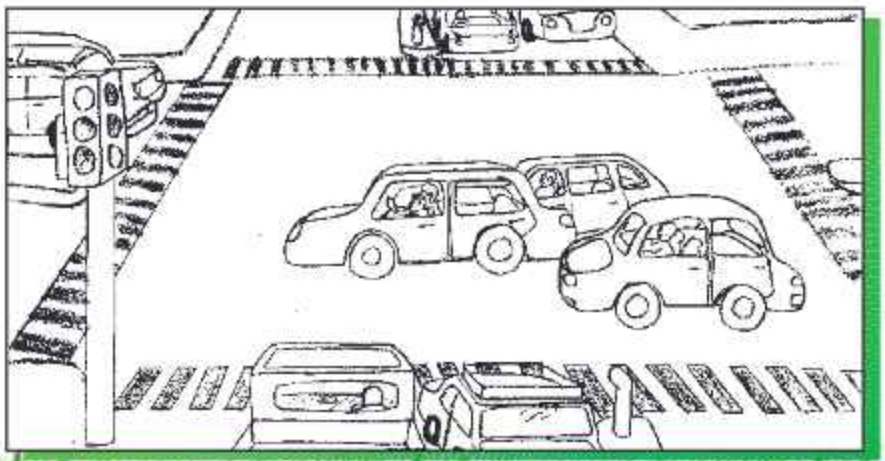

सड़क नियमों को प्रदर्शित करता चित्र

- चित्र दिखाने के बाद सदस्यों से पूछे

  यातायात नियम क्यों बनाये जाते है?

  अगर सभी मिलकर प्रयास न करें तो क्या होगा ?

  विद्यालय के लिए निश्चित समय क्यों है?

(अब सदस्यों से इन्हीं तीन चित्रों के आधार पर खुली चर्चा की जाये।)

आपकी / हमारी समिति के लिए भी कुछ नियम या बातें जरूरी हैं।

(सदस्यों को सोचने के लिए समय देवें ताकी वह थोड़ी देर पहले बताये गये समिति के उद्देश्य, कार्य एवं अन्य विषयों के आधार पर अपने कुछ नियम बनाने के बारे में सोच पायें।)

हम सभी का क्या सम्मिलित प्रयास होना चाहिये या हम सब मिलकर क्या – क्या कार्य कर सकते हैं?

(समिति के सदस्यों को यह बात समझ आये कि सभी सदस्य समिति के लिए जरूरी है एवं किस प्रकार कार्य का आपस में विभाजन कर बेहतर परिणाम प्राप्त किया जायें।)

क्या जिस प्रकार विद्यालय समय पर चलता है और वहां जिस अनुशासन में समस्त कार्य होते हैं उनके बिना बच्चों का बेहतर भविष्य संभव है ?

(समिति के सदस्यों को यह बात समझाना कि हमारी समिति के लिय भी अनुशासन एवं समय पर बैठकें करना, निर्णय लेना नितान्त आवश्यक है।)

समिति के लिये सभी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है परन्तु सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार समिति के सदस्यो के लिये निम्न अतिरिक्त दायित्वों का वर्णन किया गया है।

अ) **अध्यक्ष** : ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच होगा।

- मासिक बैठक की अध्यक्षता / आयोजन करना।
- आन्तरिक विवादों का निपटारा करना।
- कार्य विभाजन के आधार पर सदस्यों को दिये गये कार्यों की समीक्षा एवं प्रगति का आकलन करना।

ब) **सचिव** : ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में सदस्य सचिव संबंधित ग्राम पंचायत का ग्राम सचिव होगा।

- बैठक सूचना व बैठक एजेण्डा तैयार करना तथा सभी को समय से पूर्व सूचित करना।
- सभी सदस्यों की उपस्थिति एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर संधारित करना।

समिति के समस्त सदस्यों के नाम व दूरभाष नम्बर संबंधित विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाडी केन्द्रों व राजीव गाँधी केन्द्रों आदि पर उपलब्ध करवाना।

स) **समिति के सदस्य** : अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त समिति के सदस्यों को भी उनकी रूचि एवं वर्तमान में दिये गये कार्यो के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। जैसे कि समिति के सदस्य स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत, विद्यालय से अनामांकित एवं अनियमिति बच्चों की जानकारी समय–समय पर

समिति की बैठकों में उपलब्ध करवाये एवं इनमें आवश्यक समयानुसार बदलाव करते रहे। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकती हैं।

(प्रेरक द्वारा गत बैठक में दी गयी जिम्मेदारियों के आधार पर एवं सदस्यों की कार्य के प्रति सक्रियता और रूचि को ध्यान में रखते हुए बैठक के इस चरण में सदस्यों के दायित्व भी निर्धारित किये जा सकते है।)

पांचवाँ सत्र

पंचायत प्रोफाईल का निर्माण

विचारणीय बिन्दु

- ★ ग्राम पंचायत में 0–18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्थिति का आकलन।
- ★ पंचायत के उपलब्ध एवं आवश्यक संसाधनों की जानकारी।
- ★ पंचायत प्रोफाईल निर्माण एवं नजरी नक्शा।

अवधि : 60 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

- ❖ पंचायत प्रोफाइल की आवश्यकता को समझ पाए
- ❖ बच्चों के लिये किन सुविधाओं एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी?

(यह महत्वपूर्ण सत्र है। यदि प्रेरक को लगे कि अभी समिति के सदस्यों के साथ उनकी समझ एवं PLCPC के मुद्दों पर और ज्यादा बात करनी चाहिए तो वह इस सत्र को आगामी बैठक में ले सकता है अन्यथा आज ही सभी की भागीदारी से पंचायत प्रोफाईल पर कार्य आरम्भ कर दिया जाए। अगली बैठक में इसे अंतिम रूप प्रदान किया जा सकता है।)

बताइए

पंचायत प्रोफाइल :

प्रेरक इस बात को समझाते हुए कि यह कोई नई बात या जानकारी नही है केवल हमारे अपने गांव को समझने का एक जरिया है, जिसके द्वारा हमें अपनी पूरी पंचायत का नजरी नक्शा तैयार करने में सहायता मिलेगी और इसी नक्शे के आधार पर पंचायत की आगामी बैठकों में बच्चों के लिए उपलब्ध साधनों अथवा आवश्यक संसाधनों के लिए कार्य होगा।

चार्ट में दर्ज करें :

कहां कितनी आबादी हैं (फलेवार जानकारी)

बच्चों की स्थिति (उम्रवार संख्या प्रदर्शन)

बच्चों की आबादी से विद्यालय कितना दूर पड़ता है (6–14 वर्ष के (30–35 बच्चों) का ग्रुप बनाकर देखे कि विद्यालय तक पहुंच कैसी है।)

ग्राम पंचायत में बच्चों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधन (PS□UPS□ आंगनवाड़ी, खेल मैदान,

चिकित्सा, शिक्षक अनुपात इत्यादि)

बच्चों के लिए खतरे

बालश्रम की स्थिति

कितने बच्चे विद्यालय जा रहे हैं और कितने नहीं

14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं?

क्या सभी आंगनवाडी से बच्चे 5 वर्ष के पश्चात 6 वर्ष की आयु में विद्यालय से जुड़े या नहीं?

पोषाहार एवं स्वास्थ सेवाओं की उपलब्धता

अन्य

(यह एक विस्तृत एवं अधिक समय की प्रक्रिया हो सकती है यदि पहली बैठक में बताये अनुसार सदस्य सूचना नहीं ला पाये हैं तो, ऐसी स्थिति में पुनः आगामी बैठकों में इससे सूचना दर्ज की जा सकती है। जो समय–समय पर अपडेट होती रहेगी।)

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों से संबंधित सभी जानकारियों का रजिस्टर में अंक न तथा निरन्तर अपडेट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

– इस सत्र का उद्देश्य समिति के पास बच्चों की समस्त सूचना उपलब्ध करवाना है।

चित्र प्रदर्शन :

(प्रेरक द्वारा नजरी नक्शे का नमूना चित्र पदाधिकारियों को दिखाते हुए बताया जाय कि इस प्रकार से हमारी पूरी पंचायत का नक्शा हमें गांव वार बनाना होगा जिसके आधार पर प्रत्येक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं योजना तैयार होगी।)

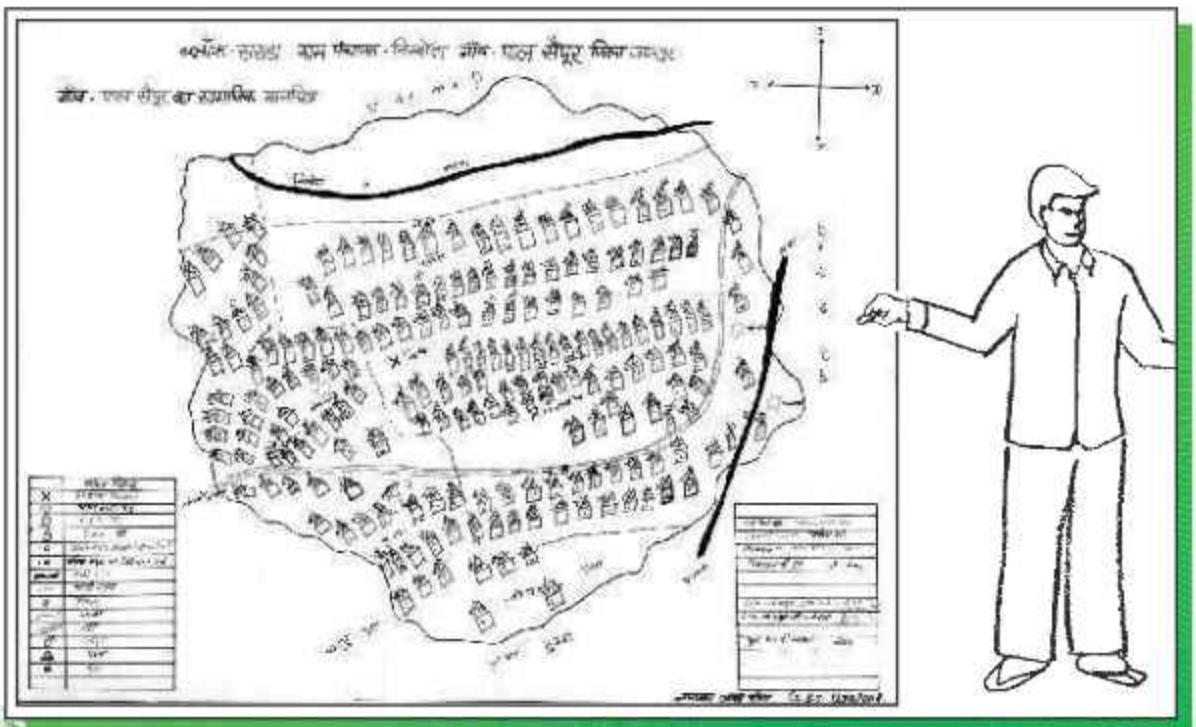

छठा सत्र

क्या सीखा ? क्या पाया ? समापन

अवधि : 15 मिनिट

इस सत्र में प्रेरक उपस्थित सदस्यों से अब तक पांच सत्रों में की गई चर्चा के आधार पर प्रश्न पूछें।

1. भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिये कौन सी योजना संचालित की जा रही है?हमारी समिति भी इसी योजना का हिस्सा है।
2. जिला स्तर पर हमारी समिति को कौनसी समिति से समन्वय करना चाहिये?
3. हमारी समिति के कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया हैं।
4. पंचायत प्रोफाईल क्या है?

– अंत में प्रेरक सभी का धन्यवाद देते हुए किसी गीत या नारे से बैठक का समापन करें एवं यह जरूर बताये कि अगली बैठक की तिथि एवं स्थान क्या होंगें और साथ ही अगली बैठक का उद्देश्य अर्थात – "**बच्चों के लिए देश का कानून**" की बात करें, जिससे अगली बैठक के लिए सदस्यों में जिज्ञासा बनी रहेगी।

तीसरी बुनियाद (बच्चों के लिये देश के कानून)

अध्याय एक नज़र में :

तीसरी बुनियाद में बच्चों के लिये बने मुख्य कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में बच्चों के लिये बने मुख्य चार कानूनों / अधिनियमों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ विभिन्न गतिविधियों एवं कहानियों के माध्यम से उक्त के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वर्णित व्यवस्थाओं को समझाया गया है। प्रेरक से यह अपेक्षा की जाती है वह सभी जानकारी एवं तथ्य बडी कुशलता से प्रस्तुत करें।

उद्देश्य :

1. बच्चों के लिये बने मुख्य कानूनों (RTE, J.J. Act, PCMA. POCSO) की जानकारी।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी।

आयोजन संरचना :

बैठक में सत्र	:	सात
प्रतिभागी	:	समस्त PLCPC के सदस्य
बैठक स्थल	:	पंचायत का कोई सार्वजनिक स्थल (रा.गाँ.से.केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन) जहां न्यूनतम व्यवधान हो।
सामग्री	:	बैठक व्यवस्था, कंकु, तस्वीर, PLCPC रजिस्टर, पैंन, सहायक पठन सामग्री (उपलब्ध हो तो) चार्ट एवं स्केच पैन।
विशेष सामग्री	:	पठन सामग्री।
अवधि	:	4–6 घंटे

नोट : (समयान्तराल ज्यादा है अतः प्रेरक द्वारा पूरी जानकारी सुविधानुसार दो चरणों / दिवसों में दी जा सकती है)

सत्र की रूप रेखा :

क्र.स	विषय	प्रक्रिया	समय (मिनिट)
1	प्रार्थना एवं परिचय	गीत, भजन द्वारा वातावरण निर्माण एवं रोचक गतिविधि द्वारा परिचय, चर्चा	30
2	RTE- 2009	प्रश्नोत्तर, चर्चा	45
3	JJ-Act	चित्र प्रदर्शन, विचार विमर्श, प्रश्नोत्तर	45
4	PCMA-2006	प्रश्नोत्तर, चित्र प्रदर्शन, गतिविधि	45
5	POCSO -2012	चार्ट प्रदर्शन, सामूहिक चर्चा, गतिविधि	45
6	सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	प्रश्नोत्तर, गतिविधि	30
7	क्या सीखा? क्या पाया?	प्रश्नोत्तर, चर्चा	15

चर्चा कैसे करें ?

आज की बैठक / प्रशिक्षण में निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर सात सत्रों में बातचीत सम्पन्न की जानी है। **तीसरी बुनियाद** में सम्मिलित समस्त बिन्दु महत्वपूर्ण एवं विस्तृत है। अतः प्रेरक सुविधानुसार सत्रों को निम्नांकित भागों में विभक्त कर बैठक सम्पादित करें। –

1. सभी सत्र एक दिन में पूर्ण करें।
2. सभी सात सत्रों को दो भागों में विभाजित कर लगातार दो दिन में 3–4 सत्रों में सम्पादित करें।

नोट : इस हेतु सरंपच से वार्तालाप कर

1. समय निर्धारित करें।
2. भोजन, अल्पाहार एवं बैठक की व्यवस्था पर चर्चा करें।
3. तद्नुसार PLCPC के सदस्यों को पूर्व सूचना देकर एक दिसवसीय/दो दिवसीय बैठक में आना सुनिश्चित करें।

प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1. प्रथम सत्र (दूसरी बुनियाद की समीक्षा)	1. चौथा सत्र (PCMA)
2. दूसरा सत्र (RTE)	2. पांचवा सत्र (POCSO)
3. तीसरा सत्र (JJ Act)	3. छठा सत्र (सामाजिक सुरक्षा योजनाएं)
	4. क्या सीखा?क्या पाया?

पहला सत्र

प्रार्थना एवं परिचय

समय : 30 मिनिट

- सर्वप्रथम प्रेरक द्वारा सभी का स्वागत कर भजन/प्रेरणादायक गीत/देश भक्ति गीत आदि में से किसी एक का चयन कर सरपंच महोदय से दीप प्रज्जवलित कराने के पश्चात कार्यक्रम की शुरूआत की जाए।
- सभी का तिलक लगाकर अभिनन्दन एवं आपस में परिचय।

(आपस में परिचय हर बैठक के प्रारम्भ में करवाया जाना आवश्यक है, ताकि सभी प्रतिभागी आपस में एक दूसरे के पद नामों से भलीभांति परिचित हो जाएं, इससे वे खुलकर अपनी बात रखने में सक्षम बन पाएंगे।)

पूर्व बैठक पर चर्चा

- परिचय के पश्चात प्रेरक उपस्थित PLCPC सदस्यों से

1. गत बैठक के बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करे।
2. यदि कोई प्रश्न अथवा संदेह है तो जानकर उसका समाधान करे।

- आज की बैठक में प्रेरक द्वारा जिन बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है, उससे संबंधित रोचक गतिविधि (कहानी / वार्तालाप / केस स्टडी / समाचार पत्र की कटिंग को आधार बनाकर) सम्पादित करें।

(इस सत्र के अंत तक सभी प्रतिभागी आपस में घुलमिलकर, गत बैठक की समीक्षा करते हुए अगले सत्र की ओर बढ़े।)

दूसरा सत्र

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम –2009 (RTE) की जानकारी

विचारणीय बिन्दु :

★ कानून शब्द का अर्थ एवं सामान्य परिचय

★ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम –2009 (RTE)

अवधि : 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

❖ Rte Act में मुख्य प्रावधान क्या हैं?

❖ अधिनियम के अन्तर्गत किन व्यवस्थाओं के द्वारा कार्य सम्पादित होते हैं?

❖ अधिनियम अन्तर्गत बताए गए प्रावधानों का उल्लघंन अथवा कार्य न होने की स्थिति में कहां सम्पर्क किया जा सकता है?

? सर्वप्रथम प्रेरक कुछ सामान्य प्रश्नों से इस सत्र की शुरूआत करें जैसे :–

1. कानून से क्या अर्थ है?
2. क्या आप किसी कानून के बारे में जानते है?
3. कृपया नाम बताए।
4. इन्हें बनाने की क्यों आवश्यकता होती है?
5. कानून की पालना किस प्रकार होती है?

(प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करते हुए प्रेरक निम्न जानकारी एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सत्र को आगे बढ़ाए)

बताइए

- आप मे से कुछ व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा है तो उन्हें पता ही होगा कि अब हमारे देश में कानून है कि यदि किसी व्यक्ति की दो से ज्यादा संतान हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी प्रकार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर वोट डालने का अधिकार मिलता है। ऐसे ही कुछ अधिकार एवं कानून बच्चों के लिए भी बने हैं।

- **आज** हम बच्चों के लिए बने कानूनों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अतः आप ध्यान से इन्हें समझे।

- हमने पहली बैठक/प्रशिक्षण में बाल अधिकारों पर समझ बनाई है। आज हम उनसे जुड़े कानूनों को जानेगे।
- इससे पूर्व की हम अपनी चर्चा को बढ़ाए मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं।

  प्रश्न : बच्चों के अधिकार कौन–कौन से है?

(सम्भावित उत्तरों को प्रेरक बोर्ड /चार्ट पर लिखता जाए, हो सकता है उत्तर चार अधिकारों के अतिरिक्त भी आ सकते हैं । प्रेरक प्राप्त उत्तर यदि चार अधिकारों (जीने, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकार) से संबंधित हों तो, प्रमुख चार अधिकारों में सम्मिलित करें।)

- इन्ही अधिकारों की सुरक्षा के लिये कानून बने हैं इन्हीं कानूनों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे।
- बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य अधिनियम "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009"बना है। (जिसे हम संक्षिप्त में "शिक्षा का अधिकार–अधिनियम" भी कहते हैं। जो कि विकास के अधिकार का ही हिस्सा है।)

बताइए

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 (RTE) :

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 61 वर्षो के लम्बे प्रयासों के बाद बच्चों के लिए निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम के लागू होने से 6–14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा 2006 में करवाए गए एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में प्रति चार में से एक बच्चा शिक्षा से वंचित है। ऐसे में यह अधिकार बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। यह कानून विद्यालय से बाहर/ शिक्षा से वंचित एवं श्रम कार्यो में लगे हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये भी प्रभावी है।

अधिनियम अन्तर्गत मुख्य प्रावधान :

1. 6–14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को (बिना किसी लिंग, वर्ग, जाति एवं निःशक्तता के भेद के) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस–पास के विद्यालय में निःशुल्क (बिना किसी फीस के) और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इसके अन्तर्गत आबादी के एक कि.मी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं दो कि.मी. की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय होने का प्रावधान है।
2. जहाँ 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है/प्रवेश दिया गया/उसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उसके लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार है।
3. यदि किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो बालक को किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण करने का अधिकार है।
4. बालक को किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये स्थानान्तरण कराने का अधिकार है।

5. अधिनियम अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पौशाक, मिड–डे–मील का लाभ देने का भी प्रावधान है।
6. सभी निजी स्कूल गरीब तबकों के बच्चों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखेंगे।
7. अनिवार्य शिक्षा की परिभाषा में बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का भार अभिभावकों की बजाय राज्य पर डाला गया है । हालांकि धारा 51 माता–पिता पर अपने बच्चे को स्कूल भेजने का उत्तरदायित्व डालती है लेकिन ऐसा नहीं करने पर उनके लिए किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं हैं।
8. अधिनियम के धारा 11 के तहत सरकार को 3–6 वर्ष के बच्चों के लिये शाला पूर्व शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा।
9. बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
10. बच्चों को शारीरिक दण्ड एंवम् मानसिक प्रताड़ना देना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है।
11. शिक्षकों को अब जनगणना एंव चुनाव कार्यो के अलावा किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
12. छात्र–शिक्षक अनुपात के लिये अधिनियम में मापदण्ड तय किये गये हैं।
13. हर स्कूल में कक्षा के लिये आवश्यक कमरों के अलावा अलग से रसोईघर, पृथक–पृथक शौचालय, पुस्तकालय, खेलकूद का मैदान होगें।
14. बच्चों को जहां तक सम्भव हो स्थानीय भाषा/मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति को अब कानूनी दर्जा हांसिल हो जाएगा जिसमें तीन चौथाई सदस्य बच्चों के अभिभावकों में से होंगे। जिनमें वंचित तबकों के अभिभावकों का उचित प्रतिनिधित्व होगा।

स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व :

1. प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
2. आस–पास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा।
3. यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी भी आधार पर वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।
4. अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का अभिलेख रखेगा।
5. अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति, उसे प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना सुनिश्चित करेंगे व निगरानी रखेंगे।
6. विद्यालय भवन, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराएगा।
7. पूर्व में शिक्षा से वंचित रहे बालकों हेतु विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा।
8. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता (अच्छा स्तर) सुनिश्चित करेगा।

प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आदि को समय से ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।

- ❖ शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
- ❖ प्रवासी परिवारों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा।

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विद्यालय के कार्य की निगरानी रखेगा।
- ❖ शैक्षणिक केलेण्डर को सुनिश्चित करेगा।
- ❖ प्रत्येक विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात भी उस अनुसूची के अनुसार हो यह सुनिश्चित करेगा। (विद्यालय के मान व मानक)

शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पद भरे जाने हेतु प्रयास करेगा।

गतिविधि :

(प्रेरक द्वारा निम्न गतिविधि करवाकर सदस्यों की विषय के प्रति ज्यादा समझ एवं रूझान बनाया जा सकता है।)

सभी को एक–एक कागज एवं लिखने के लिए स्केच पैन दे दिया जाए।

सभी से आग्रह किया जाए कि बतायी गयी सभी बातों एवं RTE में वर्णित मुख्य प्रावधानों के अनुसार हमारी पंचायत में क्या–क्या व्यवस्थाए हैं एवं किन–किन की अभी भी आवश्यकता है?

सभी को लिखने के लिये 5 मिनिट का समय दिया जाए एवं जो सदस्य लिखने में सक्षम नहीं हैं प्रेरक उनकी सहायता करें।

5 मिनिट पश्चात सभी से लिखे गए कागज लेकर अध्यक्ष महोदय को सुपुर्द किए जाएं। अध्यक्ष (सरपंच) द्वारा सम्मिलित रूप से उपलब्ध व्यवस्थाएँ एवं कमियों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

यदि कोई मुद्दे निकलकर आते हैं तो प्रेरक उन्हें चार्ट पर दर्ज करें।

RTE के तहत प्रावधानों की अवहेलना पर क्या करें?

PLCPC, RTE के प्रावधानों को जाने। यदि उक्त के क्रियान्वयन में कोई परेशानी अथवा कमी हो तो PLCPC द्वारा निम्न से सम्पर्क किया जा सकता है एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)

↓

ब्लॉक स्तरीय शिक्षा संवाद समिति

(RTE अन्तर्गत पंचायत स्तर पर गठित परिवेदना निस्तारण समिति)

↓

जिला स्तरीय शिक्षा संवाद समिति

(RTE अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित परिवेदना निस्तारण समिति)

विद्यालय प्रबन्धन समिति, अभिभावक व नागरिक विद्यालय के मानकों के अनुसार अपनी परिवेदना ब्लॉक स्तरीय समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं। समाधान न होने की स्थिति में जिला स्तरीय शिक्षा संवाद समिति को परिवेदना प्रस्तुत कर सकते हैं।

RTE के अन्तर्गत उक्त समितियों का गठन इसलिये किया गया ताकि वर्णित प्रावधानों का संचालन एवं देखरेख सही प्रकार से सुनिश्चित हो सके। उक्त समितियां ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् की अध्यक्षता में गठित की गयी है।

इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को सचिव नियुक्त किया गया है। समितियों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठनों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर समिति की बैठक मासिक एवं जिला स्तर पर समिति की बैठक त्रैमासिक होती है।

हमें यह ध्यान रखना है कि उक्त समिति की बैठकों में शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं को न केवल रखा जाए बल्कि उनके निस्तारण होने तक नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए।

तीसरा सत्र

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम–2000 (J.J Act)

विचारणीय बिन्दु :

- ★ किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम –2000 (J.J Act)
- ★ बाल कल्याण समिति
- ★ किशोर न्याय बोर्ड

अवधि : 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

- ❖ J.J Act में मुख्य प्रावधान क्या है?
- ❖ अधिनियम के अन्तर्गत किन व्यवस्थाओं के द्वारा कार्य सम्पादित होते हैं?
- ❖ अधिनियम अन्तर्गत बताए गए प्रावधानों का उल्लंघन अथवा कार्य नहीं होने की स्थिति में कहां सम्पर्क किया जा सकता है?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम–2000 :

बताइए

- अभी तक हमने बच्चों के लिए बने शिक्षा के कानून को समझने का प्रयास किया है। परन्तु वे मुद्दे जो बालश्रम से जुड़े हो या बच्चों के किसी भी अधिकार के हनन से जुड़े हों? उनसे किस प्रकार निपटें? क्या कोई ऐसा कानून है जो 0-18 वर्ष की उम्र के बीच आने वाले (नाबालिग) बच्चों के लगभग सभी मामलों में कार्यकारी सिद्ध हों ?

- आइए इनसे संबंधित कानून को समझे। इसके द्वारा हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। यह अधिनियम–"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम –2000" है।

- इस अधिनियम में बच्चों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित कर विभिन्न प्रावधान किये गये है –

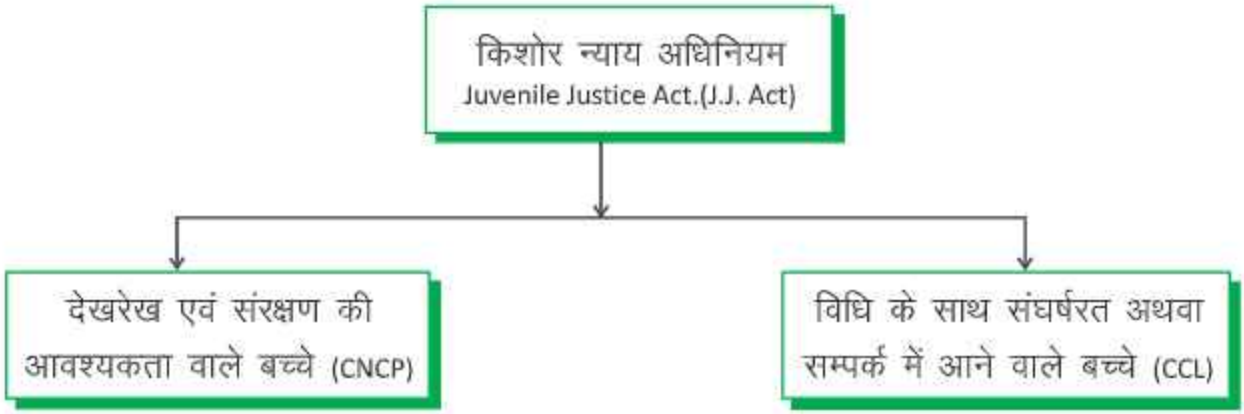

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP):

भोला 14 वर्ष का बालक है जो अनाथ आश्रम में पला–बढ़ा है। किसी दिन वह अपने आश्रम से भागकर शहर में आ जाता है। यहां आकर वह बेबस, लाचार सड़कों पर इधर उधर भटक रहा है। अब उसे फिर से अपने आश्रम जाने का न रास्ता मालूम है और न ही उसके पास वहां का कोई पता है। भोला भूखा–प्यासा शहर के फुटपाथ पर बैठा रो रहा है।

शायद इस कहानी को सुनकर आपको यह अहसास हो रहा होगा कि ऐसे बच्चों की किस प्रकार मदद की जाए। क्योकिं न ही भोला का कोई रिश्तेदार है और न ही कोई परिचित, तो ऐसी स्थिति में भोला को कहां भेजें, कैसे मदद करें?

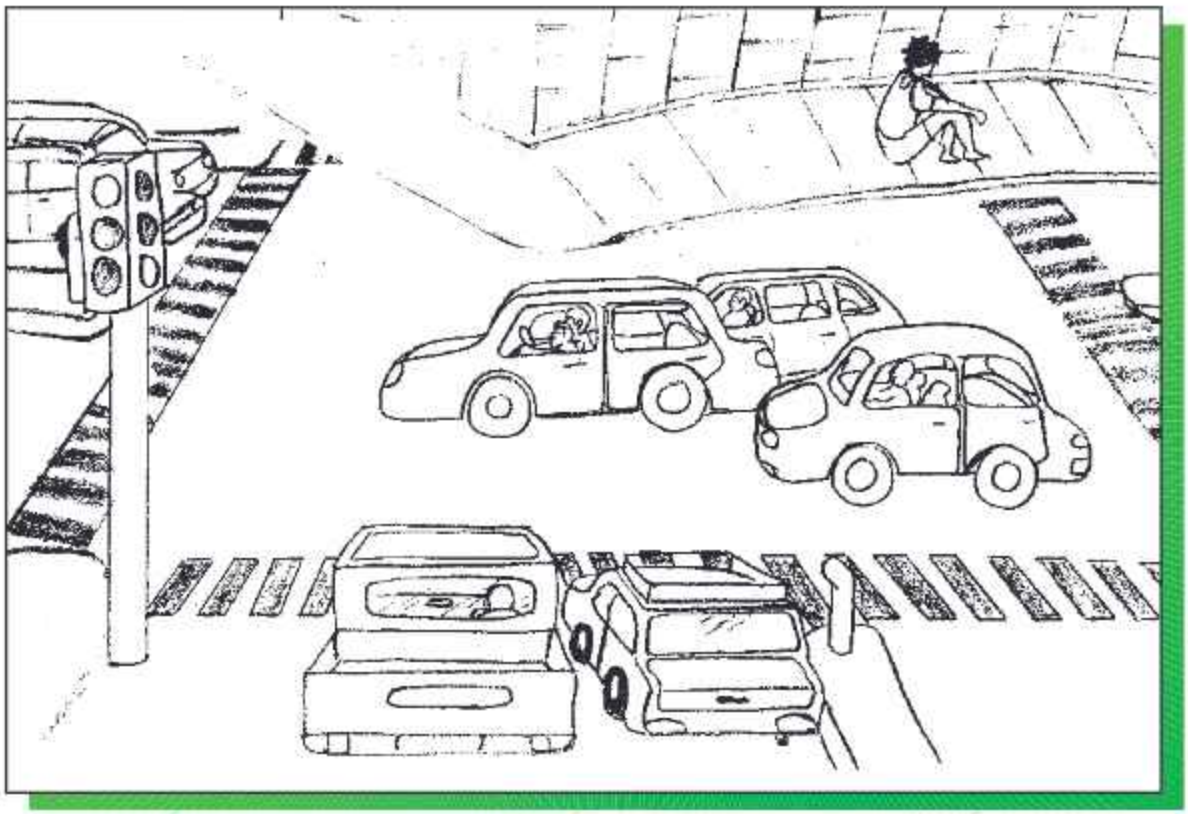

भोला की तरह कई बच्चे हो सकते हैं जिन्हें देखकर शायद हमें लगे कि इन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। इस कानून में इन बच्चों को निम्न स्थितियों में दर्शाया गया है–

- वे बच्चे जो अनाथ हैं।
- जिनका कोई घर नहीं है ।
- शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, लाइलाज या खतरनाक बीमारी से ग्रस्त।
- जिनके पास जीवन निर्वाह के साधन नहीं है।
- जो संरक्षक या अभिभावक द्वारा शोषित हैं।
- जिनके माता–पिता उनकी देखरेख करने में असमर्थ हैं।
- वे समस्त बच्चे जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि इन्हें विशेष देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता है ।

इनके लिये हम क्या कर सकते हैं अथवा इस कानून में क्या व्यवस्थाएं की गयी हैं इन्हें जानने से पूर्व हम उक्त कानून की दूसरी श्रेणी / वर्ग के बच्चों को भी जानें।

विधि के साथ संघर्षरत अथवा सम्पर्क में आने वाले बच्चे (CCL) –

इस श्रेणी के बच्चों को समझने से पहले हम फिर से भोला की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हो सकता है भूख–प्यास का मारा भोला जो फुटपाथ पर बैठा रो रहा है, थोड़ी ही दूर पर बनी होटल से कुछ खाने की सामग्री चुरा कर खाने का प्रयास करे या यह भी हो सकता है कि मजबूरी में भोला कोई ऐसा कार्य कर ले जिससे हमारे विधि / कानून का उलंघन हो।

प्र. 1 क्या ऐसी स्थिति में भोला को अन्य बालिग अपराधियों की तरह सजा मिलनी चाहिए?

प्र. 2 क्या भोला को भी हाथ में हथकड़ियां लगाकर जेल में बंद कर पीटना चाहिए?

प्र. 3 मासूम भोला द्वारा अनजाने में जो गलती हुई है उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए?

(इन प्रश्नों पर प्रेरक PLCPC सदस्यों से चर्चा करें एवं उन्हें यह अहसास दिलाए कि मासूम बच्चों द्वारा जाने अनजाने जो गलती (अपराध) हो जाती है उसके लिए उन्हें सजा की बजाय सुधारने का प्रयास करना चाहिए।)

- **परिभाषा** : अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1) में विधि से संघर्षरत किशोर / बच्चा उसे माना है, जिसने 18 वर्ष से कम उम्र में किसी स्थापित विधि (कानून) का उल्लंघन किया है। **साधारण शब्दों में कहें तो ऐसे बच्चे जो जाने–अनजाने विधि के सम्पर्क आ जाते हैं इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।**

बताइए

- अधिनियम बनने से पूर्व यदि किसी बच्चे से जाने अनजाने अपराध हो जाता था अथवा वह किसी अपराध कार्य में लिप्त पाया जाता था तो उसे कातिल, अपराधी, हत्यारा इत्यादि शब्दों से पुकारा जाता था।

- प्यार, सद्भाव एवं स्नेह से यदि ऐसे बच्चों को सुधरने का अवसर दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह क्रिया प्रभावी रहेगी। उक्त कानून इसी अवधारणा पर आधारित है।

अतः ऐसे बच्चों के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किये गये हैं।

अधिनियम अन्तर्गत कुछ प्रमुख धाराएं :

धारा 21 केस के दौरान किशोर/बच्चों का नाम आदि के प्रकाशन पर प्रतिबंध।

धारा 23 बच्चों के प्रति क्रूरता करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध।

धारा 24 भीख मंगवाने के लिए किशोर/बच्चे का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध।

धारा 25 किशोर/बच्चे से मादक पदार्थ/उत्तेजक पदार्थ की बिक्री करवाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध।

धारा 26 किशोर /बच्चे का शोषण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध।

धारा 28 वैकल्पिक दंड।

नोट : धारा 23, 24, 25 और 26, के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। (धारा 27 के अनुसार)

उपरोक्त धाराएं बालक के विरूद्ध किये गये अपराध हेतु बालिग व्यक्ति (अभियुक्त) के विरूद्ध लगाने के लिए है, न कि बालक के विरूद्ध।

ध्यान रहे :

- किसी भी बालक/किशोर से संबंधित कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान पुलिस को सादी पौशाक (पुलिस वर्दी में न हो) में होना आवश्यक है।
- किसी भी किशोर या बालक को हथकड़ी कभी नहीं पहनानी है।
- किसी किशोर या बालक को थाना परिसर में स्थित किसी सुरक्षित स्थान (जो कि जेल या हवालात नहीं हो) या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्देशित सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
- किसी किशोर या बालक को 24 घण्टे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

किशोर न्याय व्यवस्था के तहत निम्नानुसार उचित शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए–

अनुचित	उचित
आरोपी, अपराधी , अपचारी (Accused, Criminal)	विधि से संघर्षरत किशोर (Juvenile in Confilict with law)
गिरफ्तार (Arrest)	निरूद्ध (Apprehension)
ट्रायल (Trial)	जांच (Inquiry)
किशोर अदालत /न्यायालय (Juvenile Court)	बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)
वेश्यावृति में लिप्त बच्चे (Child Prostitute)	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (Child in Need of Care and Protection)
बाल अदालत /न्यायालय (Children Court)	बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)
बाल सुधार गृह (Juvenile / Children Jail)	सम्प्रेक्षण /बाल गृह (Observation / Children Home)
हिस्ट्रीशीटर (History Sheeter)	रिपीटर (Repeater)
किशोर का भागना	किशोर का पलायन (Escape)

अधिनियम के तहत व्यवस्था क्या है? आइए जाने :

उपर्युक्त अधिनियम में प्रत्येक श्रेणी/वर्ग की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जैसे –

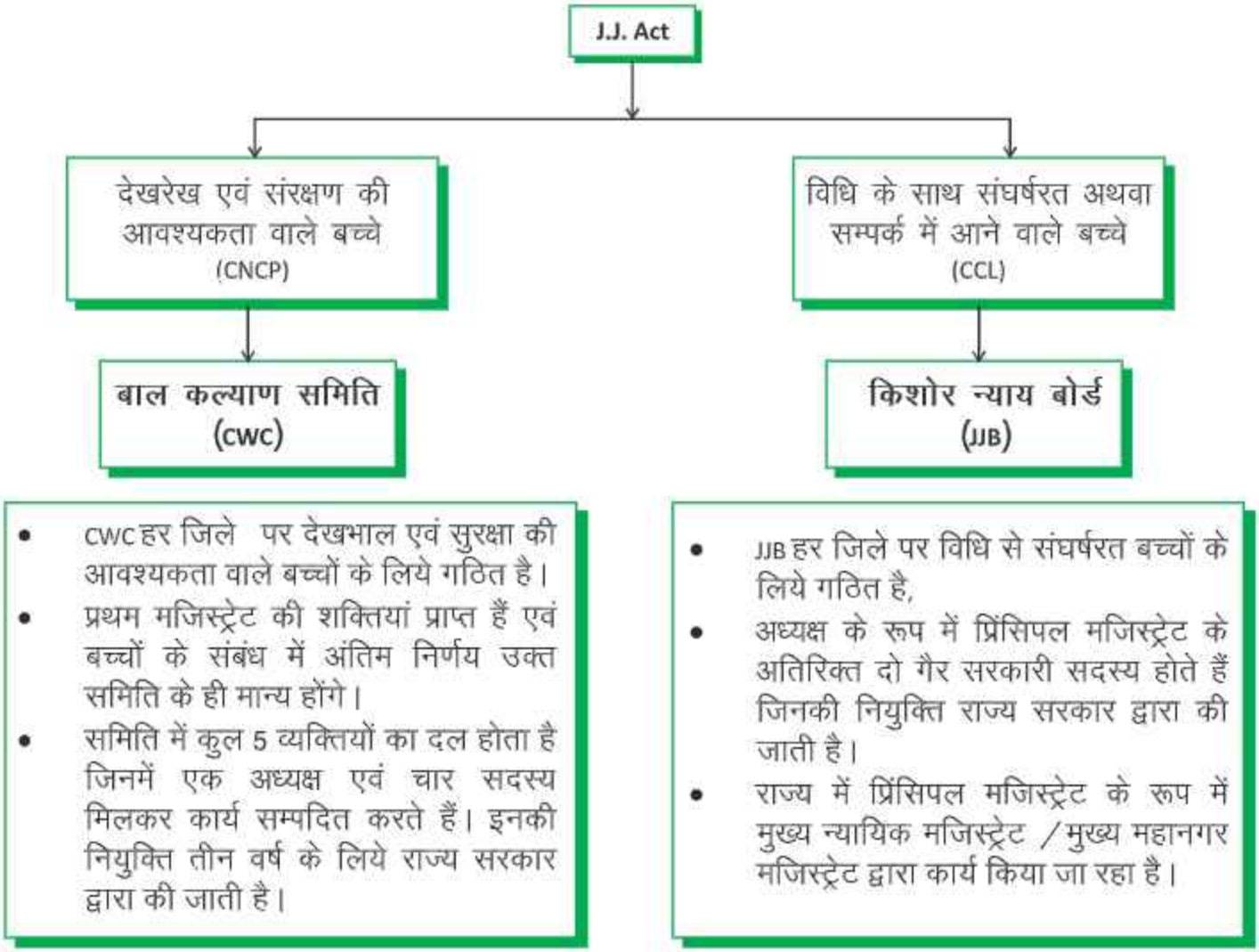

- CWC एवं JJB के अतिरिक्त बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिये निम्न से भी सहायता ली जा सकती है–
  - ☼ चाइल्ड हेल्प लाइन (1098) टोल फ्री निःशुल्क कॉल कर सूचना दी जा सकती है।
  - ☼ बाल कल्याण अधिकारी (CWO) प्रत्येक पुलिस थाने में बच्चों के लिये कार्यरत अधिकारी होते है।
  - ☼ स्थानीय सामाजिक संगठन (NGO) संबधित क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत एवं सही संगठनों से सम्पर्क किया जा सकता है।
  - ☼ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR) बाल अधिकार एवं संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर किसी भी विभाग / ऐजेन्सी द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर पत्र के माध्यम से अथवा सीधे सम्पर्क कर आयोग को भी सूचित किया जा सकता है।

चौथा सत्र

बाल विवाह निषेध अधिनियम–2006 (PCMA)

विचारणीय बिन्दु

- ★ बाल विवाह निषेध अधिनियम –2006 (PCMA)
- ★ बाल विवाह रोकने हेतु रोकथाम, सुरक्षा एवं अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की व्यवस्था
- ★ बाल विवाह की जानकारी देने हेतु सम्पर्क कहां करें?

अवधि : 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ

- ❖ PCMA में मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- ❖ अधिनियम के अन्तर्गत किन व्यवस्थाओं के द्वारा कार्य सम्पादित होते हैं?

बताइए

अब तक हमने बच्चों के लिए बने दो प्रमुख अधिनियम की बात की हैं। बच्चों से ही संबंधित हम जिस अधिनियम की अब बात करने जा रहे हैं उसके बनने से क्या लाभ हुए है। इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ सामान्य प्रश्न पूछना चाहूंगा / चाहूंगी–

प्र. 1 लड़के व लड़की के विवाह के लिए सही उम्र क्या है?

(सम्भावित उत्तर यदि 18 वर्ष लडकियों के लिए एवं 21 वर्ष लड़कों के लिए प्राप्त न हो तो, प्रेरक पुनः दूसरा प्रश्न पूछे)

प्र. 2 सरकार द्वारा हमारे देश में लड़कों एवं लडकियों के विवाह की क्या उम्र तय की गई है?

प्र. 3 यदि यह उम्र निर्धारित नहीं की जाती और छोटी उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता है तो क्या यह ठीक होता?

- शायद आप समझ गये होंगे कि अब हम जिस कानून की बात करने जा रहे है वह बाल विवाह से संबंधित है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिये आपको एक बालिका लीला की कहानी सुनाते हैं –

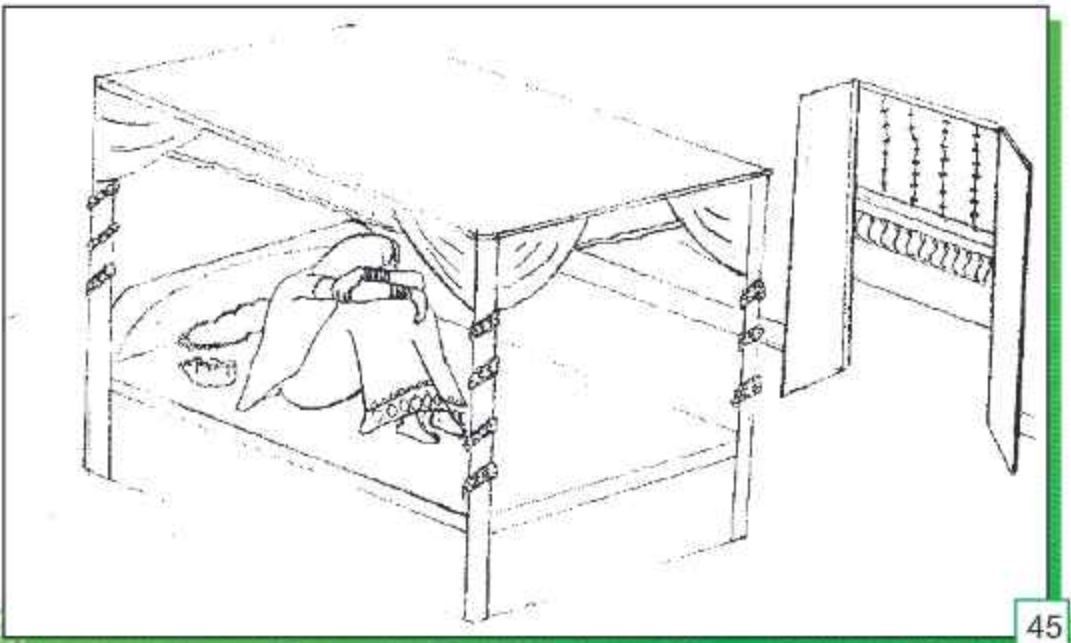

लीला सेमाल गांव की रहने वाली 14 वर्ष की बालिका है। वह गांव के ही एक विद्यालय में 7 वीं कक्षा तक पढी। शादी तय होने के कारण उसके पिता गंगाराम ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे घर के कार्यों में पूरी तरह लगा दिया। उनका मानना था कि अपने ससुराल जाने से पहले वह घर के कार्यों में दक्ष हो जाए। लीला की मां ने पहले थोड़ा विरोध किया कि लीला की शादी कुछ समय बाद करें। वह अभी पढ़ना चाहती है, परन्तु उसके पति के सामने उसकी एक न चली। लीला अंदर ही अंदर रोती रही परन्तु आखिरकार उसे अपने सपनों, सहेलियों और गांव को छोड़कर जाना ही पड़ा। लीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी माँ के घर आ पायी। उस दिन वह सिर्फ अपनी मां के पास बैठी रोती रही, अपने पति की मार, ससुराल में मिले अपमान, दुर्व्यवहार को बताती रही, फिर भी अगले दिन उसके पिता लीला को ससुराल छोड़ आए। कुछ समय बाद लीला के घर सूचना आयी कि लीला अब इस दुनिया में नहीं रहीं। लीला की मुत्यु से पहले वह बहुत बीमार थी, वह माँ बनने वाली थी। (पूरे सदन में शांत वातावरण होगा, ऐसी स्थिति में प्रेरक कुछ पल रूकने के पश्चात् सभी से पुनः प्रश्न करें)।

प्र. 1 लीला की उम्र क्या बताई गई है?

प्र. 2 क्या लीला बच सकती थी?

प्र. 3 अगर लीला की माँ शादी से पहले विरोध करते हुए शादी रोक देती तो क्या यह सही फैसला होता ?और क्यों?

प्र. 4 इस उम्र में विवाह होने से क्या नुकसान हैं?क्या ऐसे विवाह को रोकना सही है?

प्र. 5 आपके समक्ष यदि ऐसी ही घटना घटी हो तो बताएं।

प्र. 6 बाल विवाह को रोकने के लिए किसकी मदद ली जानी चाहिए?

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बच्चों के जीवन को बचाने एवं उनके विकास के लिए एक कानून बना–

बताइए

"बाल विवाह निषेध अधिनियम–2006"

- इस अधिनियम के अन्तर्गत दो मुख्य बातों पर जोर दिया गया है

  - लडकी की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष या इससे ज्यादा होने पर ही शादी होनी चाहिए।
  - इससे कम उम्र में शादी करवाना या इसमें प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप में सहभागी बनना अपराध है।

- यह अधिनियम तीन भागों में वर्गीकृत कर परिभाषित किया गया है–

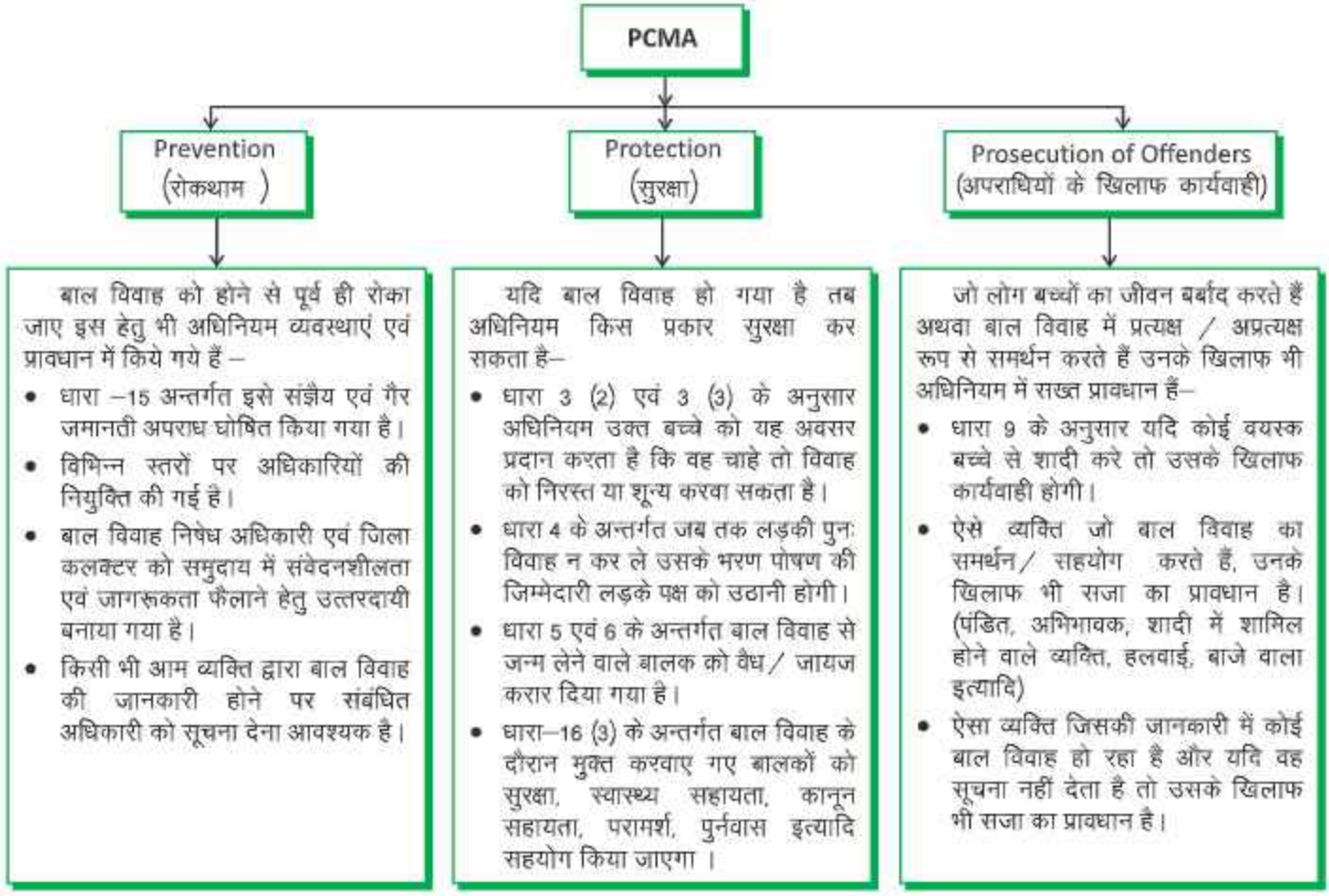

बताइए कहाँ सम्पर्क करें?

किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह होने के पूर्व, दौरान या पश्चात तुरन्त निम्न व्यक्तियों में से किसी से भी सम्पर्क कर सूचना दी जा सकती है–

1. पुलिस
2. बाल विवाह निषेध अधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में नियुक्त किया गया सक्षम अधिकारी।
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई /बाल कल्याण समिति /ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति।
5. चाईल्ड लाइन (1098)।
6. जिला मजिस्ट्रेट ।

हमारी समिति की भूमिका :

बाल विवाह की प्रथा को रोकने में पंचायत एवं उसके सदस्य महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यरूप से हमारी समिति निम्न कार्य कर सकती है–

- पंचायत में निवासरत लोगों को बाल विवाह की हानियों से परिचित करवाना एवं जागरूकता फैलाना।
- बच्चों के बेहतर विकास के लिये शिक्षा का महत्व समझाते हुए लड़कियों की शादी 18 वर्ष एवं लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद करवाने का महत्व बताना ।
- बाल विवाह रोकने के लिये बनाए गए अधिनियम एवं विभिन्न अधिकारियों की जानकारी आमजन को करवाना।
- पंचायत में होने वाली शादियों पर नजर रखते हुए, बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरन्त सामूहिक प्रयास कर उसे रूकवाना।

पांचवा सत्र

विचारणीय बिन्दु

★ लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम –2012 (POCSO)

अवधि : 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ

- ❖ **POCSO** में मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- ❖ अधिनियम के अन्तर्गत किन व्यवस्थाओं के द्वारा कार्य सम्पादित होते है?

बताइए अब हम बच्चों से संबंधित चौथे अधिनियम को समझने जा रहे हैं। कुछ समय के लिए हम अपने बचपन में लौट चलते हैं। आप अपने बचपन की एक सुखद घटना का स्मरण करें।

(प्रेरक सभी सदस्यों से दो मिनिट आंखे बंद कर अपने अतीत / बचपन को याद करने को कहें।) दो मिनिट पश्चात प्रेरक निम्न प्रश्न पूछें –

प्र. 1 अब आप घटना बताइये।

(अलग–अलग जवाब प्राप्त हो सकते हैं परन्तु पूरे सदन मे खुशनुमा वातावरण बन चुका होगा।)

(प्रेरक अब पुनः सभी सदस्यों को दो मिनिट का अवसर सोचने का देवे कि क्या उन्हें कोई ऐसी घटना याद है जब कोई व्यक्ति उन्हें परेशान, छेड़छाड़, मारना–पीटना, उपहास, इत्यादि करता हो)

प्र. 1 यदि ऐसी घटना आपको याद आ रही है?तो सुनाएं।

प्र. 2 क्या लड़के झुण्ड बनाकर विद्यालय में अथवा कहीं भी लड़कियों को छेड़ा करते थे?

प्र.3 क्या आपने बच्चों के साथ ऐसे असहज क्रियाकलाप होते देखे हैं?

(इन प्रश्नों को प्रेरक द्वारा गंभीरता से पूछा जाए। यदि ऐसा होता है तो सदन में अब शायद शांत वातावरण बन गया होगा और आगामी सत्र के प्रति सभी में जिज्ञासा जागृत हो गयी होगी।)

- गांव हो या शहर, छेड़छाड़, उत्पीड़न एवं हिंसा की घटनाएं आम बात है। ऐसे में समझदार एवं बड़े व्यक्ति भी कभी – कभी अपनी बात एवं पीड़ा दूसरों को नहीं बता पाते तो जरा सोचिये कि जब इनका शिकार छोटे बच्चे–बच्चियां होती होगी तो वह कैसे अपने मन की बात सभी से कहें?

बताइए

- राज्य की लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है, जिनमें से अधिकांश बच्चे विभिन्न प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या उपेक्षा का शिकार होते हैं। विगत कुछ वर्षो में बड़ी संख्या में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं लैंगिक हिंसा के मामले सामने आए हैं।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल उत्पीड़न को लेकर कराए गए अध्ययन के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत बालक – बालिकाओं के साथ लैंगिक हिंसा एवं राज्य में 51 प्रतिशत बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा हुई है।

- पत्र–पत्रिकाओं में छोटी बच्चियों के साथ यौन हिंसा (छेडछाड, बलात्कार) की खबरें आए दिन पढ़ने को मिलती हैं। ऐसी घटनाओं में केवल बाहर के लोग ही नहीं कई बार परिचित या बच्ची के बिल्कुल नजदीकी लोग भी सम्मिलित होते हैं।

- इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के–लडकियों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों (यौन हिंसा) की रोकथाम हेतु वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा एक मजबूत एवं प्रभावी कानून लागू किया गया है। इसी कानून पर अब हम चर्चा करेंगे–

लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 (POCSO)

1. इस कानून के अन्तर्गत बच्चों के लैंगिक शोषण से जुड़े समस्त मुद्दों जैसे कि बच्चे–बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, अश्लील शब्दों का उपयोग, गाली देना, पीछा करना, अश्लील हरकतें करना अथवा करवाना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं उसमें बच्चों का उपयोग, लैंगिक कार्यो के लिये बच्चों का उपयोग आदि के लिए कठोर सजा के प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है।
2. यह कानून लैंगिक समानता पर आधारित है जिसमें पीड़ित या दोषी लड़का या लड़की होने पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

3. इस कानून में ऐसे व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास अथवा भरोसा करता है, के दोषी पाये जाने पर इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए कठोर सजा का प्रावधान है जैसे कि –अभिभावक, रिश्तेदार, पुलिस, सुरक्षा बल, लोक सेवक, अध्यापक आदि।
4. इस कानून के द्वारा अपराध के होने की सूचना को छुपाने एवं दर्ज न कराने को भी अपराध माना गया है एवं उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
5. अधिनियम के तहत् पीड़ित बच्चे के बयान की रिकार्डिंग –

I. उसके अपने घर

II. उसकी इच्छा के स्थान पर

III. जहां वह सहज एवं सुरक्षित महसूस करें

IV. जहां उसके माता–पिता, संरक्षक / ऐसे व्यक्ति जिस पर उसे विश्वास हो

V. जहां तक हो सके महिला पुलिस अधिकारी (जो सब इंस्पेक्टर के स्तर की हो) की उपस्थिति में दर्ज किये जाएंगे।

6. किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त की उपस्थिति में पीड़ित का बयान नहीं लिया जाएगा। न ही उनके सम्पर्क में आने दिया जाएगा।

7. किसी भी बच्चे / पीड़ित बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस थाने में नहीं रोका जाएगा।

8. पुलिस अधिकारी बयान के समय वर्दी में नहीं रहेगा।

9. इस अधिनियम के दुरूपयोग को रोकने के लिए फर्जी केस दर्ज कराने, गलत भावना से जानकारी उपलब्ध करवाने जैसे कार्यो को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान है। यदि बच्चे के खिलाफ कोई फर्जी रिपोर्ट की जाती है तो एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

10. पीड़ित बच्चे की चिकित्सकीय जांच, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने की परिस्थिति में भी दण्ड प्रक्रिया, संहिता, 1973 की धारा 164–क के अनुसार संचालित की जायेगी।

11. इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 3,5,7 व 9 के अधीन अभियोजित व्यक्ति को अपराध करने, करवाने या दुष्प्रेरित करने के लिए विशेष अदालत द्वारा तब तक अपराधी माना जाएगा जब तक वह अपनी प्रतिकूलता साबित न कर दे।

12. विशेष न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान बच्चे को लघुअन्तराल की अनुमति दी जा सकती है।

13. विशेष न्यायालय, बालक के परिवार के सदस्य, संरक्षक, मित्र या रिश्तेदार जिसमें बालक को विश्वास है, की उपस्थिति में बालमित्र वातावरण में सुनवाई करेगा। बालक को साक्ष्य देने के लिये बार–बार नहीं बुलाया जाएगा।

विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट न हो एवं कोई भी आक्रामक या चरित्र पर हमला करने वाले प्रश्न नहीं किए जाएं।

हम क्या कर सकते है :

बताइए

1. हमारी समिति इस मुद्दे पर गहनता से विचार कर पंचायत में बच्चों के लिये सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करें।

2. विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभाओं , बाल सभाओं एवं अन्य स्थानों पर बच्चों से सीधी बात–चीत कर समिति के प्रति विश्वास कायम करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या को बच्चे निःसंकोच समिति के सदस्यों को बता सकें।

3. पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सुझाव पेटी अथवा शिकायत पेटी लगवानी चाहिए जिससे कोई भी बालक–बालिका बिना अपना नाम बताए अपने मन की बात, समस्या, शिकायत लिखकर पेटी में डाल सके।
4. समिति को बड़ी गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समझदारी से विभिन्न समस्याओं का जल्द से जल्द हल खोजना चाहिए जिससे समय पर बच्चों का संरक्षण गोपनीयता के साथ सुनिश्चित हो पाए।

प्रत्येक राज्य में इस अधिनियम के तहत् क्षेत्र में संबंधित वृत्ताधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त, जांच अधिकारी की नियुक्ति विशेषरूप से की गई है। इसके अलावा समिति द्वारा संबंधित थाने के बाल कल्याण अधिकारी (CWO), जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।

छठा सत्र

विचारणीय बिन्दु

★ **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं**

अवधि : 30 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ

- ❖ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेषकर बच्चों के लिये चलायी जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी एवं इन योजनाओं से जुडाव।
- ❖ हम विगत दो दिनों से बच्चों के लिये बने देश के कानूनों पर चर्चा कर रहे है परन्तु अब सबसे बड़ा सवाल यह खडा होता है कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों जैसे बाल श्रमिक, अनाथ, विकलांग, शोषण के शिकार, भयानक बीमारी से ग्रस्त इत्यादि बच्चों को अधिनियम की सहायता द्वारा स्थिति विशेष से मुक्त तो करवाया जा सकता है परन्तु इनके पुनर्वास एवं देखभाल को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाये।
- ❖ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिये कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन विभिन्न विभाग कर रहे हैं हमारी समिति को इसकी जानकारी होने पर निश्चित तौर पर हम हमारी पंचायत में सभी बच्चों का बेहतर संरक्षण कर पाएगें।

बताइए

- ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है एवं वे बच्चे जो विधि से संघर्षरत हैं दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल एवं पुर्नवास के लिये वैकल्पिक सुविधाएं की गयी हैं यथा –

1. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
2. विभिन्न बाल गृहों का संचालन
3. पालन देखभाल (फोस्टर केयर)
4. दत्तक ग्रहण (गोद लेना)
5. पालनहार (रिश्तेदार द्वारा बच्चे को पालना)

(प्रेरक संलग्नक–7.3 से 7.5 के अनुसार एक–एक करके सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन कहाँ करना है, आवश्यक दस्तावेज एवं मिलने वाले लाभ की जानकारी सदस्यों को देवें।)

सातवा सत्र

विचारणीय बिन्दु

★ क्या सीखा ? क्या पाया ?

अवधि : 15 मिनिट

❖ हम सभी ने अब तक बच्चों के लिये बने कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। यह हमारे लिये आगामी कार्ययोजना में आधार का कार्य करेगी।

(समापन से पूर्व प्रेरक द्वारा खुली चर्चा करते हुए कुछ प्रश्न समिति के सदस्यों से पुछे जाये ताकि बतायी गयी पूरी जानकारी की समीक्षा की जा सके।)

प्र. 1 हमने कुल कितने अधिनियमो की जानकारी प्राप्त की?

प्र. 2 बच्चों की शिक्षा के लिये बने कानून में मुख्य बात क्या है?

प्र. 3 अनाथ बच्चों के लिये सरकार द्वारा कौनसी योजना चलायी जा रही है?

प्र. 4 बच्चों को न्याय दिलाने वाला कानून क्या है?कानूनी प्रक्रिया के समय पुलिस क्या–क्या नहीं कर सकती है?

प्र. 5 बाल विवाह रोकना क्यों जरूरी है इसके क्या नुकसान है?इसके लिए कौन सा कानून बना है?

प्र. 6 किसी बच्चे के साथ छेडछाड, मारपीट होने पर क्या ऐसे व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकता है। इस कानून का क्या नाम है?

(गतिविधि : प्रेरक द्वारा किसी भी सदस्य से आगे आकर किसी अधिनियम की जानकारी सभी को देने हेतु आग्रह किया जाए एवं इस प्रकार एक–एक करके सभी अधिनियमों की जानकारी अलग –अलग सदस्य देवें। प्रेरक द्वारा इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाये की कोई भी सदस्य गलत सूचना अथवा जानकारी नही ना देवें ।)

करणीय कार्य :

❖ समिति के सदस्य विभिन्न अधिनियमों अन्तर्गत मुख्य प्रावधान चार्ट पर लिखकर पंचायत में लगा सकते हैं।

❖ मुख्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं आवश्यक दस्तावेज संबंधी जानकारी भी चार्ट पर पंचायत में विभिन्न स्थानों पर चस्पा की जा सकती है।

❖ "मन की बात" नाम से सुझाव पेटी भी बच्चों के लिये पंचायत में लगवायी जा सकती है।

❖ विभिन्न उपयोगी सम्पर्क सूत्र चार्ट पर लिखकर पंचायत में चस्पा किये जा सकते हैं जिस पर बाल अधिकारों के हनन के मामलों की तुरन्त सूचना दी जा सके।

चौथी बुनियाद (आओ बनाये बाल मित्र पंचायत)

अध्याय एक नजर में :

प्रस्तुत अध्याय समिति के सदस्यों को अपनी समिति के लिये कार्य करने एवं योजना बनाने हेतु सक्रिय करेगा। प्रेरक के लिये आवश्यक है कि वह समस्त जानकारियां सरलता के साथ प्रस्तुत करें। सदस्यों में बच्चों के प्रति कार्य करने का उत्साह जागृत करना आवश्यक है। चौथी बुनियाद में बाल मित्र पंचायत की अवधारणा से सदस्यों को परिचित करवाना और अपनी पंचायत के प्रारम्भिक सूचकों (लक्ष्यों) के निर्धारण में सहायता करना एवं साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिये निगरानी प्रणाली अर्थात चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की भी जानकारी देनी है।

उद्देश्य :

1. बाल मित्र पंचायत – एक परिचय
2. बाल मित्र पंचायत हेतु सूचकों (Indicators) / प्रारम्भिक लक्ष्यों का निर्माण
3. चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की शुरूआत

आयोजन संरचना

बैठक में सत्र	:	पांच
स्थान	:	सभी की सुविधानुसार पंचायत का कोई सार्वजनिक स्थल (रा.गा.से केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन) जहां पूरी बैठक के मध्य व्यवधान न्यूनतम रहे।
सामग्री	:	बैठने की पर्याप्त व्यवस्था / सुविधा, रजिस्टर, चार्ट, पेन, स्केच पेन, मार्कर, सहायक पठन सामग्री (उपलब्ध हो तो), कंकू, अन्य पूजन सामग्री
प्रतिभागी	:	समस्त PLCPC के सदस्य
अवधि	:	न्यूनतम 2:30 घंटे अधिकतम 4:00 घंटे

सत्र की रूप रेखा :

क्र. स	विषय	प्रक्रिया	समय (मिनिट)
1	प्रार्थना एवं परिचय	गीत, भजन द्वारा वातावरण निर्माण एवं रोचक गतिविधि द्वारा परिचय	30
2	बालमित्र पंचायत एक परिचय	प्रश्नोत्तर, चर्चा	45
3	सूचकों / लक्ष्यों का निर्धारण	चार्ट प्रदर्शन, विचार विमर्श	45
4	चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की शुरूआत	प्रश्नोत्तर, चित्र प्रदर्शन, गतिविधि	45
5	क्या सीखा? क्या पाया	प्रश्नोत्तर, चर्चा	15

चर्चा कैसे करें?

आज की बैठक / प्रशिक्षण में उद्देश्यों के आधार पर पांच सत्रों में बातचीत होगी–

पहला सत्र

★ प्रार्थना एवं परिचय

अवधि 30 मिनिट

प्रेरक द्वारा प्रत्येक बैठक की तरह आज की बैठक /प्रशिक्षण की शुरूआत भजन / प्रेरणादायक गीतों से की जाए।

सभी का तिलक लगाकर स्वागत एवं अभिनन्दन

(प्रेरक द्वारा अब तक की बैठकों में समिति के सदस्यों की रूचि के अनुसार इस कार्य की जिम्मेदारी भी दी जाए, जिससे भावी बैठकों में यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।)

परिचय :

- आज परिचय की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी, प्रेरक द्वारा उपस्थित सदस्यों से एक गतिविधि करवायी जाए, जिसमें सदस्य अपना नहीं बल्कि समिति के किसी अन्य सदस्य का नाम एवं पद की जानकारी देंगे।

(इस गतिविधि से समिति के समस्त सदस्य अपने कार्यों एवं पद की जानकारी के साथ–साथ अन्य सदस्यों की जानकारी भी सरलता से प्राप्त करेंगे)

- प्रेरक द्वारा आज की बैठक का उद्देश्य बताने से पूर्व समिति के सदस्यवार पूर्व बैठक में किए गए कार्यो की प्रस्तुति दी जा सकती है।

(प्रेरक, सदस्यों से आग्रह करें कि प्रथम बैठक से अभी तक जो मुख्य गतिविधियां, चर्चाएं की गयी हैं उनका प्रत्येक सदस्य संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, जिसे प्रेरक एवं अन्य सदस्य भी नोट करें। यदि कोई मुख्य विषय अथवा जानकारी शेष रह जाए तो अन्य सदस्यों द्वारा बतायी जावे।)

दूसरा सत्र

बाल मित्र पंचायत–एक परिचय

इस सत्र के प्रमुख विचारणीय बिन्दु –

★ बाल मित्र पंचायत की परिभाषा एवं जानकारी।

★ हमारी पंचायत के प्रारम्भिक लक्ष्यों पर चर्चा।

★ **अवधि :** 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

❖ बाल मित्र पंचायत क्या होती है?

❖ हमें अपनी पंचायत को बाल मित्र की श्रेणी में लाने हेतु कहां से शुरूआत करनी होगी?

(इस सत्र का प्रारम्भ प्रेरक द्वारा बड़ी कुशलता एवं भूमिका निर्माण के साथ होना चाहिए। इस सत्र के बाद PLCPC अपनी पंचायत को बाल मित्र पंचायत की श्रेणी में लाने हेतु प्रयासरत होनी चाहिए। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस सत्र में उन्हें प्रेरित कर उनमें इच्छा शक्ति जागृत नहीं की जाए। उक्त जानकारी देने से पूर्व प्रेरक द्वारा निम्न गतिविधि करवाई जा सकती है जिसक माध्यम से गत प्रशिक्षण /बैठकों के प्रति सदस्यों की समझ को ओर बेहतर किया जा सके।)

गतिविधि :

- आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे है इससे पूर्व हमने गत बैठकों मे क्या जाना एवं क्या सीखा ?पर चर्चा करना आवश्यक है।
- प्रेरक उपस्थित सदस्यों के तीन समूह बनाए प्रथम समूह को प्रथम बुनियाद, द्वितीय समुह को द्वितीय बुनियाद, तृतीय समुह को तृतीय बुनियाद के रूप में विभक्त करें।
- सर्व प्रथम प्रेरक प्रथम बुनियाद के प्रमुख बिन्दुओं का पुनः स्मरण कराएं । इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय बुनियाद पर प्रमुख बिन्दुओं का स्मरण कराएं।
- अब प्रत्येक समूह को 20 मिनिट का समय दिया जाए। उसके बाद प्रेरक प्रथम समूह से बाल संरक्षण के संबंध में उन्होंने क्या सीखा उस पर सभी सदस्य एक–एक वाक्य बताएंगे और प्रेरक इन वाक्यों को चार्ट पर लिखते चले जाएं।
- दूसरे व तीसरे समूह के सदस्य भी ध्यान से सुने एवं यदि कोई जानकारी शेष रह गयी हो तो उसे सम्मिलित करें।

बताइए

प्रेरक– आज की बैठक में इन जानकारियों पर पूनः चर्चा करना आवश्यक था। इन्हीं के आधार पर अब हम चर्चा करेंगे। हमने अब तक कई अधिनियम, नियम एवं योजनाओं को जाना है। जरा सोचिए कि हम अपनी पंचायत को बच्चों के सदंर्भ कैसी बनाना चाहते है। हमने गत बैठकों में विभिन्न कहानियों के माध्यम से बच्चों की स्थिति एवं विभिन्न पंचायतों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को जाना। अब हमारी बारी है।

(सभी को पांच मिनिट चिन्तन के लिये समय दिया जाए कि वे अपनी पंचायत को बच्चों के लिये कैसी बनाना चाहते है। जो भी सुझाव प्राप्त हो प्रेरक उन्हें चार्ट पर दर्ज करें।)

- क्या आपकों नहीं लगता कि जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं अथवा जिनके सन्दर्भ में पंचायत में कार्य करना चाहते है उनके विचार, सुझाव भी जानने चाहिए?

- क्या समिति के सदस्यों को बच्चों के साथ बैठ कर चर्चा नहीं करनी चाहिए?
- बच्चे समिति को बिना हिचकिचाएं आराम से अपनी बात कह सके इसके लिये हमें क्या करना चाहिए?

(प्रेरक प्राप्त सुझावों एवं चर्चा का सार बताते हुए सदस्यों से यह बात कहें कि सभी के सुझावों से स्पष्ट है कि सभी बच्चों के साथ मिलकर बच्चों के लिये सुरक्षित वातारण का निर्माण करना चाहते है। यह शुरूआत ही बाल मित्र पंचायत की नींव का कार्य करेगी।)

- **बाल मित्र पंचायत क्या हैं?:** "ऐसी पंचायत जहां बच्चों को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का, पढ़ने का, खेलने का, बढने का, अच्छे स्वास्थ्य का, पोषण का पूरा अवसर मिले ।"

"मित्र" शब्द का अर्थ है – आपसी विचारधारा का मिलना, उनमें परस्पर आदर भाव एवं सहयोग करने की भावना होना।

"बाल मित्र" शब्द का अर्थ है – बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य होगा तथा उनकी समझ इच्छा एवं पहुंच के आधार पर अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जब इसे पंचायत से जोडा जाता है तब यह कहा जा सकता है कि ऐसी पंचायत अपने अन्य नियमित कार्यों के साथ बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। उनकी पालना को सुनिश्चित कर बच्चों का पूरा संरक्षण करे।

उदाहरणार्थ :

निम्बोदा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसे वहां की PLCPC ने बाल मित्र पंचायत घोषित किया है, एवं इस घोषणा का आधार पंचायत ने अपने कुछ प्रारम्भिक लक्ष्यों द्वारा तय किया है–

★ पंचायत में कोई भी बच्चा बाल श्रमिक नहीं होगा।

★ पंचायत के समस्त बच्चे अपनी उम्र के अनुसार आंगनवाड़ी या विद्यालय से जुड़े हैं।

★ पंचायत बैठकों में अपनी बात रखने का बच्चों को भी समान अवसर मिलता है।

★ जिस परिवार/बच्चे को किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने की पात्रता हो उसे उचित लाभ मिल रहा है।

इस पंचायत ने अथक प्रयास कर इन सूचकों के आधार पर उपलब्धि हासिल की। तत्पश्चात निम्बोदा ने ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम कर अपनी पंचायत को "बाल मित्र पंचायत" घोषित किया।

- जरूरी नहीं कि यही कार्य कर हम अपनी पंचायत को बाल मित्र बनाए। हमें सोचना होगा कि किन मुद्दों पर वर्तमान में हमारी पंचायत को कार्य करने की आवश्यकता है –

  - क्या हमारी पंचायत के बच्चे नियमित रूप विद्यालय जा रहे है?
  - क्या स्वास्थ्य के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता है?(आयुवार टीकाकरण)
  - बालक–बालिका में भेद–भाव हो रहा है?

- क्या हमारे यहां बाल श्रम की समस्या है?
- क्या हमारे यहां बाल विवाह की समस्या है?
- क्या सभी बच्चों को पोषक आहार मिल रहा है?
- बाल सुरक्षा की जरूरत है?
- क्या विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था समुचित है?
- क्या विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है?

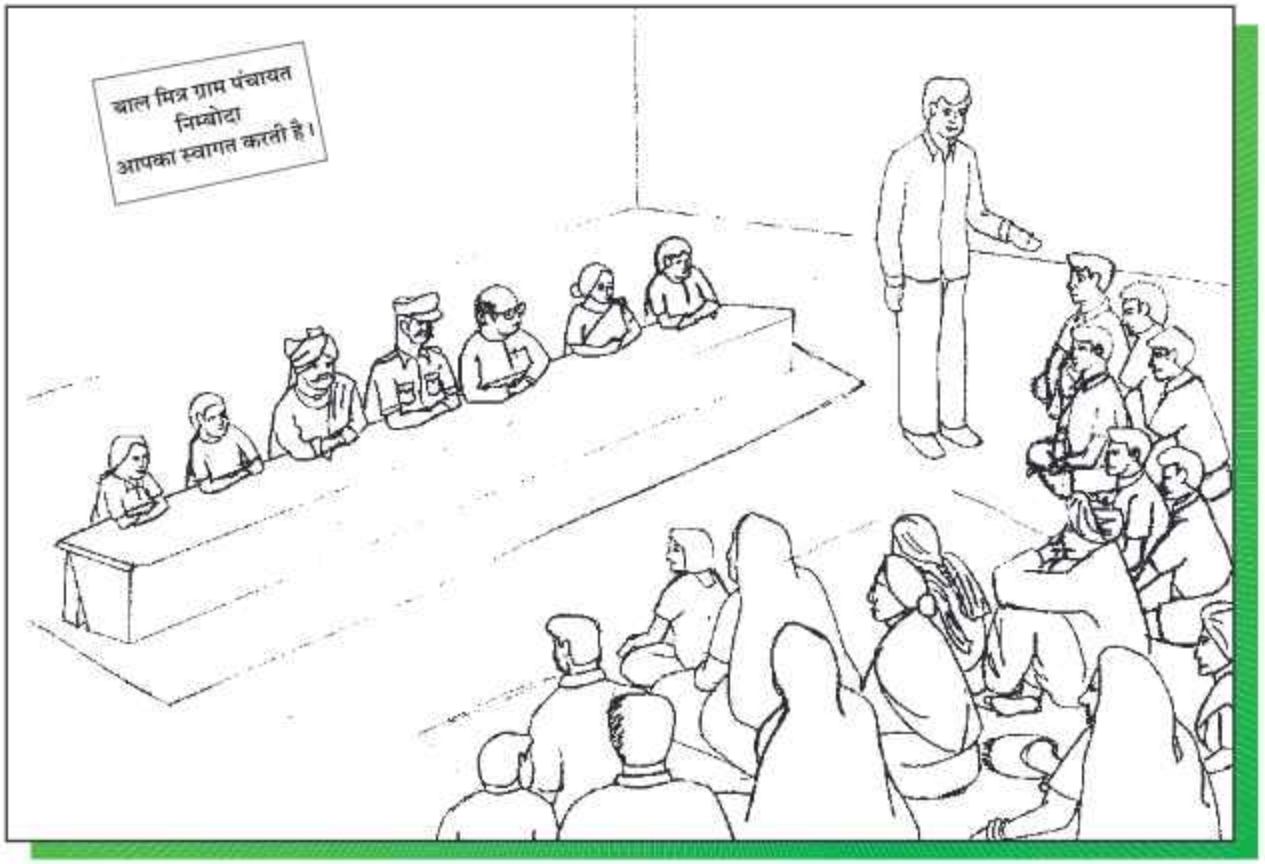

हमें ऐसे मुद्दे खोजने होंगे, जिन पर हमारी समिति मुख्य रूप से आगामी छः माह / एक वर्ष के लिए कार्य करेगी। इस बात पर गहनता से विचार कर कुछ समय पश्चात हम अपनी पंचायत के लिए सूचक अथवा प्रारम्भिक लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते है।

(प्रेरक यह ध्यान रखें कि पंचायत की स्थिति / संसाधनों के अनुसार चर्चा की जानी चाहिए, यदि किसी पंचायत में बताए गए विषयों पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है तो प्रेरक आदर्श / मॉडल कार्यो की ओर ध्यान आकर्षित करें।)

जैसे :

- मॉडल विद्यालय की स्थापना
- 90% नियमित उपस्थिति
- पंचायत में बच्चों का अलग से कोई दल / मंच / फोरम हो।
- सदस्यों की सहभागिता से विद्यालय में योजना का निर्माण हो।
- ग्राम पंचायत के विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के पृथक शौचालय हो।
- अन्य मुद्दे।

गतिविधि :

सभी से सुझाव आंमत्रित किये जाए समस्त सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जाए एवं प्राप्त सुझावों को चार्ट पर अंकित करें।

तीसरा सत्र

बाल मित्र पंचायत हेतु सूचकों / प्रारम्भिक लक्ष्यों का चयन

इस सत्र के प्रमुख विचारणीय बिन्दु :

★ पिछले सत्र के आधार पर पंचायत में किन मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्य करना है? इस पर चर्चा।

★ आगामी छः माह / एक वर्ष के लिये हमारी पंचायत के प्रारम्भिक लक्ष्यों का चयन।

अवधि : 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ –

❖ किन–किन मुद्दों / विषयों पर पंचायत को बच्चों के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है?

❖ हमारी पंचायत को बाल मित्र बनाने हेतु प्रारम्भिक लक्ष्य क्या होने चाहिए?

(प्रेरक द्वारा इस सत्र का प्रारम्भ निम्न प्रश्नों के साथ किया जा सकता है।)

प्र.1 आप कभी अपने गांव से कहीं बाहर जाते हो तो क्या करना होता है?

प्र.2 यदि आप किसी ऐसे शहर में जा रहे हो जहां कभी नहीं गये तब आप क्या तैयारी करते हो / सोचते हो?

(इन प्रश्नों पर थोड़ा समय देते हुए प्राप्त उत्तरों को चार्ट पर लिखा जाए।)

- दोनों प्रश्नों की स्थिति में यह बात जरूर सामने आएगी कि हमें कुछ भी करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है।
- एकदम से कुछ भी कार्य या लक्ष्य प्राप्त नहीं होता।
- हमें योजना को तैयार करना होता है, जैसे –
  - कहां जाना है?
  - कितनी दूरी है?

- कैसे जा पायेंगे?
- क्या साधन / संसाधन उपलब्ध है?
- किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है?

- हमें अपनी पंचायत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी ही कुछ कार्य योजना हमारी PLCPC को भी बनानी होगी,
- इस योजना को पूर्ण होता देखने के लिए एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इस हेतु हमें कुछ सूचकों / लक्ष्यो का निर्धारण करना होगा।
- किसी भी मार्ग पर चलते–चलते जब हमारे गंतव्य स्थान आने लगता है या स्थान की दिशा बलाने वाला कोई बोर्ड दिखता है तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे है।
- हमारी पंचायत में अब तक प्राप्त सूचनाओं/डाटा से हमें यह तो अंदाजा लग गया है कि बच्चों के लिये कहां से पहल की जानी चाहिए परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास संसाधन की कितनी उपलब्धता है?
- यदि कोई सुविधा/संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो विचार करें कि किन माध्यमों से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है।
- सूचकों /लक्ष्य का चयन एवं योजना का निर्माण हम सभी को मिलकर करना होगा।

गतिविधि : प्रेरक सदस्यों को कुछ समय सोचने के लिए दें। उसके पश्चात सभी को अपनी पंचायत के लिये प्रारम्भिक पांच लक्ष्य अथवा सूचक निर्धारित करने का आग्रह करें।

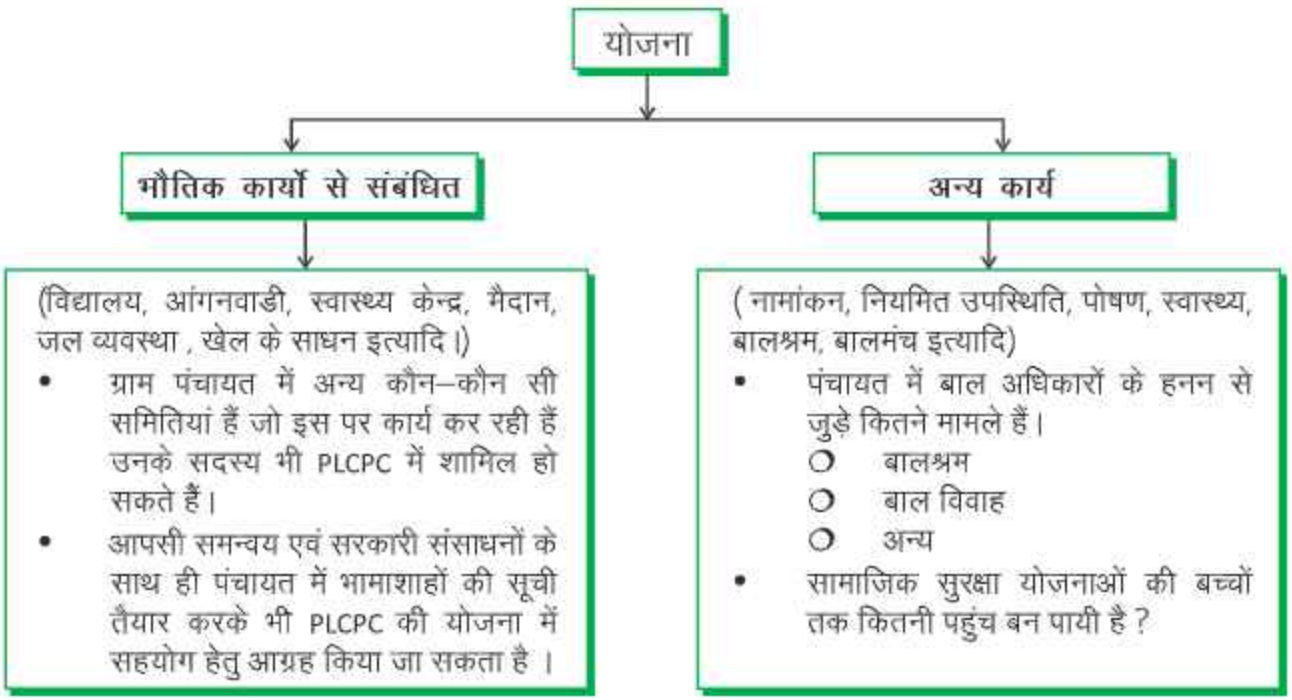

(अंत में प्रेरक उन्हें अलग–अलग क्षेत्रों पर योजना बनाने हेतु सुझाव दें)

इसके आधार पर गहन विचार विमर्श कर PLCPC आगामी छः माह अथवा एक वर्ष के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करें :

- आवश्यकता आधारित।
- सर्वोत्तम बाल हित।
- संख्या अथवा आंकड़ों के साथ प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हों।
- उपलब्ध संसाधन।
- समय सीमा का निर्धारण।
- काल्पनिक न हो।
- निश्चित।
- सभी की सहमति हो।

उदाहरणार्थ :

1. हम.....बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें विद्यालय में नामांकित करेंगे। (बच्चों की संख्या)
2. .....बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाएगे। (बच्चों की संख्या)
3. .....अनाथ बच्चों एवं.....विधवा माता के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। (संख्या)
4. इत्यादि (क्षेत्र विशेष के आधार पर)

(नोट : लक्ष्य का निर्धारण ऐसी प्रक्रिया है जो समिति के सदस्यों की समझ बन जाने के पश्चात् अपने आप सम्पन्न होनी चाहिये। किसी भी दबाव अथवा प्रेरक केवल अपने सुझावों से इसका निर्माण न करवाए।)

चौथा चरण

चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (बालक निगरानी व्यवस्था) की शुरूआत

इस सत्र के प्रमुख विचारणीय बिन्दु :

- ★ बाल निगरानी व्यवस्था की जानकारी।
- ★ बाल निगरानी व्यवस्था की उपयोगिता पर चर्चा।

अवधि : 45 मिनिट

सत्र के अंत में PLCPC सदस्यों में अपेक्षित समझ :

- ❖ बाल निगरानी व्यवस्था क्या है?
- ❖ पिछले सत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा?

बताइए

- आज की इस बैठक का हमारा महत्वपूर्ण ऐजेण्डा यह भी है कि हम बच्चों को किसी योजना, विद्यालय एवं अन्य सुविधाओं से न केवल जोड़ने का कार्य करें, बल्कि हमारी पंचायत से समस्त बच्चों को ट्रेक करना अथवा उनकी नियमित जानकारी रखना भी हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है।
- अब तक की बैठकों एवं किये गये कार्यो से पंचायत का नजरी नक्शा एवं समस्त 0–18 वर्ष के बच्चों की जानकारी PLCPC के पास आ गयी है, उसी के आधार पर हमें इस पूरी सूचना की नियमित जांच करनी होगी एवं इसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा।
- पिछले सत्र में हमने हमारे प्रारम्भिक लक्ष्यों का चयन किया परन्तु हमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिये जिससे कार्यो की प्रगति का अंदाजा लगाया जा सके।

उदाहरण :

श्यामपुरा एक ऐसी पंचायत है जहां PLCPC ने सरकारी रिकार्ड एवं सर्वे द्वारा बच्चों की पूरी जानकारी प्राप्त कर अपनी पंचायत का नजरी नक्शा तैयार किया, जिससे परिवार के अनुसार समस्त बच्चों की स्थिति को देखा जा सके। PLCPC ने सूचनाओं को चार्ट पर एवं अपने रजिस्टर में दर्ज किया। जिससे समिति के साप्ताहिक निरीक्षण, मासिक बैठक में काफी सहयोग मिलता है एवं इसी के आधार पर समिति को कार्य करने की दिशा प्राप्त होती है।

सूचना रजिस्टर बनाना :

दर्शाये चित्रानुसार पंचायत के बच्चों (0–18) की निम्नांकित जानकारी, चार्ट एवं PLCPC के रजिस्टर में दर्ज है–

1. उम्रवार बालक–बालिकाओं की संख्या।
2. गत वर्ष के बाल विवाहों की जानकारी।
3. आंगनवाड़ी की संख्या ।
4. विद्यालयों की जानकारी (PS, UPS, SS)।
5. 6–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चे।
6. नियमित विद्यालय जाने वाले बच्चे।

7. विद्यालय नहीं जा रहे बच्चों की संख्या।
8. शिशु मृत्यु दर की जानकारी।
   - अ. जन्म से एक सप्ताह में (बालक / बालिका)
   - ब. जन्म से एक माह के भीतर
   - स. जन्म से छः माह के भीतर
   - द. जन्म से एक वर्ष के भीतर
   - य. जन्म से 5 वर्ष के भीतर
9. विशेषयोग्यजन बच्चों की संख्या एवं विशेष आवश्यकता एवं देखभाल वाले बच्चों की संख्या ।

इसके आधार पर PLCPC ने समिति के सदस्यों को अलग–अलग जिम्मेदारी देकर इस सूचना को नियमित अपडेट करवाया, जिससे PLCPC को बच्चों की नियमित जानकारी प्राप्त हो सके। यह पूरी व्यवस्था उक्त पंचायत की चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम अथवा बाल निगरानी द्वारा की गई है।

चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के लाभ :

बताइए (प्रेरक द्वारा चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के लाभ बताने से पूर्व समिति के सदस्यों से श्यामपुरा द्वारा अपनायी जा रही व्यवस्था के लाभ पूछे जा सकते हैं तत्पश्चात प्रेरक, सुझावों को सम्मिलित कर जानकारी दें एवं इन्हें चार्ट पर अंकित करें।)

- समस्त बच्चों की उम्रवार जानकारी होगी।
- पंचायत में बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम / गतिविधियों की स्थिति का अंदाजा होगा।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच का अंदाज एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित परिवारों की जानकारी।
- योजना बनाने में सहायक।
- आवश्यक मुद्दों की पहचान।
- बाल अधिकारों के हनन को रोका जा सकता है।
- स्पष्ट स्थिति।
- सुधार, सुझाव एवं नई योजना निर्माण में सहायक।
- समय पर कार्यवाही की जा सकती है।

(इस प्रकार प्रेरक, समिति के सदस्यों से चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की उपयोगिता पर चर्चा कर अपनी पंचायत में इस सिस्टम को बनाने पर सभी की राय एवं प्रतिक्रिया को जानें)

प्र. 1 क्या चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम / प्रणाली की आवश्यकता है?

प्र. 2 इससे हमें क्या लाभ हैं ?

(प्राप्त उत्तरों पर चर्चा के पश्चात प्रेरक द्वारा सभी से आग्रह किया जाए कि हमें इसी माह से इस व्यवस्था की शुरूआत करनी चाहिए। भले ही इस माह से हम पूरी जानकारी एवं व्यवस्था लागू न कर पाए परन्तु धीरे–धीरे हमारी पंचायत भी श्यामपुरा की तरह इस प्रणाली पर व्यवस्थित रूप से कार्य प्रारम्भ कर देगी।)

- **गतिविधि** : प्रेरक द्वारा सलंग्नक 7.5 के अनुसार प्रपत्र की छायाप्रति सभी सदस्यों को दी जाए प्रपत्र के प्रारूप में दी गई सूचनाओं की जानकारी सभी को दी जाए। इस कार्य हेतु व्यक्तिवार जिम्मेदारी भी दी जा सकती है जैसे–
  - **समिति के दो सदस्य (महिला+पुरूष)** : विद्यालय संबंधित सूचनाओं पर कार्य।
  - **एक महिला सदस्य** : स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर गर्भवती महिलाओं, जन्मे बच्चे, टीकाकरण एवं अन्य जानकारी हेतु कार्य करेंगे।
  - **दो सदस्य (महिला+पुरूष)** : आंगनवाड़ी से सूचना
  - **दो सदस्य (महिला+पुरूष)** : बाल श्रम की जानकारी।
  - **एक सदस्य** : पंचायत में बाहरी एजेन्सी / संस्था द्वारा क्या कार्य किये जा रहे हैं।, कौन व्यक्ति पंचायत में बाहर जाकर कार्य कर रहा है?
  - **दो बाल प्रतिनिधि** : बाल मंच, बाल फोरम अथवा बच्चों की गतिविधियों की जानकारी ।
  - **एक सदस्य (अध्यक्ष / प्रभावी सदस्य)** : सभी के साथ सहयोग एवं नियमित फॉलोअप।

(सर्वप्रथम बैठक / प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध सूचनाओं / डेटा को प्रपत्र में भरा जाए। उपर्युक्त वर्णित समस्त जानकारियाँ दूसरे प्रशिक्षण में प्राप्त कर ली गयी हैं। इस प्रकार प्रेरक, समिति के सदस्यों को चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम न केवल समझाए बल्कि जिम्मेदारी देते हुए इसी माह से कार्य प्रारम्भ करने का संकल्प भी दिलवाए।)

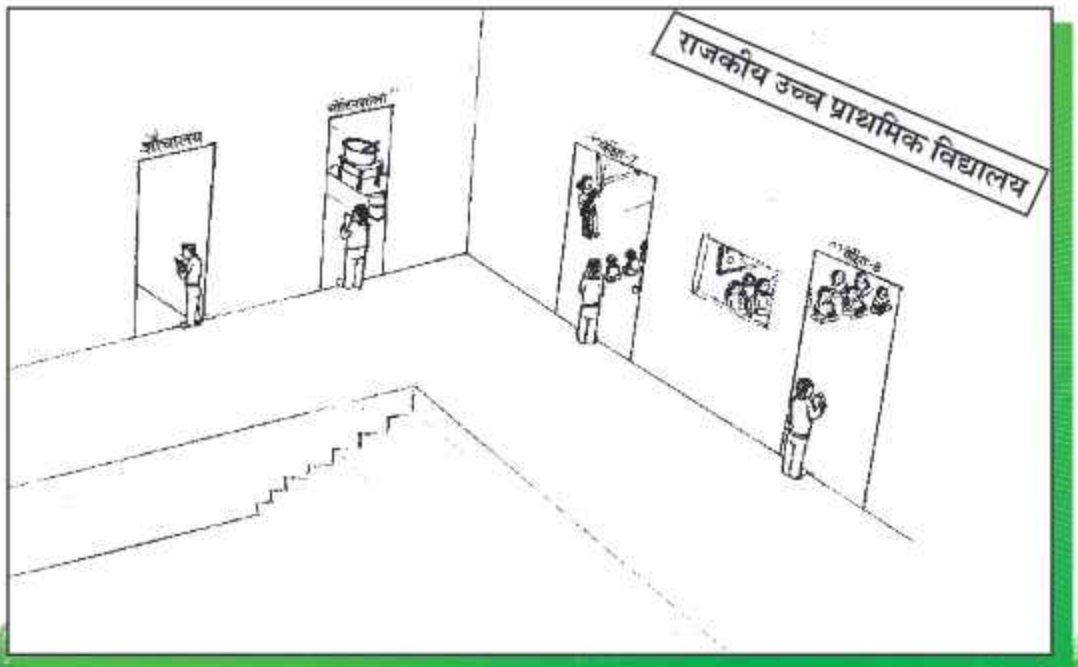

PLCPC सदस्यों द्वारा स्थानीय विद्यालय का निरिक्षण

पांचवा सत्र

क्या सीखा ? क्या पाया ?

अवधि : 15 मिनिट

- हम सभी ने आज की इस प्रमुख बैठक में बाल मित्र पंचायत की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि हमारे कुछ प्रारम्भिक लक्ष्यों का निर्धारण भी हमने किया है।

(समापन से पूर्व प्रेरक द्वारा खुली चर्चा करते हुए कुछ प्रश्न समिति के सदस्यों से पूछे जाए ताकि बतायी गयी पूरी जानकारी की समीक्षा की जा सके।)

प्र. 1 बाल मित्र पंचायत किसे कहेंगे ?

प्र. 2 हमारी समिति में हमने कौन–कौन से प्रारम्भिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं?

प्र. 3 बाल निगरानी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी सदस्यों को अलग–अलग कार्य सौंपे गये हैं। कृपया कर एक–एक करके सभी सदस्य अपने कार्य बताए।

बताइए

समापन एवं आवश्यक सूचना :

समिति की चौथी बैठक के समापन के साथ ही प्रेरक द्वारा सभी को आगामी पांचवी बैठक की जानकारी देते हुए यह बताया जाए कि अब तक की हमारी बैठकें एवं चर्चाओं से हमने जो कुछ सीखा एवं जाना है उसे पंचायत के आमजन को बताना आवश्यक है। जब तक पंचायत में अन्य सदस्यों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि पंचायत में बच्चों के लिये विशेष रूप से कोई समिति संचालित की जा रही है तब तक सही मायनों में बाल संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसी प्रमुख उद्देश्य से हमारी आगामी बैठक में हमारे अलावा पंचायत के अन्य व्यक्ति, मौतबिरान, बच्चे, महिलाएं सभी को (लगभग 60–80 व्यक्ति) आमंत्रित किया जाना आवश्यक है और इस बैठक को हम केवल मात्र बैठक नाम नहीं देकर "**बाल उत्सव**" के रूप में मनाएगे।

करणीय कार्य :

व्यक्तिवार लोगों को **बाल उत्सव** की सूचना देने का कार्य विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रधानाध्यापक द्वारा पंचायत में संचालित विद्यालय प्रबंधन समितियों के दो–दो प्रमुख सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पंचायत में संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की चयनित प्रतिनिधियों को, ग्राम सचिव द्वारा पंचायत में कार्यरत विभिन्न सरकारी कर्मचारियों अथवा प्रतिनिधियों को, बाल सदस्यों द्वारा गांव के अन्य चयनित बच्चों को आंमत्रित करें। इस प्रकार सभी अपनी–अपनी जिम्मेदारी के अनुसार न केवल सूचना देने का कार्य करें बल्कि आगामी उत्सव की तैयारी में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करें। पंचायत अपनी रूचि के अनुसार इस उत्सव को मना सकते हैं जैसे – बाल मेला, प्रदर्शनी कार्यक्रम, सामूहिक चर्चा, कलाजत्था इत्यादि में से कोई चयन कर इसके आधार पर तैयारी कर सकते है । इस हेतु PCLCPC के सदस्य मिलकर योजना बनाएं जिससे आंमत्रित समुदाय/व्यक्ति/ बच्चे रूचि से इसमें भाग ले सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए लगभग 15 दिन पूर्व से ही वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए।

पांचवी बुनियाद (बाल उत्सव) / मेला व प्रदर्शनी

अध्याय एक नज़र में :

प्रस्तुत अध्याय अंतिम बुनियाद के रूप में केवल मात्र प्रशिक्षण अथवा समिति की बैठक नहीं है। यह बाल उत्सव के रूप में आयोजित होने वाला पंचायत स्तर का कार्यक्रम है। जिसमें PLCPC सदस्यों द्वारा अब तक प्राप्त प्रशिक्षणों/बैठकों से जो समझ बना पाए हैं उससे ग्राम पंचायत के आमजन को अवगत करवाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण हेतु जागरूकता का वातावरण निर्मित हो इस हेतु प्रयास करेंगे।

उद्देश्य :

1. ग्राम पंचायत में PLCPC का बाल संरक्षण हेतु जन चेतना के प्रयास।
2. ग्राम पंचायत में आमजन का PLCPC सदस्यों एवं समिति के सामान्य प्रमुख दायित्वों से परिचय।
3. बाल मित्र पंचायत की योजना का प्रस्तुतीकरण ।
4. बाल संरक्षण में आमजन के विचार व सुझाव।
5. "बाल मित्र पंचायत" बनाने हेतु एकजुट होकर संकल्प लेना।

आयोजन संरचना :

बैठक में सत्र	:	पांच
प्रतिभागी	:	समस्त PLCPC के सदस्य, SMC के सदस्य बाल फोरम/बाल मंच के सदस्य गावं के अन्य जागरूक युवा, महिलाएं एवं बच्चे (लगभग 80–100 प्रतिभागी)
स्थान	:	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र अथवा पंचायत का कोई ऐसा स्थान जहां समस्त प्रतिभागियों की बैठक व्यवस्था हो पाएं।
सामग्री	:	बैठने हेतु उपयुक्त साधन, चार्ट, मार्कर, स्केच पेन, फ्लेक्स, PLCPC बेनर, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि उपलब्ध हो तो।
समय	:	न्यूनतम 3:00 घंटे अधिकतम 4:00–4:30 घंटे

सत्र की रूप रेखा :

क्र. स	विषय	प्रक्रिया	समय (मिनिट)
1	प्रार्थना एवं परिचय	गीत, भजन द्वारा वातावरण निर्माण एवं रोचक गतिविधि द्वारा परिचय	45
2	PLCPC गठन की आवश्यकता एवं विभिन्न सहायक समितियां	चार्ट प्रदर्शन, चर्चा, गतिविधि	30
3	PLCPC के प्रत्येक सदस्य की भूमिका	चार्ट प्रदर्शन, विचार विमर्श, गतिविधि	60
4	योजना प्रस्तुति एंव आमजन के सुझाव	प्रश्नोत्तर, चार्ट प्रदर्शन, गतिविधि, सामूहिक चर्चा	60
5	खुली चर्चा एवं बाल मित्र पंचायत हेतु संकल्प		15

चर्चा कैसे करें?

(आज का कार्यक्रम कोई प्रशिक्षण / बैठक न होकर PLCPC द्वारा ग्राम पंचायत में पहली बार आयोजित होने जा रहा "बाल उत्सव" हैं। जिसमे PLCPC के साथ –साथ पंचायत में बच्चों के लिए कार्यरत अन्य समितियों के सदस्य, बच्चों के संगठन एवं अन्य स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। आज प्रेरक केवल कार्यक्रम संचालक की भूमिका अदा करेगा, अन्य समस्त चर्चा एवं अब तक के कार्य PLCPC के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत होंगे। इस प्रकार आज का यह उत्सव PLCPC की पांच सफल बैठकों एवं ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण के लिए माहौल निर्माण का कार्य करेगा।)

प्रथम सत्र

प्रार्थना एवं आपस में परिचय

अवधि : समय 45 मिनिट

- प्रेरक / संचालनकर्ता आज के कार्यक्रम में पूर्व बैठकों की तरह गीत/ भजन से कार्यक्रम की शुरूआत करवाए, PLCPC अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर पधारे सभी ग्रामीणों का अभिवादन एवं स्वागत किया जावे।
- स्थानीय विद्यालय के बच्चों द्वारा कोई प्रस्तुति दी जा सकती है। (15 – 20 मिनिट अधिकतम)

बताइए

प्रेरक द्वारा :

आज हमारे गांव में न कोई 15 अगस्त है न कोई 26 जनवरी परन्तु आज हम सभी यहां बच्चों के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। आप यह जरूर सोच रहे होंगे, यह कैसा कार्यक्रम है?ऐसा कार्यक्रम पहले नहीं सुना है न देखा है मैं आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य एवं आज हमारे मिलने का प्रयोजन स्पष्ट करना चाहूंगा।

(इस प्रकार परिचय सत्र के अन्त तक प्रेरक द्वारा माहौल निर्माण करते हुए PLCPC के गठन में अब तक के कार्य संक्षिप्त में बताए जा सकते हैं)

- आप सभी अब इस नई गठित समिति के बारे में बहुत कुछ समझ गये होंगे। अब मैं (प्रेरक) आपको PLCPC के सभी सदस्यों से परिचय करवाना चाहूंगा।

(PLCPC के अध्यक्ष के बाद एक–एक करके सभी सदस्य अपना–अपना परिचय सभी ग्रामीणों को दें, अभी केवल अपना नाम, पद एवं अन्य कोई पद (प्रधानाध्यापक, वार्डपंच, बाल कल्याण अधिकारी इत्यादि) की जानकारी ही देवें।)

द्वितीय सत्र

PLCPC गठन की आवश्यकता एवं विभिन्न सहायक समितियां

इस सत्र के प्रमुख विचारणीय बिन्दु :

★ समेकित बाल संरक्षण योजना एवं इसके घटकों की संक्षिप्त जानकारी।

अवधि : 30 मिनिट

सत्र के अंत तक प्रतिभागियों में अपेक्षित समझ :

- ❖ पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन क्यों किया गया ?
- ❖ समिति एवं सहायक समितियों की जानकारी।

(इस सत्र की शुरूआत करने के बाद PLCPC के द्वारा ही समस्त जानकारी ग्रामीणों को दी जानी है, प्रेरक द्वारा केवल अंत में यदि कोई जानकारी शेष रह जाए तो वही दी जानी चाहिए।)

- प्रेरक द्वारा PLCPC अध्यक्ष एवं स्थानीय सरपंच महोदय से आग्रह किया जाए कि वह इस समिति के गठन की आवश्यकता पर प्रकाश ड़ाले।
- अध्यक्ष द्वारा निम्न बिन्दुओं में जानकारी दी जा सकती है।
  - ❍ पंचायत में बच्चों के लिए विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा के लिये शिक्षा विभाग, बच्चों के स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा विभाग, सुरक्षा के लिये पुलिस विभाग इत्यादि कार्यरत हैं। इनमें आपसी समन्वय कर बच्चों के लिये बेहतर सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु इस समिति का गठन सरकार के निर्देशानुसार किया गया है।
  - ❍ सरकार द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रावधानों को बताया जाए।
  - ❍ वर्तमान में बच्चों के लिये क्या–क्या जरूरतें हैं? जिन पर काम करने की आवश्यकता है।
  - ❍ सभी सदस्यों की नियमित बैठक होने से बच्चों के लिए प्रभावी कार्ययोजना का निर्माण हो सकेगा।
  - ❍ पंचायत के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान कर उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से न केवल जोड़ना है बल्कि निगरानी रखना जिससे उन्हें यह नियमित सेवाएं मिलती रहें।

- बाल श्रम मुक्त पंचायत की स्थापना ।
- बच्चों के लिए सतत् निगरानी की व्यवस्था (चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम)

(इस प्रकार अध्यक्ष द्वारा ग्रामीणों को यह स्पष्ट किया जाए कि हम इस समिति के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी?)

बताइए

- प्रेरक द्वारा धन्यवाद करते हुए, ग्रामीणों को यह भी बतलाया जाए कि केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक कई महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई हैं। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण समिति यह हमारी PLCPC है।
- प्रेरक द्वारा PLCPC को चार्ट पर लिखते हुए सभी समितियों के नाम प्रदर्शित किये जाए।

(प्रेरक द्वारा स्पष्ट किया जाए कि हमारी समिति ही नहीं बल्कि पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिले एवं जिले से राज्य स्तर तक विभिन्न समितियां हमारे सहयोग के लिये बनी है।)

तृतीय सत्र

PLCPC के प्रत्येक सदस्य की भूमिका

इस सत्र के प्रमुख विचारणीय बिन्दु :

★ समिति के सदस्यवार दायित्वों की जानकारी।

अवधि : 60 मिनिट

सत्र के अंत तक प्रतिभागियों में अपेक्षित समझ :

- ❖ पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में सदस्य कौन है?
- ❖ समिति में सदस्यों का क्या दायित्व है?

(प्रेरक द्वारा इस सत्र में PLCPC के प्रत्येक सदस्य का परिचय देते हुए उसे आगे आंमत्रित किया जाए। वह सदस्य पूर्व बैठकों के अनुसार उनकी समिति के प्रति समझ एवं दायित्व को उपस्थित ग्रामीणों को अवगत करवाए। सदस्यों को आमंत्रित करने से पूर्व प्रेरक द्वारा ग्रामीणों को बताया जाये कि जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से समिति का निर्माण होना बताया है उसी क्रम में इन्ही विभागों के विभिन्न प्रतिनिधि आपकी पंचायत में कार्यरत हैं जिन्हें इस समिति में सदस्य बनाया गया है।)

- **ग्राम सचिव (सचिव PLCPC)**
  - बच्चों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
  - पात्र परिवारों की जानकारी / आवश्यक दस्तावेज।
  - सचिव की PLCPC में मुख्य भूमिका।
  - पंचायत में कुल बच्चों का उम्रवार विवरण।
  - अन्य पंचायत विशेष की बच्चों के सन्दर्भ में जानकारी।
  - गत बैठकों में PLCPC द्वारा किये गये मुख्य कार्य।
- **प्रधानाध्यापक (सदस्य PLCPC)**
  - पंचायत के CTS के अनुसार विद्यालय से वंचित बच्चे।
  - अनियमित बच्चों की जानकारी।
  - विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी।
  - ग्रामीणों से आवश्यक सहयोग आदर्श विद्यालय के परिपेक्ष्य में।
  - PLCPC की आगामी योजना।
  - PLCPC की मासिक बैठक एवं मुद्दों की जानकारी है।

  (ताकि प्रत्येक माह ग्रामीण अपनी समस्या अथवा बच्चों के लिए सुझाव प्रेषित कर सकें।)
- **आंगनवाडी कार्यकर्ता (सदस्य PLCPC)**
  - पूरी पंचायत के आंगनवाड़ी से जुडे बच्चों की जानकारी।
  - 0–6 वर्ष के अन्य बच्चे जो अभी भी आंगनवाड़ी से नहीं जुड़ पाए हैं / या अनियमित हैं।
  - आंगनवाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं।
  - अन्य कोई जानकारी
- **बाल कल्याण अधिकारी (सदस्य PLCPC)**
  - 0–18 वर्ष के व्यक्तियों के लिए मुख्य कानून (JJ Act मुख्य प्रावधान)।
  - विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए वयस्कों से पृथक व्यवस्था।

- बाल श्रम करवाने वाले के लिए कानूनी सजा।
- पंचायत क्षेत्र में बच्चों संबंधी मामले।
- अन्य (सदस्य को चाहिए कि वह अपने प्रति लोगों में विश्वास कायम करते हुए उन्हें कोई भी जानकारी सीधे देने एवं उन पर उचित कार्यवाही तुरन्त होने का आवश्वासन देवें।)

- **एन.एम.एम (सदस्य PLCPC)**
  - पंचायत में स्वास्थ्य संबंधी बच्चों की स्थिति।
  - विभिन्न आवश्यक टीकों की जानकारी जो बच्चों को लगने जरूरी हैं।
  - आवश्यक पोषक तत्व जो बच्चों को देने जरूरी होते हैं।
  - पंचायत में आ रही समस्याओं से ग्रामीणों को अवगत कराना।
- **प्रतिनिधि डी.सी.पी.यू (सदस्य PLCPC)**
  - PLCPC के प्रमुख कार्य क्या होंगे?
  - किस प्रकार बच्चे, ग्रामीण यहां सम्पर्क कर सकते है?किन मुद्दों पर शिकायत करें।
  - अगर कार्यवाही नहीं होती है तो ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर कौन सक्षम अधिकारी हैं।
  - बच्चों के मुख्य अधिकार क्या हैं?
- **वार्ड पंच (कोई भी सक्रिय/जागरूक वार्ड पंच)**
  - वार्ड वार बच्चों के लिये अन्य ग्रामीण किस प्रकार सहयोगी बन सकते हैं?
  - समिति के प्रति अपनी समझ।
- **बाल प्रतिनिधि (सदस्य PLCPC)**
  - बाल प्रतिनिधि अपनी समझ के अनुसार प्रथम बैठक से अब तक प्राप्त प्रशिक्षणों अथवा जानकारी से जो भी कुछ जान पाए हैं उसे बता सकते हैं।
  - बच्चों की पंचायत से क्या अपेक्षा है?
  - अन्य कोई बात रखना जो चाहें तो।
- **अन्य सदस्य PLCPC**

PLCPC के अन्य सदस्य भी यदि कोई बात रखना चाहें, उन्हें अवसर प्रदान कर ग्रामीणों से रूबरू करवाया जाए।

(अगर कोई भी सदस्य कोई जानकारी न भी दे पाए तो भी एक बार मंच पर जाकर अपना परिचय अवश्य देवें।)

- ❑ इस प्रकार इस सत्र से आज के उत्सव का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होगा कि पूरी पंचायत में PLCPC के प्रति समझ बन पाएगी एवं आगामी बैठकों में बाल संरक्षण के मुद्दों की अधिक से अधिक पहचान होगी।

चतुर्थ सत्र

योजना प्रस्तुति एवं आमजन के सुझाव

इस सत्र के प्रमुख विचारणीय बिन्दु :

★ समिति द्वारा आगामी छः माह / एक वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों एवं योजना पर आमजन के सुझाव ।

अवधि : 60 से 90 मिनिट

सत्र के अंत तक प्रतिभागियों में अपेक्षित समझ :

- ❖ समिति के प्रारम्भिक लक्ष्य क्या हैं?
- ❖ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समिति की क्या योजना है?

(इस सत्र में समिति द्वारा गत बैठकों में तय किये गये प्रारम्भिक लक्ष्यों एवं योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी जानी है । अतः प्रेरक अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सत्र आरम्भ कर स्थानीय लोगो के सुझाव/ विचार आंमत्रित करें।)

बताइए

- प्रेरक द्वारा गत बैठक में पंचायत को बाल मित्र बनने हेतु निर्धारित लक्ष्य /योजना की जानकारी दी जाए (तत्पश्चात ग्रामीणों से इस पर राय पूछी जाए)
  - ○ क्या आपको लगता है यह लक्ष्य प्रारंभिक चरण में पर्याप्त होंगे?
  - ○ इसमें कुछ जोडने या घटाने की आवश्यकता है?

(प्रेरक द्वारा प्राप्त सुझावों को चार्ट पर अंकित किया जाए एवं इस पर चर्चा के साथ आगे बढ़ें)

- समिति के जो भी सदस्य इच्छानुसार 0–18 वर्ष से कम बच्चों की जानकारी देना चाहें उसे प्रस्तुत करें। (अन्यथा प्रेरक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।) पूर्व की बैठकों में समिति के विभिन्न सदस्यों ने मिलकर पंचायत के बच्चों के संदर्भ में सूचना एकत्र की है जिनके आधार पर पंचायत में मुख्य रूप से निम्न समस्याएं सामने आयी हैं।

(पंचायत की 4–5 मुख्य समस्याएं प्रस्तुत कर ग्रामीणों से सुझाव /राय पूछी जाए।)

- उत्सव में सम्मिलित हुए बच्चों से भी आग्रह किया जा सकता है कि वे पंचायत में क्या चाहते हैं?बच्चों के अनुसार पंचायत में क्या सुविधाएं होनी चाहिएं ?

(प्राप्त सुझावों को चार्ट पर अंकित कर प्रेरक द्वारा इन्हीं विषयों पर आगे खुली चर्चा की जा सकती है। जिस हेतु उत्सव का अंतिम सत्र निर्धारित किया गया है।)

पांचवा सत्र

खुली चर्चा एवं बाल मित्र पंचायत हेतु संकल्प

अवधि : 30 मिनिट

(इस सत्र में जानकारी देने के बजाय प्रेरक द्वारा ग्रामीणों से सुझाव आमंत्रित किये जाएं। इस सत्र में समिति के सदस्यों के अलावा जो कोई व्यक्ति बोलना चाहे उसे मौका दिया जाना चाहिए। हो सकता है सभी ग्रामीण सक्रिय रूप से हिस्सा न लें ऐसी स्थिति में प्रेरक द्वारा निम्न प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।)

प्र. 1 PLCPC का पूरा नाम क्या है?

प्र. 2 PLCPC का अध्यक्ष कौन है?

प्र. 3 हमारी इस समिति की मासिक बैठक की दिनांक क्या है?

प्र. 4 इस समिति का गठन क्यों किया गया है?

(ग्रामीणों को बोलने का पूरा अवसर दिया जाए ताकि वे भी अपनी समझ प्रकट कर सकें।)

- यदि कोई ग्रामीण अपनी बात रखना चाहें, उसे भी मंच पर आमंत्रित किया जा सकता है।
- अंत में सभी से हाथ खड़े कराते हुए अपनी पंचायत को बालश्रम मुक्त एवं बाल मित्र पंचायत बनाने में सहयोग करने हेतु संकल्प करवाएं। उसके पश्चात बच्चों की प्रस्तुति / गीत / कविता / कला जत्था के साथ उत्सव का समापन किया जाना चाहिये।

वैकल्पिक आयोजन : इसे एक मेले एवं प्रदर्शनी का रूप दिया जाए तो ग्रामीणों की रूचि बढ़ेगी।

1. उद्घाटन सत्र : 30 मिनिट– दो वक्ता, कार्यक्रम एवं PLCPC का परिचय, कार्य, आदि बताएं ।
2. प्रदर्शनी : विभिन्न विभागों के कक्ष, चार्ट , पोस्टर, सामग्री, आदि का प्रदर्शन
3- PLCPC से संबंधित चार्ट।
4- PLCPC सदस्य कक्ष प्रभावी हो, छात्रों से सहयोग लिया जावे।
5. मनोरंजक एवं आकर्षित हेतु भजन मंडली, फिल्म शो, कठपुतली आदि का प्रदर्शन।
6. खाने–पीने की व्यवस्था।
7. खेल एव प्रतियोगिताएं भी रखी जा सकती हैं।

7. संदर्भ जानकारी एवं सहायक प्रपत्र

7.1 राज्य सरकार द्वारा PLCPC गठन हेतु जारी आदेश एवं मार्गदर्शिका की प्रति

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क0एफ.( )सान्याअ/प्रशि/पंरा/2012/ 348 जयपुर,दि0 4/12/2012

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने, बाल अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सतत् निगरानी रखने एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यक अनुशंषा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का निम्नानुसार गठन करने की महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य-सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
5.	बाल कल्याण अधिकारी, संबंधित पुलिस थाना	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
10.	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), प्रधानाध्यापक द्वारा नामित	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

नोट :
1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की सदस्यता में बिन्दु संख्या 10 में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों के संबंध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो सबसे प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
3. उक्त समितियों के प्रभावी संचालन हेतु पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. सरकार) द्वारा जारी किये जायेंगे।

ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति अपने क्षेत्र में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी:-

1. समिति ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधार के लिए कार्य करेगी।
2. समिति द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के चिह्नीकरण, बच्चों हेतु मौजूदा संस्थाओं/ गृहों/विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु कार्य करेगी।

3. बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ बच्चों को दिलवाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रयास करेगी।
4. स्थानीय स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यव्हार, शोषण, हिंसा एवं उपेक्षा से संबंधित मुद्दों पर उनके सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु निर्णय लेते हुये संबंधित संस्थाओं (बाल कल्याण समिति/विशेष किशोर पुलिस इकाई) तक मामलों को पहुँचायेगी एवं उनका फॉलोअप करेगी।
5. समिति बाल अधिकारों के बारे में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुये बाल मैत्री ग्राम का निर्माण करेगी।
6. उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। समिति एवं बाल संरक्षण के संबंध में समस्त पत्र-व्यवहार एवं आवश्यक मार्ग-दर्शन पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) से ले सकेगी।
7. स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत उक्त समिति के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने एवं समिति की अनुशंषाओं को प्राथमिकता देते हुये बच्चों के हित में कार्य करेगी।
8. समिति प्रत्येक माह में अपनी बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की प्रति अनिवार्यता से जिला बाल संरक्षण इकाई/पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करेगी।
9. प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गये निर्णय ही वैध/मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों का अनुमोदन (पूर्व/पश्चात) किया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअधि., राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग/विधि विभाग/खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव श्रम/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद.....।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
12. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई।
13. समस्त अध्यक्ष बाल कल्याण समिति.....।
14. समस्त अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड.....।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/ गैर राजकीय बाल गृह.....।
16. समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग..... को पालनार्थ।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....को पालनार्थ।
18. समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....को पालनार्थ।
19. समस्त प्रधान, पंचायत समिति ..... को पालनार्थ।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....को पालनार्थ।
21. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत..... को पालनार्थ।
22. समस्त ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
23. समस्त ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
24. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

निदेशालय बाल अधिकारिता

बी-3/1 ए अम्बेडकर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक एफ 14(332)(मुख्या)/बा.वि./13/ 19173 जयपुर, दिनांक 13-9-2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत देखरेख आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों का सर्वोत्तमहित सुनिश्चत करने एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सतत् निगरानी रखने एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यकता अनुशंषा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन महानहिम राज्यपाल महोदया के आदेश क्रमांक क.एफ.() सान्याअ/प्रशि/परा/2012/348 दिनांक 4.12.2012 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त संबंध में "ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति" के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु **दिशा-निर्देश** की प्रति संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(डॉ.मनजीत सिंह) 12/9/13
अध्यक्ष,
राजस्थान स्टेट चाइल्ड
प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांक एफ 14(332)(मुख्या)/बा.वि./13/ 19174-746 जयपुर, दिनांक 13-9-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ गृह विभाग/ विधि विभाग/ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव श्रम/ स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।

9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद.....।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई..... को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई..... को भेज लेख है कि जिले के समस्त ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत को दिशा-निर्देश एवं प्रस्तावित एजेण्डा भेजना सुनिश्चित करावें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त अध्यक्ष बाल कल्याण समिति.....।
14. समस्त अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड.....।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/ गैर राजकीय बाल गृह.....।
16. समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग..... को पालनार्थ।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....को पालनार्थ।
18. समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....को पालनार्थ।
19. समस्त प्रधान, पंचायत समिति ..... को पालनार्थ।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....को पालनार्थ।
21. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत..... को पालनार्थ।
22. समस्त ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
23. समस्त ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
24. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

भारत सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित करने एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को योजनाओं का लाभ एवं प्रभावी कियान्वयन हेतु यह निर्देशिका ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए तैयार की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 और समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत गठित समिति निम्न उदेदश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी:–

1. बाल अधिकार एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुददों पर समझ स्थापित कर समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जोखिम भरे बच्चों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाने में विभाग की सहायता करना।
3. बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समुदाय स्तर पर पहुंचाकर लोगों को जागरूक करना एवं योजनाओं से बच्चों को जोड़ना।
4. जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर प्रायोजन (स्पॉनसर्शिप) पश्चातवर्ती देखभाल, पालन पोषण देखभाल, दत्तक ग्रहण के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना व मुख्य धारा से जोड़ना।
5. परिवार से बिछड़े हुए बच्चों की पहचान कर बच्चों को परिवार में भेजने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को सहायता प्रदान करना।
6. बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुददें जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल शोषण, हिंसा दुर्व्यवहार आदि मुददों पर लोगों को जागरूक कर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता देना।
7. पंचायत द्वारा बच्चों से सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रदान करना।
8. बच्चों के संरक्षण सम्बन्धित सभी कानून, योजनाएं, नीति, सेवाएं पंचायत को उपलब्ध कराना एवं सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करना।
9. बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसेः–पालनहार, छात्रवृत्ति, आंगबाड़ी सेवाऐं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि) सेवाओं को अविलम्ब प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

1. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचनाः–

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 348 दिनांक 4.12.2012 अनुसार निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य–सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
5.	बाल कल्याण अधिकारी, संबंधित पुलिस थाना	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
10.	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), प्रधानाध्यापक द्वारा नामित	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

2. चयन प्रक्रिया

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की रूपरेखा में बिन्दु संख्या 10 में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों के संबंध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो सबसे प्रतिभावन विद्यार्थियों का चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

3.समिति का कार्यकालः–

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो प्रतिभावन विद्यार्थियों का चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

4.सदस्यों का प्रशिक्षण एवं मार्ग दर्शनः–

समिति के गठन पश्चात बच्चों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों जैसे–बच्चों के प्रति संवेदनशीलता/समिति के कार्य एवं जिम्मेदारी/बच्चों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं/बाल अधिकार/गांव स्तर पर बालकों से जुड़े संरक्षण के मुद्दे/स्कूल से जुड़े संरक्षण के मुद्दे आदि

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

सभी पर जिला स्तरीय बाल संरक्षण सोसायटी, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण और आनुखिकरण उपलब्ध कराया जायेगा।

समिति के सदस्यों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर पंचायत भवन, स्कूल, आगंनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पर चस्पा करवाया जायेगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समय–समय पर आदेश / परिपत्र / निति–मार्गनिर्देशिका / अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. अध्यक्ष के कार्यः–

1. अध्यक्ष द्वारा प्रति माह एक बैठक तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठक आयोजित करना।
2. सचिव की अनुपस्थिति में सभी कार्यो को सुचारू रूप से करना।
3. बच्चों से जुड़ी सभी समस्याओं पर चर्चा करना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करना।
4. बैठक में लिए गये निर्णय को पंचायत मिटिंग में पारित करवाना और पहल करना।
5. बैठक में बाल बाल संरक्षण से संबंधित मार्ग–निर्देशिका, परिपत्र, आदेश आदि की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाना और आवश्यक कार्यवाही करना।
6. बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर सदस्यों को जागरूक कर कार्य विभाजन करना।
7. अन्य कार्य जो विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए।

6.सचिव के कार्यः–

1. बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक प्रस्तावित बैठक की सूचना लिखित रूप में सभी सदस्यों को देना।
2. बैठक की उपस्थिति एंव बैठक कार्यवाही विवरण तैयार रखना होगा।
3. बाल संरक्षण समिति द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों (ब्लाक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं संबंधित को सभी पत्रांक, आदेश एंव रिर्पोट प्रस्तुत करना।
4. अध्यक्ष और सदस्यों की अनुपस्थिति में समस्त कार्य की जिम्मेदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करना।

7. बैठकः–

प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी आवश्यक हैं। समिति की बैठक पंचायत परिसर में पंचायत की मासिक बैठक या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती हैं। बैठक में प्रत्येक सदस्यों को स्पष्ट एजेंडा की प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।

1. समिति के अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति देखते हुए बैटक नोटिस जारी कर सकता हैं।
2. सचिव और सदस्य मिटिंग से पहले बिना किसी कारण स्थान एंव एजेंड़ा परिवर्तित नहीं करेगें।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठक तभी बुला सकता है जब 2/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ हो।
4. बैठक में समिति के प्रत्येक सदस्यों को कम से कम दो घण्टे की बैठक आवश्यक है।
5. समिति की प्रत्येक बैठक की अवधि लम्बित कार्यों एंव प्रकरणों पर निर्भर होगी।

8. बैठक के लिए कोरमः–

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। समिति के उपस्थित लोगों के बहुमत से निर्णय लेना होगा। समिति के अध्यक्ष को निणर्य लेने की शक्ति होगी।

9. ग्रांम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कार्य एवं भूमिकाः–

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपने गांव/पंचायत में सर्वे के माध्यम से श्रेणी अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें कानून से संघर्षरत/ कानून के सम्पर्क में आने वाले/ देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की संख्या कितनी है और साथ ही बच्चों से सम्बधित यह डाटा/श्रेणीवार सम्पूर्ण सूचना से विभाग को समय–समय पर अवगत कराना होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को निम्न कार्य सम्पादित करने होगेंः–

1. स्कूल नामांकन, बच्चों का नाम, लिंग अनुपात, नामांकन आयु, बच्चों का शिक्षा स्तर, गाँव में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ।
2. बच्चों से संबंधित कार्य योजना तैयार करने एंव ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण सर्वे करने के लिए।
3. बच्चों से जूड़े कानून, नीति, योजनाएं और सेवाओं की जानकारी एकत्र कर उनका प्रचार–प्रसार करना, कार्यान्वयन, एंव मुल्याकंन करना।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखभाल वाले बच्चों को सूचीबद्व करना एवं उनकों संबंधित योजनाओं से लाभ दिलाना।
5. समय–समय पर बाल संरक्षण समिति को बच्चों की गतिविधियां एंव प्रस्तावित कार्यक्रम विभाग के साथ विचार विमर्श करके कराने होगें।
6. बच्चों को बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी, बाल शोषण आदि से मुक्त करने में सहायता प्रदान करना एवं ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस को सूचित करना।
7. पंचायत से पलायन होने वाले बच्चें, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की सूची संधारण करना एवं समय–समय पर बच्चों/परिवार को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रेरित करना व प्रचार–प्रसार करना।
8. गाँव के सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड, जन्म व मृत्यु दर रिकॉर्ड, ग्राम से गुमशुदा व गुमशुदा प्राप्त बच्चों की लिंग अनुसार, आंगनवाड़ी केन्द्र व स्कूल में नामाकिंत बच्चे, स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं गाँव में बच्चों को प्राप्त होने वाली सुविधओं का रिकॉर्ड संग्रहित करना।
9. पंचायत क्षेत्र में आने वाले बाल गृह/ शिशु गृह /आश्रय गृह/ विमंदित गृह का रिकॉर्ड रखना एवं बच्चों को गैर संस्थागत देखभाल में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

10. पंचायत में निवासरत् समस्त परिवार/बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करना एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से कैम्प आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही करना।
11. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य निस्तारण एवं पालना करना।
12. पंचायत को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल शोषण, अशिक्षा, कुपोषण आदि से मुक्त घोषित करने में सहयोग करना।
13. समिति को पुलिस से उन सभी बच्चों का डेटा प्राप्त करना होगा जो बच्चे किसी कारण से कानून के साथ संघर्षरत/सम्पर्क में है जैसे चोरी, बाल अपराध, काइम, मार–पीट आदि।
14. समिति को पुलिस से उन सभी व्यक्तियों का डेटा प्राप्त करना होगा जो लोग बालकों से जुड़े किसी भी तरह के कानूनी अपराध में दोषी ठहराये गये हैं जिससे की उन पर निगरानी रखी जा सके तथा बच्चों को उनसे दूर रखा जा सके।
15. समिति को क्षेत्र में आने वाले सभी अल्ट्रा साउण्ड क्लीनिको के संदर्भ में यह जानकारी रखनी होगी कि वह सभी रजिस्टर्ड है और PCPNDT एक्ट का पालन कर रहें है।
16. गाँव में आंगनवाड़ी एवं स्कूल स्तर गटित सभी समितियों जैसे पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन (माता–पिता शिक्षक संघ) / मदर टीचर एसोसिएशन (माता शिक्षक संघ) / विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
17. क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन तथा संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
18. समिति को प्रत्येक तीन माह में अपने क्षेत्र में हुये कार्यक्रम/प्रगति की रिपोर्ट पंचायत/बी. डी. ओ./सी. डी. पी. ओ./आई. सी. पी. एस./आर. एस. सी. पी. सी. आर. को भेजनी होगी।
19. समिति द्वारा यदि बालक से जोडे मुद्दे भेदभाव/शोषण हिंसा किसी तरह के अत्याचार की सुनवाई/बैठक एक निश्चय समय सीमा में करनी होगी साथ ही उसकी रिपोर्ट/निष्कर्ष सम्बन्धित विभाग (जिला महिला एवं बाल विकास, समाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग) को देनी होगी।
20. समिति को क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाली सभी ग्राम सभाओं/स्टन्डिंग कमेटी (स्थायी समिति) बैठक में भागीदारी करते हुए क्षेत्र के देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की स्थिति अवगत कराना और सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु पहल करना।
21. समिति को ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर "बाल ग्राम सभा" की बैठकों का एक साल में दो बार आयोजन करना एंव समिति उक्त बाल ग्राम सभा में गाँव के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में उनके विचार/मुद्दों/सुझाव लेगी तथा उनकें सभी विचारों/मुद्दों और सुझावों को संबंधित विभागों महिला एवं बाल विकास/बाल अधिकारिता/ जिला बाल संरक्षण इकाई/ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ चर्चा करेगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

22. समिति गाँव में बने बाल समुह और बाल पंचायत को प्रोसाहित करेगी की वह अपने विचार/सुझाव/आवास/संरक्षण के मुददों आदि को बैठक में रखे तथा समिति बैठक के मुद्दों को सन्दर्भ अधिकारियों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें।

10.बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पंचायत, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगा:–

1. त्रैमासिक बैठकों का सम्पूर्ण ब्यौरा (बैठक संख्या, उपस्थित लोगों की संख्या) इत्यादि।
2. त्रैमासिक गतिविधियों/कार्यक्रम का ब्यौरा।
3. बैठकों में आये सुझाव/शिकायतों का निस्तारण।
4. आगामी कार्य योजना।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति हेतु मासिक एजेण्डा

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह "ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति" की निम्न सम्भावित एजेण्डा पर प्रतिमाह बैठक आयोजित कर सकती है:–

1. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में नामांकन, अनियमित बच्चें, विद्यालय की पंहुच, ड्रापआउट आदि बालक–बालिकाओं की वस्तुस्थिति पर चर्चा एवं निर्णय करना।
2. बाल विवाह को रोकने एवं उक्त बच्चों को जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
3. स्कूल में बाल समिति गठन एवं संचालित समितियों में बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
4. बाल श्रम कार्य हेतु पलायन किये गये बच्चों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
5. गांव से गुमशुदा/लाये गये/बाल तस्करी परिवारों/व्यक्तियों को चिन्हित एवं कार्यवाही हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
6. उक्त संबंध में समस्त प्राप्त आकड़ों पर पंचायत में चर्चा एवं निर्णय करना।
7. आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा मां, बच्चे एवं किशोरियों हेतु स्वास्थ्य–पोषण व बाल मित्र शिक्षा, प्रदान की जा रही सेवाओं एवं गुणवत्ता पर चर्चा एवं निर्णय करना।
8. दुर्व्यव्यवहार, शोषण, पीड़ित बच्चों की पहचान एवं सहयोग हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
9. जरूरतमंद बालक–बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना
10. "पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति" से पहल करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय करना।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

11. स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा एवं कार्य योजना।
12. स्वास्थ्य व पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं लाभान्वितों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
13. क्षेत्र में बाल गृह/छात्रावास आदि संचालित होने की स्थिति में वस्तुस्थिति एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में चर्चा एवं निर्णय करना।
14. समिति "बाल मैत्री ग्राम" निर्माण कार्य एवं प्रगति पर चर्चा एवं निर्णय करना।
15. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रगति रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट चाइल्ड
प्रोटेक्शन सोसायटी

7.2 राज्य सरकार द्वारा BLCPC गठन हेतु जारी आदेश के प्रति

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क0एफ.( )सान्याअ/प्रशि/पंरा/2012/ 349 जयपुर,दि0 4/12/2012

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच एवं उनमे गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं सतत् निगरानी करने लिए समुदाय एवं पंचायत समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति निम्नानुसार गठन करने की महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य-सचिव
3.	अध्यक्ष, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (समस्त सरपंच)	सदस्य
4.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
5.	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	उप पुलिस अधीक्षक, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
8.	श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग द्वारा नामित	सदस्य
9.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
10.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

नोट :
1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. उक्त समितियों के प्रभावी संचालन हेतु पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. सरकार) द्वारा जारी किये जायेंगे।

योजनान्तर्गत पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति अपने क्षेत्र में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी:-

1. समिति, पंचायत समिति क्षेत्र में बाल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधार के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य करेगी।
2. समिति देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के चिह्नीकरण, बच्चों हेतु मौजूदा संस्थाओं/ गृहों/विद्यालयों/आंगनबाडी केन्द्रो का सतत् निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु कार्य करेगी।
3. बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ बच्चों को दिलवाने के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के माध्यम से कार्य करेगी।
4. स्थानीय स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यव्हार, शोषण, हिंसा एवं उपेक्षा से संबंधित मुद्दों पर उनके सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु निर्णय लेते हुये संबंधित संस्थाओं (बाल कल्याण समिति/विशेष किशोर पुलिस इकाई) तक मामलों को पहुँचायेगी एवं उनका फॉलोअप करेगी।

5. समिति बाल अधिकारों के बारे में प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुये बाल मैत्री ग्रामों के निर्माण में आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेगी।
6. उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। समिति एवं बाल संरक्षण के सम्बन्ध में समस्त पत्र–व्यवहार एवं आवश्यक मार्ग–दर्शन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) से ले सकेगी।
7. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की अनुशंषाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण कर समिति अपना कार्य सुनिश्चित करेगी।
8. समिति प्रत्येक माह में अपनी बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की प्रति अनिवार्यता से जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करेगी।
9. प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गये निर्णय ही वैध/मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों का अनुमोदन (पूर्व/पश्चात्) किया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग/विधि विभाग/खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव श्रम/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद.....।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
12. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई।
13. समस्त अध्यक्ष बाल कल्याण समिति.....।
14. समस्त अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड.....।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/ गैर राजकीय बाल गृह.....।
16. समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग..... को पालनार्थ।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....को पालनार्थ।
18. समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....को पालनार्थ।
19. समस्त प्रधान, पंचायत समिति ..... को पालनार्थ।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....को पालनार्थ।
21. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत..... को पालनार्थ।
22. समस्त ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
23. समस्त ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
24. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

7.3 बच्चों से संबंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी

क्र. सं	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहाँ किया जाये।	आवश्यक दस्तावेज
1	पालनहार योजना	–अनाथ बच्चे –विधवा माता के बच्चे –जिनके माता/पिता में से कोई एक विशेष योग्यजन हो, –माता नाता गई हो/परित्यक्ता या तलाकशुदा हो –माता/पिता को आजीवन करावास/मौत की सजा सुनाई हो, –पुर्नविवाह हुआ हो, –HIV से पीड़ित/कुष्ठ रोग से पिडित माता/पिता के बच्चे हो –संरक्षक परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 से कम हो।	–0–5 वर्ष के बच्चे के लिए 500 रू. प्रति माह, –5–18 वर्ष लिए, 1000 रू प्रति माह – संरक्षक परिवार को 2000 रू प्रतिवर्ष।	**ग्रामीण क्षेत्र** – संबंधित पंचायत समिति में **शहरी क्षेत्र** – कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर या संबंधित क्षेत्र के छात्रावास अधिक्षक	–माता /पिता अथवा दोनो (अनाथ बच्चो के लिये) के मृत्यु प्रमाण पत्र, –संरक्षक का आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो –सरपंच द्वारा संरक्षण का प्रमाण पत्र, –विद्यालय नियमितता का प्रमाण पत्र, –पिछले वर्ष की अंक तालिका, जन्म दिनांक व जन्म प्रमाण पत्र के साथ, –फोटो (संरक्षक या माता की एक प्रति, बच्चा/बच्चे की एक प्रति) –न्यायिक दण्डादेश की प्रति (दण्डित माता/पिता के बच्चे) –खाता संख्या (राष्ट्रीय कृत बैंक), जाति प्रमाण पत्र – मेडिकल बोर्ड द्वारा कुष्ठता का प्रमाण पत्र (कुष्ठरोगी होने पर) – 40 % से अधिक निशक्ता का प्रमाण पत्र (चिकित्सा बोर्ड द्वारा) – राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र (एच.आई वी पोजेटिव होने पर) – पुर्नविवाह प्रमाणपत्र (नाता जाने वाली/पुर्न विवाहित विधवा माताओं के लिये) – न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र (तलाकशुदा व परित्यक्ता के प्रकरण में) –पेंशन भुगतान आदेश की प्रति (विधवा पेंशन लाभान्वित के लिये)
2	शिशु गृह योजना	0–6 वर्ष तक के कोई भी अनाथ व परित्यक्त शिशु	निःशुल्क भोजन आवास, वस्त्र, शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाएं संस्थागत उपलब्ध करवा कर विधिसंवत दत्तक ग्रहण के माध्यम से योग्य परिवारों में पुनर्वास की सुविधा	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्यायालय और अधिकारिता विभाग	माता / पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र

3	निराश्रित बाल गृह/बालिका गृह योजना	6-18 वर्ष के निराक्षित असहाय बालक/बालिकाएं	निःशुल्क भोजन, नाष्ता, अवास, चिकित्सा, शिक्षा व प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाएं	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाए	माता / पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र
4	कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय	-अनुसुचित जाति, जन जाति, पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग, बी.पी.एल /पलायन करने वाले परिवार की बालिकाएं, -उच्च प्राथमिक स्तर के अभाव वाले दुर्गम एवं दुरस्थ क्षेत्र की बालिकाएं, -प्राथमिक स्तर के बाद विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाएं	निःशुल्क भोजन, पोषाहार, आवास, पौशाक, चिकित्सा, शिक्षा व प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाएं, प्रति बालिका 50/-प्रति माह छात्रवृति शैक्षिक भ्रमण हेतु।	संबंधित क्षेत्र के कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास अधिक्षक से सम्पर्क करें।	जाति प्रमाण पत्र, बी.पी.एल सूची, मुल निवास प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र, ★ यदि पूर्व में विद्यालय में नामांकन किया हो तो अंतिम पास परीक्षा की अंकतालिका, राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या
5	आपकी बेटी योजना	1 से 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाएँ जिनके माता-पिता या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो।	कक्षा 1 से 8 तक 1100/- एवं 9 से 12 तक 1500/- सालाना	संबंधित विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	मृत्यु प्रमाण पत्र, माता/ पिता का आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बी.पी.ए कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या
6	उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी बच्चों को छात्रवृति	- माता-पिता टेक्स परिसीमा में नहीं हो - जो बालिका सरकारी या गैरसरकारी विद्यालय में अध्ययनरत् हो।	350 रूपये मासिक सहायता 10 माह तक	संबंधित विद्यालय, जनजाति क्षेत्र विभाग /के छात्रावास	पिछले सत्र में पास परीक्षा की अंक तालिका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या
7	ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिए आवागमन वाउचर की योजना	ऐसी लड़कियाँ जो कक्षा 6 से 12 तक पढ़ रही हैं और उन्हें 1 किमी से अधिक दूरी पर स्कूल जाना पड़ता है।	प्रत्येक दिन 20 रूपये के हिसाब से, 200 दिवसों तक के लिए सुविधा	संबंधित विद्यालय अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उदयपुर	विद्यालय नामांकन प्रमाण -पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या

8	मुख्य मंत्री हुनर विकास योजना	-17 से 21 वर्ष के लाभार्थी जो राज्य सकार द्वारा प्राप्त राजकीय एवं अनुदानित बालगृह के आवासीय/पालनहार लाभार्थी है/ रह चुके हो एवं -उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक/बालिका को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात भी कोर्स की समाप्ती तक योजना का लाभ	-निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण -शैक्षणिक संस्थान द्वारा ली गयी कोर्स फिस का पुर्नभरण -स्वरोजगार हेतु आवश्यक उपकरण कच्चा माल आदि क्रय करने हेतु 50000/- तक की सहायता।	उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भाग रजिडेन्सी परिसर उदयपुर या विभाग के किसी भी छात्रावास में एवं निराश्रित बालगृह	जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बालगृह से आवेदन, पहचान पत्र, फोटो-2, पालनहार स्वीकृति आदेश
9	सहयोग योजना	बी पी एल परिवार की दो बालिकाओं की शादी पर पर सहायता जिसमें आवेदन विवाह के एक माह पूर्व व 6 माह के बाद कर सकते है। (वर की आयु 21 वर्ष वधु की 18 वर्ष)	-साक्षर /निरक्षर पुत्री की शादी पर रू. 10,000/- प्रति पुत्री - 10 वीं उत्तीर्ण कन्या के विवाह पर रू. 15,000/-प्रति पुत्री - स्नात्तक उत्तीर्ण कन्या के विवाह पर रू. 20,000/-प्रतिपुत्री	**ग्रामीण क्षेत्र-** पंचायत समिति में **शहरी क्षेत्र -के** आवेदक जिला कार्यालय उदयपुर या अपने क्षेत्र के संबंधित छात्रावास अधिकक्षक	बी.पी.एल राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो 1 -1, विवाहित युगल की फोटो-2, शादी की पत्रिका की प्रति, विवाह पंजियन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैक का खाता संख्या, राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या
10	डॉ. सविता अम्बेडकर अर्न्तजातिय विवाह योजना	विवाहित युगल (वर 21 वर्ष एवं वधु 18 वर्ष या अधिक) जिनमें से एंक अनुसूचित जाती एवं एक स्वर्ण हिन्दु हो	विवाह करने के दो वर्ष के भीतर आवेदन करने पर -31मार्च 2013 पूर्व विवाहितो को 50,000/- रू. की एवं 31 मार्च 2013 पश्चात विवाह पर 5,00,000/- रू. की प्रौत्साहन राशि	**ग्रामीण क्षेत्र-** पंचायत समिति में **शहरी क्षेत्र -के** आवेदक जिला कार्यालय उदयपुर या अपने क्षेत्र के संबंधित छात्रावास अधिकक्षक	बी.पी.एल राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, विवाहित युगल की फोटो, शादी की पत्रिका की प्रति, विवाह पंजियन प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या, राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या

(दर्शायी गई समस्त जानकारी प्रेरक बताने से पूर्व ग्राम सचिव अथवा संबंधित विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर ही बताये।)

7.4 विभिन्न बाल गृहों की जानकारी

क.सं.	श्रेणी	गृह	विशेष विवरण
1	विधि से संघर्षरत बालक–बालिकाएँ	सम्प्रेषण गृह	किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत विधि के साथ संघर्षरत बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से जाँच पूरी होने/लम्बित मामलों की स्थिति में अस्थायी तौर पर सम्प्रेषण गृह में रखा जाता है।
2	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	बालगृह	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कोई भी पारिवारिक एवं विकल्प न होने की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरा करने तक बालगृह में रखा जा सकता है।
3	विधि का उल्लंघन करने वाले बालक–बालिकाएँ	विशेष गृह	किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामला सिद्व होने पर संघर्षरत/उल्लंघन करने वाले बच्चों को विशेष गृह मे रखा जाता है। उक्त गृह में अधिकतम 3 वर्ष के लिए रखने का प्रावधान है।
4	घर से भागे हुए, फुटपाथ पर बिना किसी आश्रय के, गुमशुदा बच्चे अथवा जिन बच्चों की देखभाल करने वाला अभिभावक/ संरक्षक न हों	आश्रय गृह	अल्पावधि आश्रय हेतु

7.5 बाल निगरानी हेतु सहायक प्रपत्र

बाल निगरानी हेतु सहायक प्रपत्र
0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जानकारी

गांव _____ पंचायत _____ पंचायत समिति _____ जिला _____

क्र.सं.	बच्चों की जानकारी		उम्रवार बच्चों की स्थिति														
	स्थिति	श्रेणी	0 से 3 वर्ष			3 से 5 वर्ष			6 से 14 वर्ष			15 से 18 वर्ष			0 से 18 वर्ष से कम के कुल बच्चे		
			बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	बच्चों की वर्तमान जनसंख्या	जनसंख्या विवरण															
2	आंगनवाड़ी / स्कूल में नामांकित बच्चे	नामांकित बच्चे															
3	बच्चे जो आंगनवाड़ी / स्कूल नहीं जाते	आंगनवाड़ी / स्कूल से वंचित बच्चे															
		ड्रॉपआउट बच्चे															
		अनियमित बच्चे															
4	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	अनाथ बच्चे															
		विशेष योग्यजन बच्चे (विकलांग)															
		एकल अभिभावक बच्चे (विधवा माता)															
		एकल अभिभावक बच्चे (विधुर पिता)															
		एड्स / कुष्ठ अथवा किसी असाध्य रोग से पीड़ित बच्चे															
		गुमशुदा / भागे हुए / तस्करी हुए बच्चे															
5	बालश्रम में लगे हुए बच्चे	स्थानीय कार्य करने वाले															
		कार्य के लिए पलायन करने वाले															
6	सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र बच्चे	योजना का फार्म भरा जा चुका है															
		योजना का लाभ मिल रहा है															
		योजना का फार्म नहीं भरा गया															

शिशु, बच्चों एवं माताओं की मृत्युदर
(वर्षभर में, जनवरी से दिसम्बर)

आयु वर्ग	बालक	बालिका	कुल
जन्म से एक सप्ताह के अंदर मृत्यु			
जन्म से एक माह के अन्दर मृत्यु			
जन्म से एक वर्ष के अन्दर मृत्यु			
जन्म से पांच वर्ष के अन्दर मृत्यु			
प्रसव के समय माताओं की मृत्यु			
18 वर्ष से कम उम्र की माताओं की मृत्यु			

ग्राम पंचायत में संसाधनों की स्थिति

क्र.स	संसाधन	श्रेणी	संख्या
1	आंगनवाडी केन्द्र		
2	विद्यालय	प्राथमिक	
		उच्च प्राथमिक	
		माध्यमिक	
		उच्च माध्यमिक	
3	चिकित्सालय	उपस्वास्थ्य केन्द्र	
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	

7.6 प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों के पूरे नाम

ANM	Auxiliary Nurse Midwife	ए.एन. एम
BDO	Block Development Officer	पंचायत समिति विकास अधिकारी
BLCPC	Block Level Child protection Committee	पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति
CCL	Children in conflict with law	विधि के साथ संघर्षरत बच्चे
CNCP	Children in need of care and protection	देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे
CTS	Child Tracking Survey/System	बालकों का निगरानी सर्वे/व्यवस्था
CWC	Child Welfare Committee	बाल कल्याण समिति
CWO	Child Welfare Officer	बाल कल्याण अधिकारी
DCPU	District Child Protection Unit	जिला बाल संरक्षण इकाई
ESC	Education Standing Committee	शिक्षा स्थायी समिति
ICPS	Integrated Child Protection Scheme	समेकित बाल संरक्षण योजना
JJ Act	Juvenile Justice Act	किशोर न्याय अधिनियम
JJB	Juvenile Justice Board	किशोर न्याय बोर्ड
NGO	Non- governmental Organizations	गैर सरकारी संगठन
PCMA	Prohibition of Child Marriage Act	बाल विवाह रोकथाम अधिनियम
PLCPC	Panchayat level Child Protection Committee	पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति
POCSO Act	Protection of Children from Sexual Offences Act	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
PPO	Pension Payment Order	पेंशन भुगतान आदेश
PRI	Panchayati Raj Institution	पंचायतीराज संस्थान
PS	Primary School	प्राथमिक विद्यालय
RTE Act	Right to Education Act	शिक्षा का अधिकार अधिनियम
RSCPCR	Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights	राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग
RSCPS	Rajasthan State Child Protection Society	राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
SDP	School Development Plan	विद्यालय विकास योजना
SJED	Social Justice and Empowerment Department	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
SMC	School Management Committee	विद्यालय प्रबंधन समिति
SSS	Social Security Scheme/s	सामाजिक सुरक्षा योजना/एं
SS	Secondary School	माध्यमिक विद्यालय
SIERT	State Institute of Educational Research and Training of Rajasthan	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर
VCPC	Village Child Protection Committee	ग्राम बाल संरक्षण समिति
UPS	Upper Primary School	उच्च प्राथमिक विद्यालय

गायत्री सेवा संस्थान द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में दिए जा रहे कार्यों की एक झलक

संस्थान द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में समन्वित विकास की सोच के साथ जो कार्य किया जा रहा है, इससे न केवल ग्रामीण आत्मनिर्भर बने बल्कि मुख्य धारा से जूड पाए है।

–ग्रामीण विकास संसदीय स्थायी समिति, लोकसभा, भारत सरकार

ग्रामीण क्षेत्र में सभी बच्चों को नियमिति शिक्षा से जोडकर संस्थान द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र से रूबरू करवाने के लिए धन्यवाद

–उर्मिला सरकार, राष्ट्रीय प्रमुख–शिक्षा, यूनिसेफ दिल्ली

दूर दराज पिछडे क्षेत्र में पंचायत द्वारा "बाल मित्र पंचायत" की अवधारणा पर कार्य करते देख प्रसन्नता हुई। मै संस्थान के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

–जोराव्वा धीरा, राष्ट्रीय प्रमुख–बालसंरक्षण, यूनिसेफ दिल्ली

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, मागदर्शन एवं निरन्तर प्रयासों से पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षा, बाल संरक्षण हेतु न केवल जागरूक किया है बल्कि आज यह विषय पंचायत की प्राथमिकता में भी आ पाए है। आशा है संस्थान ऐसे प्रयास जनजाति क्षेत्र में निरन्तर करता रहेगा।

–सैम्युल गुआंगविज, राज्य प्रमुख (राजस्थान) यूनिसेफ, जयपुर

यह मेरे लिये एक अच्छा अनुभव रहा कि मै ग्रामीण क्षेत्र में "बालश्रम मुक्त " ग्राम पंचायत एवं पंचायत प्रतिनिधियों से रूबरू हो पाई।

–वंदना कन्धारी, बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ दिल्ली

समन्वित विकास की सोच के साथ संस्थान द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। संस्थान के पास अनुभवी एवं प्रशिक्षित टीम है जिनके प्रयासो से आये बदलाव "ग्राम बाल संरक्षण समिति" के सदस्यों में साफ देखे जा सकते है।

–रचना शर्मा, यूनिसेफ दिल्ली एवं गिरिजा देवी, यूनिसेफ , जयपुर

संस्था द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, परन्तु हमें इससे कई ज्यादा कार्य करना होगा एवं निरन्तर प्रयासों को जारी रखते हुए बाल मित्र वातावरण की स्थापना करनी होगी।

–संजय कुमार निराला, बाल संरक्षण अधिकारी, युनिसेफ राजस्थान

पंचायत में बच्चो, माता–पिता एवं जनप्रतिनिधियों का अपनी पंचायत को "बालश्रम मुक्त"बनाने हेतु जो इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई है उसे देख काफी अच्छी अनुभूती हुई है।

–सुलग्ना रॉय, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ राजस्थान

निम्बोदा पंचायत में संस्थान एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मिलित प्रयास को देख काफी अच्छा लगा। यहां PLCPC न केवल गठित की गई बल्कि बाल संरक्षण की समझ के साथ कार्य भी कर रही है। मै संस्थान को अपने प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

–जोसफ मेथ्यु, चाइल्ड फण्ड इण्डियां, उदयपुर

गायत्री सेवा संस्थान (GSS) 12 अक्टूबर 1986 में स्थापित गैर सरकारी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान में ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए प्रयासरत है। संस्थान द्वारा विगत 27 वर्षों में समन्वित एवं संधारणीय विकास की रूपरेखा पर कार्य करते हुए कई मॉडल रूप विकसित किये गए है, जिन्हें न सिर्फ राज्य स्तर पर अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली हैं। संस्थान निम्न तीन श्रेणियों में कार्य कर रही है–

- मानव एवं संस्थागत विकास कार्य (Human and Institution Development)
- आजीविका संवर्धन कार्य (Livelihood Enhancement)
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य (Natural Resource Management)

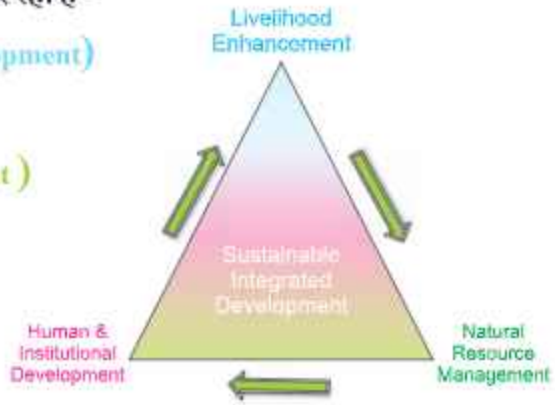

GSS 27 Years
Towards Sustainable Development...

GAYATRI SEVA SANSTHAN, UDAIPUR

Hiran Magri, Veena Nagar, Sector-6
Udaipur - 313 001 (Raj.) INDIA
Telefax : +91-294-2466675
info@gayatrisansthan.org www.gayatrisansthan.org